लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक सभा

बुधवार, ७ दिसम्बर १९६०

१६ अग्रहायण १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आसाम की स्थिति

+

†*७४४. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री सुबिमन घोष :
श्री साधन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हाल्दर :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री कालिका सिंह :
श्री बिमल घोष :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री आसर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) आसाम में अभी हाल ही के दंगों में जो लोग शरणार्थी हो गये थे, उन्हें पुनः बसाने के लिये आसाम सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

1585 (Ai) LSD—1.

(ख) भाषाई उपद्रवों में राज्य सरकार के जिन पदाधिकारियों ने भाग लिया, उनके आचरण की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) उपद्रव-पीडित व्यक्तियों के पुनर्वास के विषय में आसाम सरकार की नीति सम्बन्धी एक संक्षिप्त टिप्पण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १]** ।

(ख) और (ग). जुलाई के दंगों में पदाधिकारियों के आरचण के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । अभी तक २५ पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है जिनमें से २३ को मुअत्तल किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है । ४ जुलाई, १९६० को गौहाटी की घटनाओं की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं । इसी प्रकार का एक और जांच आयोग गोरेश्वर में जुलाई, १९६० के पहले सप्ताह में हुई घटनाओं की जांच करने और उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा में बताया था कि जब तक कि उचित वातावरण नहीं बनाया जाता तब तक उन ब्यौरों के बारे में जिन के कारण उपद्रव हुए, पूरी पूरी जांच करना संभव नहीं होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह वातावरण अब बन गया है और उपद्रवों के संबंध में बुनियादी बातें मालूम करने के लिये क्या विस्तृत जांच की जायेंगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : वातावरण काफी अच्छा हो गया है और मैं आशा करता हूं कि कोई भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिस से वह बिगड जाये या और अधिक खराब हो जाये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जो लोग आसाम वापिस चले गये हैं क्या उनका यथोचित संरक्षण किया गया है और यदि हां, तो उन के जान-माल के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और जिन लोगों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है, क्या उन्हें कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जो लोग वापिस लौट आये हैं वे अपने घरों में रह रहे हैं और अपना काम काज कर रहे हैं और मुझे जो जानकारी मिली है उस के अनुसार उन के संबंध में कोई आशंका की बात नहीं है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की संख्या आसाम सरकार की गिनती से भिन्न है और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मालूम करने की कोशिश की है कि क्या यह सच नहीं कि पश्चिम बंगाल के कुछ झूठे लोग वहां शिविरों में शामिल हो गये हैं और उन्होंने अपने को आसाम के शरणार्थी बताया है ? यदि हां, तो उन्हें असली शरणार्थियों से अलग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हमें यह जानकारी मिली है कि वहां पर शिविरों में जो लोग हैं वे आसाम के शिविरों से लाये गये हैं । वहां कुछ और लोग भी हैं जो अपने मित्रों और संबंधियों के साथ रह रहे हैं । ऐसे लोगों की संख्या के ठीक ठीक आंकड़ों के बारे में मुझे संदेह है किन्तु पहले प्रकार के लोगों के संबंध में संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : क्या पश्चिम बंगाल में वर्तमान आसाम शरणार्थियों की तीन मांगों की ओर, अर्थात् पहली यह कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें पूरी पूरी क्षतिपूर्ति दी जाये, दूसरी, आसाम में एकीकृत बंगाली बस्तियों में शरणार्थियों को बसाया जाये, और तीसरी, भविष्य में संरक्षण का आश्वासन दिया जाये, सरकार का ध्यान दिलाया गया है ? यदि हां, तो ये मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री गो० ब० पन्त**: मैं समझता हूं कि उन में से कुछ लोगों को उपद्रवों में जो अनुभव हुआ है उस के बाद भविष्य में संरक्षण के आश्वासन की मांग बिल्कुल ठीक है और उन के पुनर्वास के लिये जो भी सहायता दी जाये वह भी बिल्कुल उपयुक्त होनी चाहिये ।

†**श्री हेम बरूआ** : दूसरी दो मांगों, अर्थात् पूरी पूरी क्षतिपूर्ति तथा एकीकृत बंगाली बस्तियों में पुनर्वास की मांग के बारे में क्या हुआ ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : बहुत से लोगों ने बहुत सी मांगें रखी हैं और हम हर चीज की छान बीन नहीं करते ।

†**श्री आसर** : विवरण में यह बताया गया है कि ३७०० व्यक्ति आसाम वापिस आये हैं । अन्य शरणार्थियों को भी घर वापिस लाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : ७९,००० में से, ३३१ व्यक्तियों को छोड़ कर बाकी सब अपने अपने घर लौट गये हैं । केवल ३३१ व्यक्ति नहीं लौटे हैं क्योंकि वे अपंग थे और सिविल सर्जन ने उन्हें वहीं रहने की राय दी थी ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : आसाम विधान सभा द्वारा आसाम राज्य के लिये आसामी को एकमात्र भाषा स्वीकार किये जाने से उन लोगों पर, जो आसामी नहीं बोलते और जो या तो पहाड़ी भाषायें या बंगाली बोलते हैं, जो प्रभाव पड़ा है वह सरकार ने मालूम किया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उन्होने उसे पसन्द नहीं किया है ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में बताया गया है कि जो ५८,००० लोग पश्चिम बंगाल गये हैं उन में से २७,००० लोग पश्चिम बंगाल शिविरों में हैं । क्या उन में से सभी लौट गये हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : एक जानकारी के अनुसार, लगभग ३४,००० लोग लौट आये हैं और एक दूसरी जानकारी के अनुसार वह संख्या काफी अधिक बतायी जाती है । इसलिये मैं दूसरी संख्या नहीं बता रहा हूं ।

†**श्री तंगामणि** : जो जांच शुरू की गयी है, क्या वह वही जांच है जिस का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था या वह प्रधान मंत्री द्वारा अपनी चर्चा में उल्लिखित घटनाओं के बारे में है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : अधिक विस्तृत कारणों की जांच अभी होनी है । वह अभी शुरू नहीं हुई है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या माननीय मंत्री गृह-मंत्री ने आसाम सरकार को इस बारे में कोई राय दी है कि राज्य के लिये कौन सी भाषा या भाषायें अपनायी जानी चाहियें और यदि हां, तो उन्होंने क्या राय दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब यहां किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं ने यही प्रश्न भेजा था किन्तु मेरा नाम इस के साथ जोड़ दिया गया है और प्रश्नसूची में मेरे किसी भी प्रश्न का उल्लेख नहीं है। यदि जांच की जाये तो मालूम होगा कि मैं ने वही प्रश्न भेजा था और मेरा नाम यहां जोड़ देने के बावजूद, प्रकाशित प्रश्न सूची में उस का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक वही बात मैं जानना चाहता था कि क्या भाषा सूत्र के संबंध में माननीय मंत्री ने कोई राय दी थी और यदि हां, तो क्या राय दी थी ?

†**श्री गो० ब० पंत** : जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत का संबंध है, इस प्रश्न से उनका नाम हटा देने के लिये यह तर्क ठीक होगा, न कि ऐसा प्रश्न पूछने के लिये जो इस से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मेरा नाम इस में से हटा दिया जाये और मेरा प्रश्न एक अलग मद के तौर पर रखा जाये।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह एक पत्र लिखें, तो मैं इस पर विचार करूंगा यदि वह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न हो।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उपद्रवों के कारणों की जांच करने वाली समिति कब नियुक्त की जायेगी और यह समिति किस प्रकार बनायी जायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : अभी उस की रचना के बारे में निश्चय नहीं किया गया है। समिति उचित समय पर नियुक्त की जायेगी ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : गोरेश्वर घटना पर जांच क्यों हुई ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : गोरेश्वर में उपद्रव ने बड़ा गम्भीर रूप धारण कर लिया और जांच करना जरूरी समझा गया।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : विवरण से यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के शिविरों में अब भी लगभग २७,००० व्यक्ति हैं। अब आसाम में असाधारण सामान्य स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार लोगों का आना रोकने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : पश्चिम बंगाल सरकार तो, जिस पर पहले ही काफी बोझ पड़ा है, प्रसन्न होगी यदि और अधिक लोग उस के राज्य में न आयें। किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि भारत के किसी भाग से लोगों का बंगाल में आना वह कैसे रोक सकती है ?

सूक्ष्म उपकरणों के प्रविधिज्ञों के लिये संस्था

+

†*७४५. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूक्ष्म उपकरण उद्योग के लिये मिस्त्रियों (मेकेनिक्स) और प्रविधिज्ञों (टेक्निशियन्स) के वास्ते एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना के लिये स्विटजरलैंड ने सहायता देने का कोई प्रस्ताव किया है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) क्या यह सहायता कर्मचारियों और साज सामान के रूप में होगी;

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह निश्चय कर लिया गया है कि इस प्रशिक्षण संस्था की स्थापना किस जगह की जायेगी; और

(ङ) इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) स्विस शिल्पिक सहायता निधि (स्विस फाउन्डेशन फॉर टेक्नीकल असिस्टेंस) प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये अधिक से अधिक पांच साल की अवधि के लिये ८ स्विस विशषज्ञ और १ लाख स्विस फ्रैन्क का साज सामान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को देगा ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) ५ साल की अवधि के लिये लगभग १ करोड़ रुपया जिस में स्विस सहायता शामिल है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : यह संस्था कब तक चालू हो जायेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता । यह संस्था चालू करने के लिये कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है क्योंकि स्विस फाउन्डेशन के साथ हमारा करार अभी पूरा होना बाकी है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस संस्था में कितने प्रशिक्षणार्थियों को भरती किया जायगा और प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी ?

†**डा० म० मो० दास** : ये सब बातें अभी तय करनी हैं ।

किरिबुरू लौह-अयस्क खान

†*७४६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरिबरू लौह-अयस्क खानों के विकास के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसके लिए अपेक्षित सारी मशीनों का आयात हो चुका है और उन्हें लगा दिया गया है ; और

(ग) इस खान के विकास पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) परियोजना कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रारंभिक कार्यवाही पूरी हो गयी है और मशीनें तथा साजसामान प्राप्त करने, खनन संयंत्र लगाने आदि के लिए टेन्डर मंगाये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) (१५ नवम्बर, १९५८ से ३० नवम्बर, १९६० तक) लगभग ७२,७३,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चितामणि पाणिग्रही : क्या मशीनों के लिए टेन्डर भिन्न-भिन्न देशों से आये हैं या केवल जापानी मशीनरी कंपनियों से ही प्राप्त हुए हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : व्यवस्था के अनुसार, जापान को छोड़कर अन्य देशों से प्राप्त टेन्डर खोले गये थे ।

†श्री चितामणि पाणिग्रही : जो विदेशी परामर्शदाता डिजाइन और नक्शा (ले आउट) तैयार कर रहे हैं उन्हें अब तक कुल कितना भुगतान किया जा चुका है ?

†श्री के० दे० मालवीय : इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे सूचना चाहिये ।

†श्री चितामणि पाणिग्रही : क्या यह सच है कि इस परियोजना के लिए सरकार केवल जापान से ही यह सब मशीनरी मंगाने के लिए बाध्य है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां । इस परियोजना के लिए जो मशीनें आवश्यक हैं उन्हें उसी देश से मंगाना उपयुक्त है । हम जापान से ही ये मशीनें मंगाना चाहेंगे क्योंकि ऋण जापान से मिला है ।

†श्री चितामणि पाणिग्रही : तब टेन्डर मंगाने से क्या लाभ? करार के अनुसार, सरकार को सभी मशीनरी जापान से खरीदने के लिए बाध्य किया गया है ।

†श्री के० दे० मालवीय : हम पर कोई जबर्दस्ती या मजबूरी नहीं है । यदि हमारे काम के लिए उपयुक्त मशीनरी जापान से मिलती है तो अवश्य ही हम उनसे खरीदना चाहेंगे ।

कनाडा की ओर से गेहूं का उपहार

+

†*७४७. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कनाडा द्वारा प्रस्तावित १ करोड़ डालर के गेहूं के उपहार को स्वीकार करने की शर्तों के अनुसार स्थापित प्रति-कोष का स्वरूप क्या है ; और

(ख) इस कोष का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). प्रतिकोष के अन्तर्गत वह रुपया है जो कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से अनुदान के तौर पर प्राप्त, गेहूं और अलौह धातुओं जैसी उपभोग्य वस्तुओं की जनता में बिक्री से प्राप्त होता है । जब कि ऐसी परियोजनाएं चुनने के लिए बातचीत चल रही है तब दूसरी ओर यह तय हुआ है कि निधि का कुछ हिस्सा जो १ करोड़ डालर के बराबर होगा, उच्चतर प्रौद्योगिक संस्थायों के विकास के लिए रखा जायगा ।

†श्री श्रीनारायण दास : इस निधि से जो खर्च किया जायगा क्या उसकी अदायगी किसी विशेष समिति द्वारा या विभाग द्वारा ही की जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : खर्च विभिन्न परियोजनाओं पर किया जाता है और वह संबंधित विभाग नाम में डाल दिया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि वह मयूराक्षी परियोजना के लिए हो, तो वह परियोजना अधिकारियों को दे दिया जाता है । यदि वह भारत-कनाड़ा रिएक्टर के लिए हो तो वह अणुशक्ति विभाग को दे दिया जाता है ।

†श्री श्रीनारायण दास : इस निधि में से अब तक कुल कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†श्री ब० रा० भगत : प्रतिकोष में से हमने अब तक ९.२४ करोड़ रुपये खर्च किये हैं ।

†श्री राधारमण: यह निधि १९५८ में बतायी गयी थी और उपमंत्री ने बताया कि किन-किन परियोजनाओं पर यह निधि खर्च की जाय इस विषय में बातचीत चल रही है । ये परियोजनायें तय करने में कितना समय लगेगा औ क्या कोई परियोजना शीघ्र ही तय होने वाली है ?

†श्री ब० रा० भगत : कोई देर नहीं है । यह निधि बराबर जारी है । जब कभी अलौह धातु और गेहूं जैसी उपभोग्य वस्तुएं जनता में बेचकर हमें रुपया मिलता है तो वह निधि में जोड़ दिया जाता है । दूसरी ओर हम निधि में से रुपया खर्च भी कर रहे हैं । जैसा कि मैंने बताया, हम ९.२४ करोड़ रुपया पहले ही खर्च कर चुके है । १ करोड़ डालर नियत कर दिये गये हैं और हम संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से ब्यौरे तैयार कर रहे हैं । दूसरी योजनाएं भी जारी हैं । कोई विलंब नहीं हुआ है ।

†श्री राधारमण : माननीय उप मंत्री ने बताया कि अलौह धातु और उपभोग्य वस्तुओं के रूप में निधि का उपयोग किया जायगा । उपभोग्य वस्तुओं के अन्तर्गत कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूं ।

†श्री ब० रा० भगत : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : भारत में प्रतिकोष की कुल रकम कितनी है और उसमें से कितनी रकम कनाड़ा के साथ इस करार के संबंध में है ?

†श्री ब० रा० भगत : हमें कनाडा से जो अलौह धातु और गेहूं मिला है उसकी बिक्री से बनाये गये प्रतिकोष के संबंध में यह प्रश्न है । अभी ३४·०९ लाख रुपये की कुल निधि उपलब्ध है ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : प्रतिकोष निधि की केवल कनाडा से ही नहीं अपितु अमरीका से भी प्राप्त हुई है । उसमें से कितनी कनाडा की है ?

†श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न कनाडा के बारे में है । अधिक विस्तृत प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे अलग सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों को मान्यता

†*७४९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अगाडी :
श्री सुगन्धि :
श्री तंगामणि :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जुलाई, १९६० की हड़ताल के पश्चात् जिन संघों को दी गयी मान्यता वापस ले ली गई थी, क्या सरकार ने उन्हें पुनः मान्यता प्रदान कर दी गई है और

(ख) किन संघों को पुनः मान्यता प्रदान की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकारी कर्मचारियों का आचरण नियमों के नियम ४-ख के अधीन कोई कर्मचारी किसी ऐसे संघ का जिसे मान्यता न मिली हो, सदस्य नहीं बन सकता । इसलिए कुछ संघ अब काम नहीं कर सकते । क्या सरकार इस नियम को लागू करना तब तक बंद कर देगी जब तक कि पुनः मान्यता प्रदान करने का प्रश्न अंतिम रुप से तय नहीं हो जाता ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : किसी भी वर्तमान नियम को निलंबित करने का सरकार का विचार नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभी एक दिन आपने यह निर्णय दिया था कि व्यक्तिगत मामल इस सभा में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा और कर्मचारियों के लिए सामान्य मार्ग बन्द कर दिये जाने पर उससे बड़ी असुविधा हो रही है और उसे देखते हुए .....

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल इस सभा में । मैंने यह कभी नहीं कहा कि माननीय सदस्य मंत्री को नहीं लिख सकते ।

†**श्री नाथ पाई** : ये सामान्य मार्ग हैं और यह बहुत नाजुक मामला है । उस हड़ताल में भाग लेने के कारण जिसे अध्यादेश में गैर-कानूनी घोषित किया गया था, संघों की मान्यता वापस ले ली गयी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मादनीय सदस्य तर्क कर रहे हैं । प्रश्न क्या है ?

†**श्री नाथ पाई** : प्रश्न आ रहा है और इस प्रश्न की भूमिका आवश्यक है क्योंकि बड़ा अस्पष्ट उत्तर दिया गया है कि "नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता" । अब इस तथ्य को देखते हुए कि व्यापार संघों को हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण काम करना है और मान्यता न दिये जाने के कारण काफी कठिनाई हो रही है, क्या सरकार इस विषय पर शीघ्र विचार करेगी ? क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस वक्तव्य की ओर भी दिला सकता हूं जो उन्होंने परामर्श दातृ समिति के समक्ष दिया था कि व्हिटले परिषद् बनायी जायेगी ? यदि वह बनायी जानी है तो पुराने और प्रचलित संघों की मान्यता न रहने पर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त** : इस विषय पर सक्रिय विचार हो रहा है और मान्यता की शर्तों के भी नियम होंगे। जब वह हो जायगा तब तत्कालीन कुछ संघों से उचित मान्यता ले ली जायगी।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : कुछ संघों से मान्यता वापस ले लेने के बाद वे संघ उच्च न्यायालय में गये और न्यायालय ने मालिक के अर्थात् रेलवे के विरुद्ध आदेश जारी किया है। अब इसका क्या कारण है कि जब न्यायालय लेख (रिट) जारी कर चुका है तब सरकार उन संघों को जो काम कर सकते हैं, सामान्य सुविधाएं नहीं दे रही है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे किसी उच्च न्यायालय से कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : रेलवे ने पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ को एक नोटिस देकर उसकी मान्यता छीन ली थी। तब संघ ने एक याचिका देश की और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रलवे के आदेश के विरुद्ध लेख जारी किया है। उसके बावजूद सरकार संघ को साधारण रूप से काम करने के लिए सामान्य सुविधाएं नहीं दे रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सीधे सीधे प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री उत्तर दे चुके हैं कि उन्हें ऐसी कोई नोटिस या लेख (रिट) प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य कहते हैं कि पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक लेख जारी किया है। क्या माननीय मंत्री के पास वह है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यक हुआ तो मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि इस प्रकार के अनेक मजदूर संघ, जिनमें से जबलपुर के सम्बन्ध में खुद मेरा तजुर्बा है, इस हड़ताल के असफल होने के बावजूद अभी तक अपने इस प्रकार के देशद्रोह के कामों को जारी रक्खे हुए हैं, और ऐसी हालत में क्या सरकार इस बात का निर्णय कर लेगी कि जिन मजदूर संघों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से इस हड़ताल को प्रोत्साहन दिया था, उनको हर्गिज मान्यता न दी जाय?

†**श्री नाथ पाई** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को संघ देशद्रोही कामों में भाग ले रहे हैं ऐसे आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार के पास एक कानून है जो वह लागू कर सकती है और यह देख सकती है कि कोई भी उस प्रकार की कार्यवाहियों में भाग न ले। यह दूसरी बार ऐसा आरोप किया जा रहा है। हम धोखेबाजी का आरोप सुनते हुए यहां चुप नहीं बैठ सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह माननीय सदस्य ने ही शुरू किया है। (**अन्तर्बाधा**) माननीय सदस्य अपनी जगह बैठें। जब एक माननीय सदस्य भाषण देने और सुझाव देने के लिए यह अवसर काम में लाते हैं तो कोई दूसरा माननीय सदस्य भी यह सुझाव दे सकता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री नाथ पाई** : वह सुझाव दे सकते हैं किन्तु दोषारोप नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई दोषारोप नहीं है । माननीय सदस्य के कथनानुसार कुछ संघ देशद्रोही कामों में लगे हुए हैं । कोई भी व्यक्ति दुनिया के सभी आदमियों के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा सकता । इसलिए माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिये । एक दूसरे सदस्य ने यह भी कहा है कि उन्हें मान्यता दी जानी चाहिये । मैंने इस सदन में दोनों दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जाने के लिए अनुमति दी है । फिर भी यह आश्चर्य है कि माननीय सदस्य अपना दृष्टिकोण तो रखना चाहते हैं किन्तु उसी विषय में दूसरे सदस्यों को अपना दृष्टिकोण नहीं रखने देते ।

†**श्री हेम बरूआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु । आपने यह निर्देश दिया था कि प्रश्न काल में भाषण नहीं दिया जाना चाहिये । क्या आप इस आशय का भी निर्देश देंगे कि देशद्रोह आदि के आरोप किसी के विरुद्ध न लगाये जायें ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : अध्यक्ष के निर्देश पर औचित्य प्रश्न कैसे हो सकता है ?

†**श्री रंगा** : आरोप लगाने का प्रश्न कहां है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब श्री नाथ पाई ने बीच में हस्तक्षेप किया, तब उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है । तब माननीय गृहमंत्री ने बताया कि सरकार और माननीय गृहमंत्री इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं । इतने से श्री नाथ पाई को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि यही एक मार्ग है जिससे व्यक्तिगत मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाता है और जब यह मार्ग बन्द कर दिया जाये तो फिर क्या किया जाये । इस पर दूसरे माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि मान्यता देने के विषय में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । पहले किसी समय माननीय मंत्री ने कहा था कि हिंसात्मक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्तियों अथवा समुदायों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये । उन्होंने इतना ही कहा है, और कुछ नहीं । अब हम आगे बढ़ें ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : गृहमंत्री ने अभी बताया कि इस विषय पर सक्रिय विचार हो रहा है । यह विचार कब तक समाप्त हो जायेगा ? क्या कोई सीमा, १ महीने, २ महीने या ३ महीने, कुछ सीमा होगी जिसके भीतर ही निर्णय किया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं निर्णय में देर नहीं लगाना चाहता । किन्तु मैं ठीक ठीक तारीख नहीं बता सकता कि विचार कब समाप्त हो जायेगा । जितनी जल्दी हो सके हम सारा मामला निबटाना चाहते हैं ।

†**श्री त्यागी** : मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । विद्रोहकारी जैसे संगठनों के बारे में सरकार की क्या स्पष्ट नीति है, उन्हें मान्यता दी जाती है अथवा नहीं ? जब मंत्री महोदय ने आदेश दिया और इन संगठनों की मान्यता वापिस ले ली, तब मुझे विश्वास है कि उन्होंने काफी सोच समझ के बाद ही वैसा किया होगा । अब यह क्या बात है कि इस प्रश्न पर फिर सक्रिय विचार कर रहे हैं ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसी खास प्रश्न पर सक्रिय विचार कर रहा हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमन्, गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण मान्यता वापिस ले ली गई थी, देशद्रोही कार्यवाहियों के कारण नहीं । इसका अर्थ यह होता है कि हम देशद्रोही कार्यवाहियों के अपराधी हैं । श्रीमन्, आप हमारा समर्थन करें । इस तरह के अत्यन्त गम्भीर और खतरनाक

---

†मूल अंग्रेजी में

दोषारोप नहीं किये जाने चाहियें। आप मूलभूत बातें नहीं जानते इसलिए आप सुनें। मान्यता किसी देशद्रोही कार्यवाही के कारण वापिस नहीं ले ली गयी थी। उसका कारण यह था कि वर्तमान विधि के अधीन हड़ताल गैर-कानूनी घोषित कर दी गयी थी। गैर-कानूनी होना और देशद्रोह ये दो बिल्कुल भिन्न भिन्न बातें हैं और श्री त्यागी जैसे वरिष्ठ सदस्य को यह अन्तर जानना चाहिये (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय पर अधिक चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य केवल यही देखना चाहते हैं कि इन संघों को पुनः मान्यता प्रदान की जाये। माननीय गृह मंत्री इस विषय पर विचार कर रहे हैं और वे कहते हैं कि यथाशीघ्र वे ऐसा करेंगे। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री त्यागी** : मुझे सन्देह है कि उन्होंने ऐसा करने का वचन नहीं दिया है। वह केवल विचार कर रहे हैं ..... (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उसमें कोई संदिग्धता नहीं है। साधारणतया मैं संदिग्ध वक्तव्य देकर सभा के किसी दल को भ्रम में नहीं डालना चाहता। मैंने यही कहा था कि सरकार और उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार हो रहा है। उसमें उन शर्तों का प्रश्न भी शामिल है जिन पर मान्यता दी जानी चाहिये। जब इन प्रश्नों का निबटारा हो जायेगा तब हम देखेंगे कि किन मामलों में मान्यता पुनः प्रदान की जानी चाहिये। मैं पहले भी यह बता चुका हूं कि यद्यपि हम मान्यता वापिस ले लेने का आदेश दे रहे हैं फिर भी हम यह देखेंगे कि ये संघ किस प्रकार बर्ताव करते हैं और तब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे। इसलिये मैंने उस समय जो कुछ कहा था और अब जो कुछ कहा है उसमें कोई असंगति नहीं है (**अन्तर्बाधा**)

श्री तंगामणि और श्री राजेन्द्र सिंह उठे—

अध्यक्ष महोदय : श्री तंगामणि।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : हमें कोई आपत्ति नहीं है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, मैंने श्री तंगामणि को पुकारा है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : ** ** **

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें शान्त रहने के लिये कहने के बाद माननीय सदस्य द्वारा कहा गया एक भी शब्द इस अभिलेख में शामिल न किया जाये।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : ** ** **

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैंने उन्हें बता दिया है कि यदि जरूरी हुआ तो मैं उन्हें पुकारूंगा। माननीय सदस्य कभी कभी ही यहां आते हैं और एक ही दिन सभी प्रश्न पूछ लेना चाहते हैं क्योंकि वह अन्य दिन अनुपस्थित रहते हैं (**अन्तर्बाधा**)। श्री तंगामणि।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अधीन, नियम ४ख संघों पर लागू नहीं होगा और वह केवल असोसियेशनों पर ही लागू होगा; यदि हां, तो क्या नियम ४ख के वे उपबन्ध जो अब संघों पर लागू नहीं होते असोसियेशनों पर भी लागू किये जायेंगे? क्या सरकार मान्यता वापिस लेना प्रारम्भ करने से पहले विभिन्न संघों को दी गयी मान्यता की शर्तों में कोई परिवर्तन करने जा रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष महोदय के आदेश से यह अंश निकाल दिया गय।

†**श्री गो० ब० पन्त**: जैसाकि मैंने बताया, मान्यता की शर्तों और दशाओं का विषय विचाराधीन है। तब इन सभी विषयों पर विचार किया जायेगा।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य जब चाहें तब उठ कर प्रश्न पूछते हैं। मैंने और सदन ने काफी बर्दास्त किया है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

राजा महेन्द्र प्रताप : ** ** **

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मेरे न बुलाने तथा उन्हें यह बताने के बावजूद भी कि मैं उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं. माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उसका एक शब्द भी अभिलेख में शामिल नहीं किया जायेगा। उनके टिप्पण अभिलेख से निकाल दिये जायेंगे। माननीय सदस्य को न बोलने के लिए मेरे कहने के बावजूद भी यदि वह बोलते जायें तो यही दंड होगा कि वह भाग अधिकृत अभिलेख में नहीं रहेगा और न ही वह समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायगा। वह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यह पहला दंड है किन्तु उसके बाद भी वह आग्रह करते हैं तो मुझे दूसरे दंड के बारे में सोचना पड़ेगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या यह सच है कि सरकार ने यह परिपत्र जारी किया है कि पदाधिकारी रेलवे के तथा अन्य सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों की नौकरी की हालत के बारे में संसद्-सदस्यों से मिलजुल नहीं सकते ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : वह एक सामान्य नियम है। मैं नहीं जानता कि इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया गया है कि सरकारी कर्मचारी अपनी पदवृद्धि, बर्खास्ती या अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही जो नौकरी के मामलों से सम्बन्धित हो, के बारे में संसद् के माननीय सदस्यों को कष्ट दें। मैं इस बारे में बहुत सहनशील रहा हूं और मैंने संसद्-सदस्यों के प्रत्येक पत्र का उत्तर दिया है और नियम के विरुद्ध किया है। मैं समझता हूं कि मुझे वह बन्द कर देना होगा।

†**श्री एंथनी पिल्ले** : माननीय मंत्री ने कहा था .....

सेठ गोविन्द दास उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने श्रम सम्बन्धी विषयों में कभी दिलचस्पी नहीं ली है। वह मुझे अन्य सदस्यों को अवसर देने दें।

†**सेठ गोविन्द दास** : मैं उसके बारे में हर बात जानता हूं। मैंने उसमें भाग लिया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जबलपुर में उनका नियंत्रण नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, इस सभा में कौन क्या है इसका निर्णय मुझे करना है। श्री एन्थनी पिल्ले।

---

†मूल अंग्रेजी में

****अध्यक्ष के आदेश से यह अंश निकाल दिया गया।**

†श्री एंथनी पिल्ले : माननीय मंत्री ने कहा था कि वह शीघ्र निर्णय करना चाहते हैं और निर्णय में देर नहीं होगी । तो अब किन कारणों से उनके निर्णय में देर हो रही है क्योंकि मान्यता वापिस लेकर पांच महीने बीत चुके हैं और यदि समय पर ही उन्हें फिर मान्यता प्रदान न की जाये तो इनमें से अधिकांश संघ मर जायेंगे क्योंकि अनेक संघों के विधान में यह उपबन्ध है कि छः महीने के अन्दर उनका नवीकरण न होने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है ।

†श्री गो० ब० पन्त : सभी संघों से मान्यता वापिस नहीं ले ली गई है । अनेक संघ आज भी हैं । और काम कर सकते हैं । जहां तक पांच या चार या तीन महीनें का प्रश्न है, इस प्रश्न पर सक्रिय विचार किया जा रहा है । माननीय सदस्य मेरे इस कथन के लिये मुझे क्षमा करेंगे कि इन मामलों की पेचीदगियां, उलझनें और परिणाम को वह पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मान्यता वापिस ले लेने से संघ के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की प्रणाली या माहवार बैठकें भी बंद हो गयी हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक व्हिटले परिषद् का विधान अंतिम रूप से तैयार नहीं हो जाता, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जानी चाहिये अथवा नहीं ताकि मान्यता के बिना भी इकट्ठी शिकायतों पर यथोचित चर्चा की जा सके ?

†श्री गो० ब० पन्त : उन संघों के सम्बन्ध में जिनकी मान्यता वापिस ले ली गयी है या जिन्हें अभी भी मान्यता प्राप्त है उनके सम्बन्ध में ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं । वह अस्थायी मान्यता चाहते हैं जब तक कि अन्तिम मान्यता नहीं दी जाती । बात यह है कि जिन संघों को अभी भी मान्यता प्राप्त है वे वैसा कर सकते हैं । लेकिन उनका सुझाव है कि जब तक अन्तिम मान्यता नहीं दी जाती तब तक उन संघों को जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है या जिनकी मान्यता वापिस ले ली गयी है, संघ की ओर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिये । इसका अर्थ यह है कि तुरन्त वह नियम निलंबित कर दिया जाये और उन लोगों को बातचीत करने दिया जाये ।

†श्री नाथ पाई : वह एक मार्ग है ।

†श्री गो० ब० पन्त : वह मान्यता वापिस ले लेने की कल्पना से संगत नहीं होगा ?

सेठ गोविन्द दास : मैं यह पूछना चाहता था कि . . .

†अध्यक्ष महोदय : जिन शब्दों का गलत अर्थ समझा जाये, ऐसे शब्दों के प्रयोग से कोई लाभ नहीं । अन्य शब्दों का प्रयोग करके भी वह उतनी ही जोरदार बात कह सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह पूछना चाहता था कि जब इस प्रकार के मज़दूर संघों की मान्यता बहुत सोच-विचार के बाद रद्द की गई है और जब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं कि अभी तक इस प्रकार के मज़दूर संघों का वही रवैया है, जो कि स्ट्राइक के समय था, तब इस मान्यता के विषय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी गई है ।

†अध्यक्ष महोदय : ये दोनों ओर के सुझाव हैं । जब कभी माननीय मंत्री निर्णय करें और सभा यह कहने का अवसर चाहे कि निर्णय ठीक नहीं है और कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिये तब मैं सेठ गोविंद दास को बुलाऊंगा और वे वैसा कह सकते हैं । दूसरे लोग जो संतुष्ट न हों, उन्हें भी मैं अवसर दूंगा । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई अंश वाद-विवाद से निकाल देने की प्रक्रिया के बारे में

†**श्री ब्रज राज सिंह** : पहले एक दिन और आज भी आप ने यह कहा था कि राजा महेन्द्र प्रताप ने जो कुछ कहा उसमें से एक भी शब्द समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि यह नियमों की एक व्याख्या है, आप नियमों के परिवर्तन करने के बारे में विभिन्न दलों की राय ले लें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। कोई भी असंसदीय बात वाद-विवाद से निकाल दी जा सकती है। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि कोई भी माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति, अर्थात् जब तक मैं उन्हें न पुकारूं तब तक बोल नहीं सकते या प्रश्न नहीं पूछ सकते। फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य न रुके और अपनी बात कहते जायें तो क्या मैं उन्हे वैसा करने दूं इसके सिवा कि मैं यह आदेश दूं कि वह अंश अभिलेख में शामिल न किया जाये, और दूसरा कौनसा रास्ता मेरे लिये है ? यदि कोई सदस्य असंगत बातें करते हैं तो मैं उनकी बातें निकाल दे सकता हूं। उल्लिखित माननीय सदस्य की बातें असंगत हैं क्योंकि मैंने उन्हें पुकारा नही था इसलिये मैंने यह आदेश दिया कि उनका कथन अभिलेख का अंश नहीं रहेगा। अन्यथा मैं नहीं समझता कि सदन में व्यवस्था किस प्रकार कायम रखी जाये। माननीय सदस्य इस पर विचार करें। जहां कोई नियम न हो, उसके लिये प्रक्रिया नियम के अन्त में एक नियम है कि मैं शांति बनाये रखूं। मैं माननीय सदस्य श्री ब्रज राज सिंह के प्रश्न का स्वागत करता हूं। यदि वह मुझे बतायें कि मैं और किस तरह काम करूं, तो मुझे वैसा करने में आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा करने में बड़ा कष्ट होता है।

†**श्री नाथ पाई** : राजा महेन्द्र प्रताप कुछ कम सुनते हैं और इसलिये वे बोलते जाते हैं। जब तक कोई उन्हें बताता नहीं तब तक वे बोलते जाते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है। वह उन सदस्यों में से एक हैं जिनका सब से अच्छा बर्ताव है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उनसे कोई शिकायत नही है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं। माननीय सदस्यों ने देखा है कि वह किस प्रकार बीच में हस्तक्षेप करते हैं। क्या इस प्रकार बीच में टोकना ठीक है ?

†**श्री हेम बरूआ**: औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमन्। आपने यह निर्णय दिया था कि असंसदीय बातें सभा की कार्यवाही से निकाल दी जायेंगी। यह एक बात है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे उद्धरण निकाल देने के बारे में जिन्हें आपने असंसदीय समझा हो, आदेश आपने अपने चेम्बर से ही, और न कि सदन में, जारी किये।

†**अध्यक्ष महोदय**: चूंकि आप ने यह बात उठायी है मैं यह बता दूं कि जो प्रक्रिया अपनायी जाती है वह यह है : मैं सामान्यतया सदन में हीं, जो अंश निकालना होता है निकाल देता हूं। सदन में जो कुछ निकाल दिया जाता है वह माननीय सदस्यों को मालूम हो जाता है। किन्तु कुछ दूसरे लोग भी सभापति पद ग्रहण करते हैं, जैसे उपाध्यक्ष या और कोई। बाद में, कार्यवाही का विवरण मेरे पास भेजा जाता है। नियमों के अधीन, मुझे उसमें से कोई अंश निकाल देने का अधिकार होता है। जब कभी मैं अपने चेम्बर में कोई अंश निकाल देता हूं तो निकाल दिया गया अंश तुरन्त नोटिस आफिस में रखवा देता हूं और यदि संबंधित माननीय सदस्य कहते हैं कि वह भाग नहीं निकाला जाना चाहिये तो मैं उस पर विचार करता हूं। भविष्य में यदि मुझे कोई अंश अपने चेम्बर में ही निकाल देने की जरूरत होगी तो मैं माननीय सदस्य को बुलवा लूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं अमुक अंश

---

†मूल अंग्रेजी में

निकाल देना चाहता हूं। यदि हम संतुष्ट हो जायें तो मैं वैसा करूंगा। अभी तक हम यह प्रथा अपनाते रहे हैं कि जो अंश निकाला गया हो उसकी एक प्रति नोटिस आफिस में रख दी जाती है। इसके आगे अब मैं माननीय सदस्यों को सूचित किये बिना कोई अंश नहीं निकाल दूंगा जब तक कि वह बिलकुल ही असंसदीय न हो। इसके बाद भी मैं उन्हे अवसर दूंगा। उन्हें कोई शिकायत क्यों रहे ?

†**श्री हेम बरूआ** : पहले एक बार ....

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले की बातें कहने से कोई लाभ नहीं। इसके बाद मैं ऐसा ही करूंगा।

†**श्री ब्रज राज सिंह**: आपने समाचार पत्रों को आदेश दिया था कि वे कुछ न प्रकाशित करें। क्या यह संभव नहीं होगा कि आप केवल कह दें और समाचार पत्र अपने आप ही देख लें कि उसे प्रकाशित करना ठीक है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बिल्कुल नहीं। तब तो मेरे द्वारा कोई अंश निकाल देने से कोई लाभ नहीं। यहां यह देखना मेरा काम है कि सभा की कार्यवाही अभिलेख में शामिल हो। यह कोई सार्वजनिक सभा नहीं है जिसके बारे में कोई समाचार प्रकाशित करना समाचार पत्रों की इच्छा पर निर्भर होता है। इस सदन की कार्यवाही के तौर पर मैं समाचार पत्रों को वे अंश जो निकाल दिये गये हों, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि मैं कोई अंश निकाल दूं तो क्या यह ठीक है कि वे उसे प्रकाशित करें मैं किसी माननीय सदस्य से कहता हूं कि वे न बोलें और फिर भी वे बोलते रहते हैं तो फिर मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं है। दूसरा रास्ता यह है कि मैं उन्हे सदन से चले जाने के लिये कहूं। वह तो अंतिम रास्ता है। इस बीच यदि वे बोलते रहते हैं और वह चीज अभिलेख में शामिल हो जाती है तो उन्हें चुप करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिये यही ठीक रास्ता है। मैं उन्हें कोई बहुत अधिक दण्ड नहीं दे रहा हूं। अगला प्रश्न।

भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण

+

†*७५०. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री उस्मान अली खां :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण सम्बन्धी एक प्रस्थापना राज्य सरकारों को, उनके विचार जानने के लिये, भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के क्या विचार प्राप्त हुये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार इस विषय पर अभी राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी: मैं जानना चाहता हूं कि निर्देश पद क्या हैं और क्या इस प्रयोजन के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है अथवा केन्द्रीय क्या सरकार राज्य क्या सरकारों की सिफारिश के अनुसार काम करेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : यह प्रस्थापना कुछ समय से केन्द्रीय सरकार के सामने है। जहां तक मुझे याद है, मैं समझता हूं कि हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनौपचारिक रूप से परामर्श किया है। अब इस प्रश्न पर पूरे विचार के बाद और केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशो पर भी विचार करने के बाद, वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयो ने एक प्रस्थापना तैयार की है। यह प्रस्थापना राज्यों को विचारार्थ भेज दी गयी है। उनकी राय मालूम होने के बाद ही कोई निर्णय किया जायगा ।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

*७५१. +श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री ० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को किस हद तक शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है इस बात की जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट का सारांश सभा-पटल पर रखा जयेगा ; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में नियुक्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी ३० और ३१ दिसम्बर १९६० को होने वाली बैठक में विचार करेगा तथा उसके बाद ही आयोग विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रिपोर्ट पर विचार होने के पश्चात् उसकी प्रति पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : इस कार्यकारी दल ने जो सिफारिशें की हैं, उन के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो निर्णय करेगा वह अन्तिम होगा या उस पर फिर मंत्रालय विचार करेगा और तब वह कार्यान्वित किया जायगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह वर्किंग ग्रुप युनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन ने नियुक्त किया था, इसलिए उसी का जो कुछ निर्णय होगा, अन्तिम होगा। लेकिन जहां तक नीति का सम्बन्ध है, भारत सरकार की नीति का सम्बन्ध है, उसको मैं कितनी ही बार इस हाउस में स्पष्ट कर चुका हूं और कह चुका हूं कि भाषा का माध्यम प्रान्तीय भाषाएं या प्रादेशिक भाषायें होनी चाहियें और हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके उस को कार्यान्वित किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन: कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि अंग्रेज़ी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद करने की व्यवस्था की जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली: इस में काफी प्रगति हुई है । पुस्तकों का अनुवाद होना शुरू हो गया है और एक आध पुस्तक निकल भी गई है । सब युनिवर्स्टीज़ को, राज्य सरकारों को हमने लिख दिया है कि वे अपने अपने यूनिट्स कायम करें, उस का पूरा खर्चा भारत सरकार देगी, इन पुस्तकों का ट्रांस्लेशन और उनको हिन्दी में लिखवाने का ।

श्री ब्रजराज सिंह : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चूंकि यह कार्यकारी दल यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन ने मुकर्रर किया था इसलिये इसकी रिपोर्ट पर निर्णय लेने का अधिकार यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन को ही है, सरकार या इस सदन को नहीं है । चूंकि इस कार्यकारी दल की जो टर्म्स आफ रेफ्रेंस हैं, वे इतनी महत्वपूर्ण हैं, उनसे सारे देश की नीति का सम्बन्ध है, मैं आप के द्वारा यह जानना चाहता हूं कि क्या मिनिस्टर साहब को यह कहने का अधिकार है कि जो नीति होगी उस को यह एक कार्यकारी दल ही निश्चित कर देगा या यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन ही निश्चित कर देगा और सरकार को या इस सदन को कोई अधिकार नहीं होगा ? यह जो भाषा का माध्यम निर्धारित करने का सवाल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह निर्धारित नीति के अनुसार ही तय होनी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे प्रश्न मानूंगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने उत्तर को ठीक तरह से नहीं समझा है । मैंने यह कहा था कि यह कार्यदल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था, इसलिये इस बारे में केवल वह आयोग ही निर्णय कर सकता है । यह समिति सरकार द्वारा नियुक्त नहीं की गई है । जहां तक सरकारी नीति का सम्बन्ध है, उस के बारे में हम कई बार घोषणा कर चुके हैं और सभा में भी मैं कई बार घोषित कर चुका हूं कि सरकारी नीति यही है कि प्रादेशिक भाषाओं को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाये और इस सम्बन्ध में हर संभव यत्न किये जायें । मैंने एक सदस्य के उत्तर में भी बताया है कि हम ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ भी कर दी है । हम प्रामाणिक किताबों के हिन्दी में अनुवाद करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों को अनुदान दे रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बात का निर्णय करने का अधिकार है कि किस-किस भाषा को अपनाया जाये और किस-किस को छोड़ दिया जाये और माननीय मंत्री का यह कहना है कि उन्होंने सरकारी नीति घोषित कर दी है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस सरकारी नीति को अपनाने की बजाय एक समिति नियुक्त कर दी है और माननीय मंत्री का सभा में यह कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही इस बारे में निर्णय करेगा । परन्तु माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार की इस घोषित नीति को देखते हुए भी इसके बारे में विचार करने के लिये अपनी ओर से एक अलग समिति नियुक्त करे । क्या वह आयोग इस बारे में अपनी ओर से कोई निर्णय कर सकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकारी नीति को नहीं अपनाता तो सरकार आयोग को निदेश भेज सकती है, परन्तु अभी तक वह मौका नहीं आया है । इस रिपोर्ट पर अभी आयोग को विचार करना है । विचार करने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा

†मूल अंग्रेज़ी में

सकेगी। अभी तक इस सम्बन्ध में सरकार और आयोग में कोई विवाद नहीं है। दोनों ही इस नीति से सहमत हैं कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को अपनाया जाये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरा प्रश्न यह है कि जब भारत सरकार की इस सम्बन्ध में एक घोषित नीति है तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इस सम्बन्ध में कोई अधिकार है कि वह इस बारे में विचार करने के लिये एक अलग समिति नियुक्त कर के सरकारी नीति के विरुद्ध अपना अलग निर्णय दे सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न अब यहां उत्पन्न नहीं होता। जब आयोग उस समिति से सिफ़ारिश प्राप्त कर लेगा और मंत्रालय इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अनुमति मांगेगा उस समय हम इस बारे में विचार कर लेंगे कि क्या उन्हें कार्यान्वित करना शक्ति परस्तात है या शक्ति के अन्दर है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : २९ अगस्त को एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि कुछ एक विश्वविद्यालयों जैसे कि बिहार विश्वविद्यालय में प्रादेशिक भाषा को अपना भी लिया गया है, तो उन विश्वविद्यालयों का अनुभव क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे तो यही ज्ञात हुआ है कि उन विश्वविद्यालयों को इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि विश्वविद्यालयों में माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने की नीति के अनुसरण में प्रामाणिक पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी उन के अनुवाद किये जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां। इस कार्य दल की रिपोर्ट आ जाने के बाद इस बात पर भी विचार किया जायेगा। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, क्योंकि इस बारे में हमारी सीधी जिम्मेदारी है, इसीलिये हम ने इस बारे में तो कार्यवाही शुरू कर दी है। वह रिपोर्ट प्राप्त होते ही अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पंजाब में विश्वविद्यालय के स्तर पर पंजाबी को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिये पंजाबी भाषा का विकास करने के लिये एक पंजाबी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। क्या अन्य प्रान्तों में भी प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये इसी प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इस समय हिन्दी में अनुवाद किये जा रहे हैं और कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अन्य भाषाओं में भी अनुवाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। क्या अन्य भाषाओं की पुस्तकें हिन्दी में अनुदित पुस्तकों के अनुवाद होंगे या कि वे सीधे ही अंग्रेज़ी से उन भाषाओं में अनुवाद किये जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा भी सुविधाजनक हो सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि कार्यदल की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? क्या उन्हें इस बात का कोई अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : दल ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेज दी है और आयोग उस पर विचार कर रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आयोग इस बारे में कब तक निर्णय कर लेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ३० और ३१ दिसम्बर, १९६० को एक बैठक होने वाली है । अतः जब तक आयोग उस पर विचार न कर ले, वह अपना निर्णय नहीं बता सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर माननीय मंत्री इस निर्णय को सभा-पटल पर रख दें । तो मैं इस बारे में चर्चा के लिये फिर अनुमति दे दूंगा ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

+

†*७५२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के कोयला-क्षेत्र की छः संस्थाओं में राष्ट्रीय अनुशासन योजना चालू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब चालू किया गया था ;

(ग) कोयला खनिकों के कितने बच्चों को नेतृत्व और अनुशासन का प्रशिक्षण दिया गया है ;

(घ) बच्चों की वर्दियों का खर्च कौन उठाता है ;

(ङ) क्या इस योजना को पश्चिम बंगाल और बिहार के अन्य कोयला क्षेत्रों में भी चाल किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो कब से ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) यह योजना पश्चिमी बंगाल के कोयला क्षेत्रों में ७ संस्थाओं में लागू की जा चुकी है ।

(ख) छः स्कूलों में यह जनवरी, १९५९ में और एक में हाल ही में लाग की गई है ।

(ग) ९०० ।

(घ) यह खर्च कोयला खान कल्याण आयुक्त, धनबाद द्वारा वहन किया जा रहा है ।

(ङ) पश्चिमी बंगाल––जी, हां ।

बिहार––अभी विचाराधीन है ।

(च) मार्च-अप्रैल, १९६१ तक ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन संस्थाओं को इस सम्बन्ध में कोई विकल्प प्राप्त है कि वे राष्ट्रीय अनुशासन योजना पर बालचर प्रशिक्षण में से किसी भी योजना को अपना सकते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या यह योजना केवल कोयला खान क्षेत्रों तक ही सीमित है या कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं । इस प्रश्न का सम्बन्ध कोयला खान क्षेत्रों से है । अब इस योजना को देश के विभिन्न भागों में लागू किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन: मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या इसको कोल फील्ड्स में ही लागू करने को कहा है या उसने इस तरह की भी कोई प्रार्थना की है कि इसको और स्कूलों में भी लागू किया जाए और यदि की है, तो उसके लिए क्या सहायता की जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली: वहां तो और स्कूलों में भी चल रहीं है, लेकिन यह प्रश्न तो केवल इस कोल माइन्स एरिया का था और इस में जो कोल माइन्स वेलफेअर कमिश्नर हैं उन्होंने खास तौर पर दरखवास्त की थी इस लिये इस योजना को वहां भी लागू किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

धुले हुए कोयले का उत्पादन

†***७४८. श्री प्र० गं० देव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कोयला साफ करने के कारखाने में अब तक कुल कितना कोयला साफ किया गया ; और

(ख) अब इसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ३० नवम्बर, १९६० तक १८,७५० रुपये ।

(ख) धुला हुआ कोयला बरकार और दशेरगढ़ के बिना धुले कोयले में मिला दिया जाता है और दुर्गापुर इस्पात परियोजना की कोक भट्ठी में इस्तेमाल किया जाता है ।

शस्त्र नियम

†

†***७५३.** { **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले शस्त्र नियमों के बारे में किन-किन राज्यों ने अभी तक अपने विचार नहीं भेजे हैं; और

(ख) इन नियमों के कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) गुजरात और मद्रास सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) शस्त्र नियम बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। परन्तु उन्हें अन्तिम रूप से तैयार करने में कुछ समय लग जायेगा ।

इस्पात संयंत्रों का प्रबन्ध

†*७५४. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी, ब्रिटिश और रूसी विशेषज्ञों के दलों ने, जो रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई के इस्पात संयंत्रों में कार्य-व्यवस्था और प्रबन्ध की जांच कर रहे थे, अपनी अन्तिम सिफारिशें दे दी हैं, ; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात, संयंत्रो की वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). फ्रांसीसी दल, जो रूरकेला गया था, ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । ब्रिटिश दल ने दुर्गापुर के सम्बन्ध में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट भेज दी है । रूसी विशेषज्ञ भिलाई के सम्बन्ध में इस प्रकार से सहायता कर रहे हैं । भिलाई के लिये रूस से उच्चकोटि के विशेषज्ञ बुलाने का विचार है । इन विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करके उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य जारी है ।

राज्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

†*७५५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए इस वर्ष कोई सहायता मांगी है, और यदि हां, तो किस किस्म की सहायता मांगी तथा दी गयी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने और उनकी सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए क्या अतिरिक्त व्यय किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती इन्दिरेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां । राज्य सरकारों से केन्द्रीय सहायता के लिये प्रार्थनायें प्राप्त हुई है ताकि वे अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा कर अपने कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रमों के अन्तर को कम कर सकें । राज्य सरकारों को केवल अल्प वेतन के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के राज्यों को दी जाने वाली सहायता की केन्द्रीय योजना के अधीन स्वीकृत सहायता ही दी जा सकती है । इस योजना के क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी २४-४-५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३४८४ के उत्तर में दे दी गयी थी ।

(ख) भारत सरकार का मुख्य रूप से इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज

†*७५६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज की स्थापना के बारे में अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर कोई फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में रूरकेला में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है । उस कालेज में इंजीनियरिंग में डिग्री का कोर्स प्रारम्भ किया जायेगा और प्रति वर्ष २५० विद्यार्थियों को दाखिल किया जा सकेगा ।

आवेदन पत्रों को आगे भेजना

†*७५७. **श्री इन्द्रजी गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १११८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और प्रविधिक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के अन्य स्थानों पर नौकरियों के लिये आवेदन पत्रों को आगे भेजने के बारे में कोई हिदायतें दी गयी हैं ;

(ख) इन नियमों को किस रूप में अधिक लचकीला बनाया गया है; और

(ग) क्या कोई ऐसी शर्तें निर्धारित की गयी हैं जिनसे आवेदन पत्र भेजने के सम्बन्ध में नियंत्रण प्राधिकारी के स्वविवेक का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). स्पष्टीकरण सम्बन्धी हिदायतें इस मंत्रालय की ९ मई, १९६० के कार्यालय ज्ञापन संख्या ७०/१०/६०-एस्टेबलिशमेंन्ट (ए) में जारी की गयी थी, जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है । इन हिदायतों को सामान्य रूप से अधिक आनम्य बना दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि विभागो के अध्यक्ष इस सम्बन्ध में स्वविवेक का प्रयोग करें ।

(ग) पथ प्रदर्शक सिद्धान्त दिनांक इस मंत्रालय के २१ अक्तूबर, १९५२ के कार्यालय ज्ञापन संख्या १७०/५१ एस्टेबलिशमेंट में उल्लिखित है जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]**

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

†*७५८. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री तंगामणि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में १९६०-६१ के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन हो रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के वास्ते और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां, पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार ।

(ख) प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये उपकरणों का उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है । प्रतिरक्षा सेवाओं की विशिष्ट प्रकार की मागों को पूरा करने के लिये सहयोग के लिये विदेशी निर्माताओं से बातचीत की जा रही है । भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड का अनुसंधान और विकास सेकशन भी इस प्रयोजन के लिये नये उपकरण बना रहा हैं ।

मजगांव गोदी

†*७५९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी और भारतीय मालवाही जहाजों की मरम्मत के लिए, बम्बई स्थित मजगांव गोदी का विस्तार करने के वास्ते क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: मजगांव गोदी में मरम्मत सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें हैं और वहां पर विदेशी और भारतीय मालवाही जहाज़ों की मरम्मत का कार्य किया जा सकता है । मग मजगांव गोदी के निकट बर्थ के अभाव के कारण कभी-कभी मरम्मत का कार्य तेजी से नहीं हो पाता । गोदी के निकट इस प्रकार की मरम्मत बर्थ की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ।

दक्षिण कर्णपुर कोयला खान

†*७६०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक कोयला सर्वेक्षण सलाहकार समिति ने दक्षिण कर्णपुर कोयला खान के सुसम्बद्ध विकास की कोई प्रस्थापना रखी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का क्या ब्यौरा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(१) अरगदा और सिरका के क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कोयले का लाभ उठाना—साफ़ कोयले के चूरे को कोकिंग कोयले के साथ मिलाकर एक मिश्रण के रूप में इस्पात कारखाने में इस्तेमाल करना और साफ़ स्टीम कोल का रेलों को संभरण करना;

(२) उस क्षेत्र के कोयला धोने के कारखाने से प्राप्त दरम्याने कोयले और अन्य घटिया किस्म के कोयले को तापीय विद्युत् केन्द्रों में इस्तेमाल करना; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(३) उसी घटिया दरजे के कोयले के उपयोग से धुंआ रहित घरेलू कोयले का निर्माण करना ।

(ग) अरगदा और सिरका क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कोयले से लाभ उठाने के लिये एक कोयला धोने का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । सरकार ने एक समिति बनायी है जो कि सभी कोयला धोने वाले कारखानों से प्राप्त दरम्याने कोयले का अनुमान लगायेगी और दूसरे तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली पैदा करने के कार्यक्रम में उपयोग किये जाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी । परन्तु जब तक संसाधनों की स्थिति स्पष्ट न हो जाये तब तक घरेलू साफ्ट कोक के उत्पादन की परियोजना प्रारम्भ नहीं की जा सकती ।

इस्पात का तार

†*७६१. श्री आसर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में उच्च आतनन शक्ति के इस्पात के तार बनाने का लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस किस फर्म को दिया गया है और कितनी उत्पादन-क्षमता की मंजूरी दी गयी है; और

(ग) हमारे देश में इस की अनुमानत: कितनी खपत होती है ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]

(ग) ७००० से ८००० टन प्रति वर्ष ।

तेल के लिये पाइप लाइनें

†*७६२. श्रीमती सफीदा अहमद : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल को नाहरकटिया तेल क्षेत्र से नूनमती शोधन शाला तक ले जाने के लिए पाइप लाइनें बिछाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री डी० डे० मालवीय) : (क) (१) मार्ग.—सम्पूर्ण मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है और निशान भी लगा दिये गये हैं ।

(२) भूमि अधिग्रहण.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ के अधीन सभी अधिसूचनायें प्रकाशित कर दी गयी हैं और आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि का कब्जा लिया जा रहा है ।

(३) मुख्य लाइन का निर्माण :—नूनमती सेक्शन के लिये आवश्यक लगभग ३२,००० टन पाइप प्राप्त हो चुकी है और उसे पाइप लाइन के मार्ग के साथ-साथ रख दिया गया है । पाइप जोड़ने का कार्य १४-११-६० को नाहरकटिया से प्रारम्भ कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) ठेके और टेंडर .—सामग्री, उपकरणों और संयंत्र के लिये सभी प्रमुख ठेके और आर्डर दिये जा चुके हैं और निर्माण कार्यक्रम के अनुसार सामान की डिलिवरी का भी प्रबन्ध कर दिया गया है। औद्योगिक तथा आवास सम्बन्धी इमारतों के निर्माण के लिये भी ठेके दे दिये गये हैं और यह निर्माण-कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(ख) वर्तमान निर्माण कार्यक्रम के अनुसार नूनमती तेल शोधक कारखाने तक की पाइप लाइन दिसम्बर, १९६१ तक पूरी हो जायेगी और बरौनी तेल शोधक कारखाने तक की लाइन जुलाई-सितम्बर, १९६२ तक पूरी हो जायेगी।

भारत नेपाल सड़क

†*७६३. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमा से काठमांडू तक मोटरों के जाने योग्य जो सड़क बनाई गई थी उसके चीनियों द्वारा, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार बढ़ाने के ऊपरी उद्देश्य से, नेपाल सरकार की अनुमति से आगे उत्तर की ओर चीनी सीमा तक बढ़ाये जाने की सम्भावना है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनियों ने सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी घाटी में अपने पांव दृढ़ता से जमा लिये हैं तथा वे इन दिशाओं की ओर बड़ी सरलता से आगे बढ़ कर भारत की सीमा के लिए चिन्ता का कारण बन सकते हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

(ख) हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, परन्तु हमारा ख्याल है कि चीनी प्राधिकारी तिब्बत की चुम्बी घाटी में अभी तक जमे हुए हैं।

सामान्य निर्वाचनों में मतदान

डा० राम सुभग सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सामान्य निर्वाचनों में समस्त देश में मतदान केवल तीन दिनों में समाप्त हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन कार्यक्रम में और क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन) : (क) अभी इतनी जल्दी यह बताना कठिन है कि आगामी सामान्य निर्वाचनों के मतदान में कितना समय लगेगा। परन्तु ज्ञात हुआ है कि निर्वाचन आयोग ऐसी योजना बना रहा है कि कुछ एक बर्फीले क्षेत्रों के अतिरिक्त, शेष सम्पूर्ण देश में ५ दिनों में ही मतदान समाप्त हो जाये। बर्फीले क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी निर्वाचन आयोग कोई ऐसा उपाय सोच रहा है जिससे कि मई के प्रथम सप्ताह में वहां पर भी मतदान शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके।

(ख) फिलहाल निर्वाचन कार्यक्रम में कुछ भी परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*७६५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में उत्पादन में होने वाली उत्तरोत्तर कमी को रोक दिया गया है; और

(ख) क्या एक भट्ठी में जो नुक्स पड़ गया था, उसे दूर कर दिया गया है और भट्ठी में पूरी तरह से काम हो रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) हाल ही में रूरकेला के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है । आशा है कि कार्य अपनी निर्धारित क्षमता तक पहुंच जायेगा ।

(ख) संभवतः द्वितीय धमन भट्ठी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि भट्ठी में हवा पहुंचाने वाले पाइप के लीक हो जाने के कारण मई, १९६० में १२ दिनों के लिये बन्द कर दिया गया था । वह १२ दिन के बाद ठीक कर दिया गया था । इस समय भट्ठी में कोई भी खराबी नहीं है । परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि धमन भट्ठी अब पूर्ण क्षमता तक उत्पादन कर सकती है ।

बहुप्रयोजनीय खाद्य

†*७६६. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, मैसूर कुछ उद्योगों के सहयोग से देश में बहुप्रयोजनीय खाद्य के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं और सरकार द्वारा तथा अन्य पार्टियों द्वारा कितनी पूंजी लगाये जाने का अनुमान है; और

(घ) प्रतिदिन खाद्य का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां । एक छोटा सा कारखाना स्थापित किया गया है ।

(ख) कोयम्बटूर में ।

(ग) यह कारखाना केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था द्वारा अपने खर्च से लगभग ६ मास तक चलाया जायेगा और उसके बाद वह फर्म उस कारखाने को अपने अधीन ले लेगी और संयंत्रों आदि के खर्च के रूप में ५०,००० रुपये अदा करेगी । फर्म ने उसके लिये कुछ सुविधाएं तथा इमारत प्रदान की है ।

(घ) प्रति दिन लगभग ३ टन खाद्य का उत्पादन किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांधी नगर में तेल का सर्वेक्षण

†*७६७. श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गांधीनगर और गांधीनगर जिले (गुजरात की राजधानी का प्रस्तावित मुकाम) के किन किन स्थानों का भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) गांधीनगर और गांधीनगर जिले के किन स्थानों को तेल-छिद्रण के लिये चुना गया है ; और

(ग) छिद्रण-कार्य कब शुरू होगा और इस के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) लगभग ११० लाख मीलों के उस क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण कर लिया गया है जिस के पूर्व में नदी साबरमती है उत्तर में कलोल और पेथापुर ग्रामों के बीच में खींची हुई एक लाइन है, और पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में कलोल और चान्दखेड़ा के बीच में खींची हुई लाइन है ।

इस क्षेत्र में टेटोर, वेवल, जमैयतपुर, अदलाज, कुन्दरसन और कुछ अन्य ग्राम सम्मिलित हैं ।

(ख) गांधीनगर के पश्चिम में कलोल के निकट एक स्थान चुना गया है ।

(ग) जनवरी, १९६१ में, या यदि संभव हुआ तो उस से कुछ पहले ही छिद्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा और आशा है कि यह कार्य तीन महीनों में पूरा हो जायेगा ।

देश में हुए विस्फोट

*७६८. श्री ब्रजराज सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के विभिन्न भागों में हुए विस्फोटों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) पिछले चार महीनों में देश में कितने बम विस्फोट हुए और उन से जान और माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार ने इन विस्फोटों की जांच करवाई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(घ) क्या इन विस्फोटों में किन्हीं बाहरी तत्वों का हाथ होने का पता लगा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संस्कृत में अनुसन्धान के लिए छात्रवृत्तियां

†*७६९. श्री झूलन सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं से पढ़े हुए लोगों को अनुसन्धान छात्रवृत्तियां देने की योजना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षामंत्री (डा० का० लां० श्रीमाली) : केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने छात्रवृत्तियों के लिये कुछ एक अभ्यर्थियों के नाम की सिफ़ारिश कर दी है। उन के नाम शीघ्र ही घोषित कर दिये जायगे।

लंका से यात्री

†*७७०. श्री सुब्बया अम्बलम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका से भारत आने वाले यात्रियों को जितने मूल्य का सामान लाने की अनुमति थी क्या सरकार ने उस में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो अब कितने मूल्य का सामान लाने की अनुमति है ;

(ग) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों को तंग करने के बारे में लंका के चेट्टियार चैम्बर आफ कामर्स का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो यात्रियों को होने वाली तंगी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). यात्री सामान के रूप में सीमा शुल्क रहित लाये जाने वाले सामान की कीमत में कमी नहीं की गई है। फिर भी आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना संख्या ८३ दिनांक १५ अक्तूबर, १९५८, जो कि लंका पर लागू नहीं होती थी, की ग़लत व्याख्या के कारण लंका से आने वाले यात्रियों को आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेंस के बिना ही सीमा शुल्क की अदायगी पर ५०० रुपयों की कीमत की वस्तुओं को लाने की अनुमति दी जाती रही है। यह अनुमति उन व्यक्तियों को दी जाती थी जो कि ६ महीनों से अधिक समय तक भारत से बाहिर रहे हों। इस ग़लती को ठीक कर दिया गया है और सितम्बर, १९६० से उसे समाप्त कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल सर्वेक्षण

†*७७१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रह्मपुत्र घाटी में अब तक तेल के कितने कुएं खोदे हैं ;

(ख) उन में से कितने कुओं के बारे में सफलता मिली है ;

(ग) क्या उन्हें गैस के कुछ कुएं मिले हैं ; और

(घ) छिद्रण-कार्य में सामान्य प्रगति कैसी रही है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) ८६ कुएं।

(ख) और (ग). ६८ कुओं के बारे में सफलता प्राप्त हुई है जिन में से ७ गैस के कुएं हैं। ६ और कुओं के बारे में जांच शीघ्र की जायेगी।

(घ) सामान्य प्रगति सन्तोषजनक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नए वेतन-क्रम

†*७७२. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वारियर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी संस्थानों में वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये नये वेतन-क्रमों को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इतनी देर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]

दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी का प्रयोग

*७३३. श्री भक्त दर्शन : क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग करने के बारे में उन के मंत्रालय द्वारा मुख्य आयुक्त को जो आदेश दिये गये थे, उन्हें कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

१ सितम्बर, १९६० से दिल्ली प्रशासन के लगभग ८०० कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और १९६१ के मई माह तक उन का प्रशिक्षण पूरा हो जायगा । जुलाई, १९६३ तक शेष ५,७०० कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम प्रशासन द्वारा तैयार कर लिया गया है ।

२. निम्नलिखित विनिश्चयों को २६ जनवरी, १९६१ से लागू करने के लिये निष्पादन-अनुदेश प्रशासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं :—

(१) नाम पट्टिकाओं, निमंत्रण पत्रों तथा कैलेंडरों का हिन्दी में लिखा जाना ।

(२) विज्ञापनों तथा टैंडर नोटिसों का हन्दी तथा उर्दू दोनों में छापे जाना ।

(३) छुट्टियों की सूची का हिन्दी और उर्दू दोनों में छापे जाना ।

३. विभिन्न फ़ार्मों के हिन्दी में अनुवाद तथा छपाई के प्रबन्ध के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है । प्रशासन के सचिवालय में हिन्दी के टाइपराइटरों के लिये भी प्रबन्ध किया गया है ।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्

†*७७४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की अन्तिम बैठक कब हुई थी और उस में क्या महत्वपूर्ण निश्चय किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : परिषद् की अन्तिम बैठक २२ अक्तूबर, १९५९ को हुई थी। उस बैठक में किये गये निर्णयों की कार्यवाही की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर प्रतिबन्ध

†*७७५: **श्रीमती इला पालचौधरी** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सुबिमन घोष
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री वोडयार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अभी हाल ही में भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर १९६० के अन्त तक देश भर में प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्थापना का व्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में परिचालन के लिये योजना आयोग द्वारा संभरित नोट की एक प्रति रखी गई है जिस में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने को बन्द करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ग) केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की सिफ़ारिशें राज्य सरकारों संघ राज्यक्षेत्रों को भेजी जा रही हैं।

भारत को जापानी ऋण

†*७७६. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने भारत को नये ऋण देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण का ; और

(ग) किन प्रयोजनों के लिये ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†मूल अंग्रेजी में

आयल इंडिया लिमिटेड

†*७७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आसाम आयल कम्पनियों तथा संघ सरकार के संयुक्त उद्योग आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा मार्केट में २५ करोड़ रु० के ऋणपत्र जारी करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). योजना के ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है ।

प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों को स्थायी करना

*७७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा संस्थानों के सभी वर्गों के असैनिक कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : आदेश जारी कर दिये गये हैं कि (कारखानों और औद्योगिक संस्थानों को छोड़ कर) स्थायी प्रकार के सभी संस्थानों और कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों की ८० प्रतिशत अस्थायी नियुक्तियों को, जो स्थायी ढंग की हैं और १-४-१९५९ को तीन वर्षों तक लगातार रहीं, स्थायी नियुक्तियों में तबदील कर दिया जाये । जहां तक कारखानों और औद्योगिक संस्थानों का सम्बन्ध है, चालू आदेश चलते रहेंगे, जब तक कि स्थायी औद्योगिक कर्मचारीगण के बारे में निश्चित निर्णय नहीं कर लिया जाता । सम्बद्ध मामले विचाराधीन हैं ।

पंजाब में केन्द्रीय कर वसूली की राशि में कमी

†१४०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में १९५९–६० के दौरान केन्द्रीय कर-वसूली की राशि में कोई कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पंजाब में १९५९–६० के दौरान केन्द्रीय कर-वसूली की कुल राशि में, १९५८–५९ के मुकाबले, कोई कमी नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाहौल में "तांदी कूल्ह"

१४०७. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने लाहौल में "तांदी कूल्ह" बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) (१) सिंचाई क्षेत्र पर प्रति एकड़ व्यय अत्यधिक पड़ता था ।

(२) यह योजना राज्य के सामान्य सिंचाई-कार्यक्रम में नहीं, किन्तु अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये, शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता के, विशिष्ट कार्यक्रम में, प्रस्तावित की गई थी ।

इस्पात का आयात

†१४०८. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६० से अक्टूबर, १९६० तक कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया ; और

(ख) उक्त काल में इस्पात की देशीय आवश्यकतायें कितनी रहीं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग ३,५०,००० टन ।

(ख) इस्पात की देशीय आवश्यकताओं से क्या मतलब है, यह समझ में नहीं आया । यदि उसका अर्थ लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से की जाने वाली मांग से है, तो १९६०–६१ के पहले छै: महीनों में विभिन्न निकायों ने उनसे लगभग २३ लाख टन इस्पात की मांग की थी । यह मांग आयात किये हुए और देशीय इस्पात से पूरी की जाती है ।

महाराष्ट्र के लिये इस्पात का आवंटन

†१४०९. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र को १९६०–६१ के दौरान अभी तक इस्पात का कुल कितना अभ्यंश आवंटित किया गया ; और

(ख) उक्त काल में कितना वास्तव में संभरित किया गया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) वर्ष १९६०–६१ के आरम्भ से ही, बहुत पतली चादरों और तारों के अलावा, इस्पात की सभी वस्तुओं की राज्यों की मांगें पूरी की जा रही हैं । महाराष्ट्र ने १९६०–६१ में अभी तक कुल २,७३,८४२ टन इस्पात मांगा है ।

(ख) (१) १-४-६० से ३१-८-६० तक महाराष्ट्र सहित बम्बई राज्य को ६०,७८९ टन भेजा गया ।

(२) सितम्बर, १९६० में* महाराष्ट्र को १७,६५७ टन भेजा गया ।

---

*१-९-६० से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में भूमिगत जल के संसाधन

†१४१०. **श्री पांगरकर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में भूमिगत जल के संसाधनों का कोई ब्यौरेवार सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या उसकी मुख्य-मुख्य बातों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां ।

(ख) अनुसंधानात्मक छिद्रण-कार्य के अन्तर्गत कुछ चुने हुए क्षेत्रों में—(१) बांकुरा (२) मिदनापुर (३) चौबीस परगना (४) नादिया (५) मुर्शिदाबाद (६) पश्चिमी दीनाजपुर (७) मालदा (८) दार्जिलिंग (९) जलपाईगुड़ी और (१०) कूच-बिहार में—भूमिगत जल के संसाधनों का बाकायदा सर्वेक्षण किया गया है । पश्चिमी बंगाल में लगभग ३,८६२ वर्ग मील के क्षेत्र में अनुसंधानात्मक छिद्रण-कार्य किया गया है, जिसमें से लगभग १,८०० वर्ग मील के क्षेत्र में, (१) बांकुरा (२) चौबीस परगना और (३) नादिया जिलों में, व्यवस्थित ढंग से भूमिगत जल के संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है ।

पश्चिमी बंगाल के १० जिलों में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अनुसंधानात्मक नलकूप संगठन के सहयोग से ३३ स्थानों पर अनुसंधानात्मक छिद्रण किये गये थे । उनमें से ३० छिद्रों को नलकूपों में बदल दिया गया है और ३ छिद्रों पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि उन में से निर्धारित सीमा तक पानी उपलब्ध नहीं हुआ था (निर्धारित सीमा २० फीट की गहराई से १५,००० गैलन पानी प्रति घण्टे मिलने की है) उन नलकूपों से प्रति घण्टे ६६,३०० से ११,८८० अमरीकी गैलन पानी निकलता है । निम्न तालिका से पता चल जायेगा कि जिलेवार कितने छिद्रण किये गये हैं :—

जिला	छिद्रों की कुल संख्या	नल कूपों की कुल संख्या
बांकुरा	३	३
मिदनापुर	३	२
चौबीस परगना	४	४
नादिया	४	४
मुर्शिदाबाद	४	४
माल्दा	३	१
पश्चिमी दीनाजपुर	४	४
दार्जिलिंग	२	२
जलपाईगुड़ी	३	३
कूच-बिहार	३	३
	३३	३०

†मूल अंग्रेजी में

भारत के भू-भौतिकी सर्वेक्षण ने संग्रहीत सूचना के आधार पर पश्चिमी बंगाल के निम्नांकित क्षेत्रों में सिंचाई तथा अन्य उपयोगों के लिये बड़े-बड़े (हैवी ड्यूटी) नलकूपों द्वारा अन्तर्भूमि-जल के संसाधनों का बड़े पैमाने पर विकास करने की सिफारिश अस्थायी तौर पर की थी :—

१. **बांकुरा और मिदनापुर जिले:** नलकूपों द्वारा सिंचाई के लिये उपयुक्त क्षेत्र उस रेखा के पूर्वी भाग में है जो रुपतगंज (बांकुरा जिले) से दीतपुर (मिदनापुर जिले) के अनुसंधानात्मक छिद्रों को मिलाती है ।

२. **मुर्शिदाबाद, नादिया और चौबीस परगना :** अनुसंधानात्मक नलकूपों का पूरा क्षेत्र बड़े पैमाने पर भूमिगत जल के विकास के लिये उपयुक्त है । चौबीस परगना में स्थित अलगारिया से बेराचम्पा तक के अनुसंधानात्मक नलकूपों को मिलाने वाली रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में खारे भूमिगत जल और सतही जल के खित्ते हैं, इसलिये उस क्षेत्र में नलकूपों का विकास करते समय सावधानी रखनी चाहिये कि उनमें गन्दा पानी न मिल पाये ।

३. **माल्दा और पश्चिमी दीनाजपुर जिले :** माल्दा जिले में नित्यानंदपुर और कांगसा के छिद्रों के आसपास के दक्षिण-पूर्वी भाग और पश्चिमी दीनाजपुर जिले में फूलबाड़ी स्थित अनुसंधानात्मक नलकूपों के दक्षिण में स्थित क्षेत्र के अतिरिक्त, यह पूरा क्षेत्र उपयुक्त है।

४. **दार्जिलिंग, जलपाईगुडी और कूच-बिहार जिले :** घाटियों में स्थित मैदानी भाग बड़े-बड़े नलकूपों के विकास के लिये उपयुक्त है। पहाड़ियों की तलहाटियों का क्षेत्र छोटे पैमाने के भूमिगत जल के विकास के लिये उपयुक्त है ।

उत्पादन शुल्क की चौकी, कोटला (कांगड़ा जिला)

†१४११. **श्री हेम राज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा जिले में कोटला स्थित उत्पादन शुल्क की चौकी ने गत दस वर्ष में, अर्थात् १९५० से १९६० तक कितने मामले दर्ज किये ; और

(ख) इस चौकी पर गत दस वर्ष में, अर्थात् १९५० से १९६० तक कितना वार्षिक व्यय किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजीदेसाई):** (क) ७५ (अक्टूबर, १९६० तक)

(ख) वर्ष	वार्षिक व्यय (रूपयों में)
१९५१–५२	५१८७–४–०
१९५२–५३	८२७०–७–०
१९५३–५४	८३३५–११–०
१९५४–५५	८२२०–१०–०
१९५५–५६	८७३४–१५–०
१९५६–५७	८००३–७–०
१९५७–५८	८२९७.९४ नये पैसे
१९५८–५९	६६२०.६२ नये पैसे
१९५९–६०	७६६५.५० नये पैसे
१९६०–६१ (३१-१०-६० तक)	६१९१.०० नये पैसे

†मूल अंग्रेजी में

केरल राज्य के केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये विदेशी मुद्रा

†१४१२. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्यीय केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये पुस्तकों की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन का अनुरोध भारत सरकार से किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा मांगी गई है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) २०,००० रुपये के मूल्य के पौण्ड ।

(ग) केरल सरकार को १९–९–६० को सूचित किया गया था कि देश में विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन है, इसलिये राज्यीय केन्द्रीय पुस्तकालय को भारतीय फर्मों के द्वारा अपनी अधिक से अधिक आवश्यकतायें पूरी करने का प्रयास करने के लिये कहा जाये, और उसके बाद ही शेष व्यय के लिये विदेशी मुद्रा के लिये वह भारत सरकार से अनुरोध करे । साथ में यह भी कहा गया था कि यदि भारतीय बाजार से उसकी आवश्यकतायें बिलकुल भी पूरी न हो सकें तो राज्य सरकार को इसका एक प्रमाण-पत्र पुस्तकालय को देना चाहिये, जिसके बाद ही इस विषय में आगे कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

दिल्ली में शहरी क्षेत्र में बुनियादी स्कूल

†१४१३. **श्री राम शरण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन का शिक्षा निदेशालय, परीक्षण के तौर पर, शहरी क्षेत्र में एक बुनियादी स्कूल खोलने का विचार कर रहा है ; और

(ख) इस विचार को कब तक कार्य रूप में परिणत किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि निकट भविष्य में इस मामले को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

जंगल युद्ध

†१४१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सशस्त्र बलों को जंगल-युद्ध की जानकारी कराने के लिये एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण किस सीमा तक और किस ढंग से दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). इसकी सूचना देना लोक-हित में नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों का वेतन-क्रम

†१४१५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से प्राध्यापकों के वेतन-क्रम में वृद्धि करने के लिये कोई वित्तीय सहायता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९ और १९५९–६० के दौरान प्रत्येक को कितनी राशि दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) १. **कलकत्ता विश्वविद्यालय—**

	रुपये
१. विश्वविद्यालय के प्राध्यापक . .	९२,५४७.५२
२. कालेज के प्राध्यापक .	३१,९३,३२१.००

२. **जादवपुर विश्वविद्यालय—**
(कालेजों को सम्बद्ध न करने वाला विश्वविद्यालय)
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ७४,९६०.२८

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक शिक्षा

†१४१६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५९–६० के दौरान सामाजिक शिक्षा के लिये किस प्रकार का कार्य हुआ ;

(ख) उस वर्ष प्रशासन पर और यात्रा-भत्तों तथा मंहगाई भत्तों पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या यह सच है कि देहाती क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक कार्य हो रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हिमाचल प्रदेश में १९५९–६० के दौरान सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम में बालिग़ साक्षरता और वाचनालयों, पुस्तकालयों, किशोर क्लबों, बाल बाड़ियों, महिला समितियों और सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था सम्मिलित है ।

(ख) ३,०६,०३८ रुपये व्यय हुये (जिसमें अनावर्ती व्यय शामिल है । प्रशासन, यात्रा भत्ते और मंहगाई भते के व्यय के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) ।

(ग) जी, नहीं ।

पंजाब में प्राथमिक शिक्षा

†१४१७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को १९५९–६० के दौरान प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) १९६०–६१ के दौरान कितनी राशि दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पंजाब सरकार को १९५९–६० में प्राथमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिये ७९.४० लाख रुपये दिये गये। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, बुनियादी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

	लाख रुपये
प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्यीय शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता . .	७७.८८
बालिका-शिक्षा के प्रसार की केन्द्र द्वारा प्रगति योजना और प्राथमिक अवस्था पर अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता .	१.५२ [इसकी मंजूरी एक अनुमोदित वित्तीय सहायता के ३ लाख रुपयों में से दी गई थी, जिसकी शेष राशि १९६०–६१ में मंजूर की जायेगी।]

(ख) पंजाब को बालिका शिक्षा के प्रसार और प्राथमिक अवस्था पर अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की केन्द्र द्वारा प्रगति योजनाओं के लिये ३ लाख रुपये दिये गये हैं, और राज्य क्षेत्र में "शिक्षा (प्रविधिक शिक्षा के अतिरिक्त)" के पूरे कार्यक्रम के लिये १३६.१० लाख रुपये दिये गये हैं।

उड़ीसा में स्मारक

†१४१८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया है कि वह केन्द्र द्वारा संरक्षित प्राचीन स्मारकों को उनकी मरम्मत और संधारण के लिये अपने अधिकार में ले ले ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्मारकों को ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) **जी, नहीं**।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली के स्कूली विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क अतिरिक्त शिक्षण[1]

†१४१९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों से पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिये नियमित रूप से निःशुल्क अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करने को कहा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Free Coaching

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) अभी तक किस प्रकार का कार्य हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सभी सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों की ९,१० और ११वीं कक्षाओं में यह योजना चालू की गई है । अभी तक इसके अन्तर्गत केवल अंग्रेजी और गणित का अतिरिक्त शिक्षण होता है । बाद में, क्रमशः सभी विषय शामिल होते जायेंगे ।

सरकारी व्यय संबंधी आयोग

†१४२०. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कि राज्य सरकारों ने योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट मितव्ययता और संयम से व्यय किया है या नहीं, सरकारी व्यय के सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). व्यय की जांच करते और उसकी मंजूरी देते समय अपव्यय और फिजूलखर्ची रोकने की आवश्यकता हमेशा ही ध्यान में रखी जाती है । मंत्रालयों की आन्तरिक मितव्ययता समितियों, वित्त मंत्रालय की विशेष पुनर्गठित इकाई, केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड, और योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के रूप में ऐसी व्यवस्था मौजूद है, जो व्यय में मितव्ययता का पूरा ध्यान रखे । इसके लिये अलग से आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

सूरत का खनिज सर्वेक्षण

†१४२१. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सूरत का कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने प्रतिशत कोयले और लौह अयस्क का पता चला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं । हां, १९५५–५६ में अवश्य ही उकाई बांध परियोजना के लिये कुल सामग्री और रेत की एक जांच कराई गई थी ।

(ख) इस ज़िले में कोयले और लौह अयस्क का कोई पता नहीं चला है ।

परियोजनाओं पर व्यय

†१४२२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंगेजी में

(क) प्रत्येक परियोजना पर अभी तक कितना व्यय हुआ; और

(ख) यदि निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिये अलग से कोई राशि रखी गई थी, तो उन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट संख्या ३, अनुबंध संख्या ६]

(ख) ऋणों की राशि का कोई भी हिस्सा निजी क्षेत्र के उद्योगों पर व्यय नहीं हुआ ।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

†१४२३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब लोक सेवा आयोग के एक सदस्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी हैं ; और

(ख) यदि हां, क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस नियुक्ति पर आपत्ति की है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) वैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष तौर पर इस नियुक्ति के बारे में तो आपत्ति नहीं की है, लेकिन आम तौर पर आयोग की राय जरूर है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को साथ ही किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति नहीं रहना चाहिये ।

विश्वविद्यालयों में काम के दिन

†१४२४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त काम के दिन १८० रखने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में विश्वविद्यालयों ने क्या राय दी है ; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जी, हां ।

(ख) अधिकांश विश्वविद्यालय तो उस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये तैयार हैं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों ने कहा है कि परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त काम के १८० दिन रखने में कई कठिनाइयां सामने आयेंगी ।

(ग) विश्वविद्यालयों ने इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है, इसकी ब्यौरेवार सूचना उपलब्ध नहीं ।

लुडलो कैसिल, दिल्ली में स्कूल

†१४२५. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की सिविल लाइन्स में लुडलो कैसिल के निकट स्कूल की स्थापना के काम में क्या प्रगति हुई ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : दिल्ली प्रशासन प्रस्तावित स्कूल के लिये लुडलो कैसिल सम्पदा और निकटवर्ती भूमि का अर्जन कर रहा है । अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू हो गई है और अब मामला भूमि अर्जन कलैक्टर के न्यायालय में पहुंच चुका है । भूमि अर्जित करने के बाद, स्कूल की स्थापना की योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के लिये केन्द्रीय प्रतिष्ठान

†१४२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ३ अगस्त १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० डी० एस० कोठारी के अधीन नियुक्त की गई समिति ने वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के लिये एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंतरिक्ष अनुसंधान समिति

†१४२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की सदस्यता के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख) अन्तरिक्ष अनुसंधान समिति की सदस्यता के लिये भारत ने २५ नवम्बर, १९६० को अपना प्रार्थनापत्र दिया था ।

जाली नोट

१४२८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जाली नोट बनाने के लिये गत तीन महीनों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और जाली नोट बनाने वाले कितने कारखानों का पता चला ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

पालम पर तस्कर व्यापारी की गिरफ्तारी

†१४२९. **{श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, श्री देव मिश्र को सोने की ६४ छड़ों का तस्कर व्यापार करते हुये पालम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के श्री सतदेव मिसिर को हांगकांग से आते हुये पालम हवाई अड्डे पर २५ सितम्बर, १९६० को गिरफ्तार किया गया था। उसकी तलाशी लेने पर, लगभग १,२५,००० रुपये के मूल्य की सोने की ६४ छड़ें, जिनका वज़न १,०२६ तोला ६ माशे था। यह सोना उसकी खास तौर से सिली हुई जैकिट की जेबों में छिपाया गया था। इसके अलावा, उसके पास से १५३ थाई लैण्ड के सिक्के 'टिकल' भी मिले।

सोना और सिक्के जब्त कर लिये गये हैं और उसके खिलाफ़ मुकदमा चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

†१४३०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम जनता ने निम्नलिखित काल में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में कुल कितनी राशि विनियोजित की :

(१) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक ;

(२) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९६० में, वर्ष १९५९ के इन्ही महीनों की तुलना में; और

(ख) विनियोजित राशियों में वृद्धि हुई या कमी के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) (१) राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्रों में अप्रैल, १९६० से अक्तूबर, १९६० तक के काल में कुल मिलाकर लगभग ३६.०९ करोड़ रुपये की राशि विनियोजित हुई।

(२) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में शुद्ध विक्रय)

महीना	१९६०–६१	१९५९–६०
अगस्त .	५.५३	५.२८
सितम्बर .	५.९६	५.४७
अक्तूबर .	५.९३	४.७८
	१७.४२	१५.५३

(ख) हर वर्ष अल्प बचत की राशि में लगातार वृद्धि होती रही है। इस वर्ष उसकी बृद्धि का एक कारण यह भी हो सकता है कि इस वर्ष प्रचार अधिक किया गया है और अधिकृत एजेंटों के जरिये अधिक विक्रय किया गया है।

अफ्रीकी देशों को सहायता

†१४३१. श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री पद्म देव :

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल के नये अफ्रीकी देशों को सहायता देने का निर्णय किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भारत किस रूप में यह सहायता देगा ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) ३१ सितम्बर, १९६० को राष्ट्रमण्डल वित्तीय सलाहकार परिषद् की बैठक की समाप्ति के पश्चात् एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसमें कहा गया था कि परिषद् ने सदस्यों के परस्पर सहयोग द्वारा राष्ट्रमण्डल के अफ्रीकी देशों (जिन में पराधीन देश भी शामिल हैं) की सहायता के प्रश्न पर विचार किया। इस बात को भी सामने रखा गया था कि राष्ट्रमण्डल के देश अन्य देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा द्विपक्षीय रूप से अफ्रीकी देशों के लिये समुचित साधनों का निर्माण कर उनकी काफी सहायता कर रहे हैं। इस प्रयत्न को और तीव्र करने और सहायता की ओर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से ताकि अफ्रीका के कम विकसित राष्ट्रमण्डलीय देशों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाया जाय समिति ने निश्चय किया कि एक विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकी सहायता योजना का प्रारम्भ किया जाये। यह आशा की जा सकती है कि बहुत से राष्ट्र मण्डलीय देश इस उद्देश्य के लिये विभिन्न प्रकार की प्राविधिक सहायता देने को तैयार हो जायेंगे। इस में विशेषज्ञों की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना और जो सामान इत्यादि विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित होगा उस में भागीदारी करना सम्मिलित है। यह सहायता उभयपक्षीय होगी और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी जायेगी। जो देश और सरकारें इस क्षेत्र में सक्रिय होगी उनमें उपरोक्त संगठनों द्वारा सम्पर्क रखा जाया करेगा। इस दिशा में जो भी प्रगति होगी उसका प्रतिवर्ष पुनरीक्षण करना भी परिषद् ने स्वीकार किया।

भारत इस दिशा में इन देशों को प्राविधिक सहायता के रूप में अपना सहयोग प्रदान करेगा।

काम दिलाऊ दफ्तारों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का पंजीयन

†१४३२. { श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **विधि** मंत्री के परामर्श से उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के पंजीयन पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या काम दिलाऊ दफ्तरों में—विशेषतया दिल्ली में—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को जो कठिनाइयां होती है उन्हे दूर करने की दृष्टि से इन जातियों से सम्बन्धित नियमों में कुछ परिवर्तन किया जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) इस प्रश्न पर भारत सरकार ने विचार किया है। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां अनुसूची (संशोधन), १९५६ के आदेशों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे काम दिलाऊ दफ्तरों में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता हो। रोजगार सेवा आदेशों के सम्बन्ध में कुछ भ्रांति हो गई थी जो कि कुछ मास हुये साफ कर दी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खंड

†१४३३. श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री डामर :
श्री जीन चंद्रन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुध की इस सिफारिश पर विचार किया है कि जहां जन संख्या तथा क्षेत्रफल का प्रश्न हो वहां बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों को क्षेत्रफल तथा जन संख्या के अनुसार निर्माण कया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन तथा उसके अन्तिम निर्णय पर विचार किया है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख) सम्बद्ध राज्य सरकारों से अभी इस दिशा में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

इस मामले पर अक्तूबर, १९६० में हुये राज्य सरकारों के उन मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी जो कि दलित वर्ग के कल्याण सम्बन्धी विभाग से सम्बन्धित है । उनकी सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७]

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों और मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्तुत प्रतिवेदन की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है ।

स्वयंसेवी संस्थायें

†१४३४. श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है उन्होने १९५९–६० के वर्ष में हुये अपने व्यय का लेखा मंत्रालय को प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या सरकारी अनुदानों की सहायता से हो रहे कार्य से सरकार सन्तुष्ट है ; और

(ग) क्या व्यय के विवरण के देरी से प्रस्तुत किये जाने के जो कारण उन्होने बताये हैं, उससे सरकार सन्तुष्ट है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) कुछ लेखे अभी प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ख) जो रिपोर्ट अब तक सरकार के पास पहुंची है उन्हें सन्तोषजनक समझा गया है ।

(ग) देरी से आने का कारण जानने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । अगले वर्ष की दूसरी किस्त तब तक नहीं दी जाती जब तक कि गत वर्ष की वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली पोलीटेक्निक

†१४३५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (नेशनल सार्टीफ़िकेट कोर्स) की अन्तिम परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये दिल्ली पोलीटेक्निक के राष्ट्रीय प्रमाणपत्र अंशकालिक पाठ्यक्रम में कम से कम ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि पोलिटेक्निक में ६० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को दाखलि कर लिया गया है जब कि ६० प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को दाखिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) दिल्ली पोलिटेक्निक में इंजीनियरिंग के राष्ट्रीय प्रमाणपत्र अल्पकाल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये कम से कम योग्यतायें ये हैं : (१) अध्ययन के समुचित क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र परीक्षा का उत्तीर्ण होना ; और (२) किसी मान्य इंजीनियरिंग संस्था अथवा कारखाने में पूरे समय की नौकरी अथवा शिक्षा[1] की अवस्था में होना।

पोलीटेक्निक द्वारा जो विवरण-पत्रिका (प्रास्पेक्टस) जारी की गई है, उस में उपरोक्त शर्तों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षा में ६० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले लोग अरक्षित स्थानों के लिये आवेदन न करें। यह परामर्श इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये होने वाले कड़े मुकाबले को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) १९६०-६१ के वर्ष में ६० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले केवल ३ विद्यार्थी ही लिये गये। एक विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का था और उसे रक्षित स्थान पर लिया गया था जोकि पिछड़े राज्यों के लिये सुरक्षित था। अन्य दो व्यक्तियों ने १९५६ में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षा पास की थी और ५५ प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये थे। उन्होंने उपरोक्त परीक्षा पास करने के बाद जो व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया था उस को दृष्टि में रखते हुए उन के मामले पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और उन के लिये दो अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गई। ये दो स्थान इसीलिये ही बनाये गये थे। इन दोनों आवेदकों ने राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षा की सम्बन्धित शाखा में उस वर्ष उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में सब से अधिक अंक प्राप्त किये थे।

नौसैना का डाकयार्ड, बम्बई

†१४३६. श्री अ० क० गोपालन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के इंडियन नेवल डॉकयार्ड की श्रमिक बस्ती के प्रभारी लेबर इंस्पेक्टर के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार और कदाचार सम्बन्धी कुछ शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों के सम्बन्ध में कुछ जांच की गई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) सभी आरोपों की जांच की गई थी परन्तु सभी निराधार थे।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Apprenticeship.

प्रतिरक्षा सामान की खरीद

†१४३७. { श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन सी समितियां हैं जिन को कि गत तीन वर्षों में इस उद्देश्य से नियुक्त किया गया था कि वे प्रतिरक्षा सामान के क्रय सम्बन्धी विभिन्न अनियमितताओं की जांच करें, परन्तु जिन्होंने अभी तक अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ;

(ख) उन के प्रतिवेदन कब तक आ जाने की संभावना है ; और

(ग) इस देरी का कारण क्या है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) इस दिशा में दो समितियां क्रमशः फरवरी १९५९ और मई १९६० में नियुक्त की गई थीं । एक के प्रधान उपविधि मंत्री थे और दूसरी के मंत्रिमंडल सचिव । इन का उद्देश्य प्रतिरक्षा सामान की खरीद के दो मामलों की जांच करना था ?

(ख) शीघ्र ही वे अपना-अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाली हैं ।

(ग) जहां तक प्रथम समिति का सम्बन्ध है, देरी का कारण उस के प्रधान का कुछ देर के लिये बीमार हो जाना था । साथ ही वह एक अन्य समिति के सदस्य के नाते और काम में भी उलझे रहे । द्वितीय समिति के बारे में यह कहना ठीक नहीं है कि उस की रिपोर्ट मिलने में विलम्ब हुआ है ।

प्रतिरक्षा सामान की खरीद

†१४३८. { श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा सामान की खरीद में हुई विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) इन प्रतिवेदनों में जो सिफारिशें की गई हैं, सरकार उन पर कब तक अपना निर्णय कर लेगी ; और

(ग) इस दिशा में निर्णय करने में इतनी देरी हो जाने का क्या कारण है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) केवल दो समितियां गत तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई थीं कि प्रतिरक्षा सामान की खरीद के मामलों की जांच की जाये । उनकी सिफारिशों की प्रतिक्षा की जा रही है ।

रूरकेला में उपोत्पाद संयंत्र

†१४३९. **श्री प्र० के० देव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में गैस कन्डेन्स करने तथा उपोत्पाद निकालने का संयंत्र तैयार हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसे कब चालू किया जा रहा है ;

(ग) इस संयंत्र पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(घ) कौन से उपोत्पाद तैयार किये जायेंगे और कितनी मात्रा में ; और

(ङ) इन के द्वारा देश की आवश्यकता किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उपोत्पाद संयंत्र लगभग पूर्ण हो चुका है ।

(ख) जो भाग पूर्ण हो गये हैं उन्हें चालू कर दिया गया है ।

(ग) लगभग ७ करोड़ रुपये ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । [देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]

(ङ) जो उत्पादन होगा उस से देश की काफी सीमा तक आवश्यकतायें पूरी होंगी ।

सेना के कर्मचारियों के लिये विश्रामगृह

†१४४०. श्री पद्म देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां कि सेना के कर्मचारियों के लिये विश्रामगृह बनाये गये हैं ताकि वे अवकाश के समय अपने परिवारों सहित वहां रह सकें ; और

(ख) इन विश्रामगृहों में क्या व्यवस्था है और सेना के कर्मचारियों को यहां क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ।

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : सेना प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार के विश्रामगृह अथवा अवकाशगृह नहीं चलाये जा रहे हैं । हां उटकामंड में रतन टाटा आफ़िसर्स होलिडे होम प्रतिरक्षा सेवाओं के पदाधिकारियों के लिये उपलब्ध है । टाटाज़ ने गत विश्व युद्ध में यह अवकाश गृह सरकार को दे दिया था । यदि स्थान उपलब्ध हो तो असैनिक व्यक्तियों को भी इस में स्थान दे दिया जाता है ।

(ख) उपरोक्त गृह की देखभाल सशस्त्र सेना के एक सेवा निवृत्त अधिकारी कर रहे हैं । रहने वालों को वहां खाने, खेलने, मनोरंजन तथा परिवहन तथा मदिरा की सुविधायें भी उचित दरों पर उपलब्ध होती हैं ।

क्रोमाइट अयस्क

†१४४१. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में क्रोमाइट अयस्क के अभिशोधन के लिये क्या किया जा रहा है ; और

(ख) इसके सम्बन्ध में भावी आशायें क्या हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) राष्ट्रीय धातु शोधन प्रयोगशाला द्वारा एक बहुत बड़ा संयन्त्र लगाया गया है, जिसके द्वारा निम्न श्रेणी के क्रोमाइट अयस्क के जो कि बिहार,

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में प्राप्त होता है अभिशोधन के सम्बन्ध में जांच की जायेगी। भारतीय खान ब्यूरों द्वारा भी उपरोक्त राज्यों में इस दिशा में अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त स्थानों की क्रोमाइट अयस्क के अभिशोधन के बारे में जो प्रयोग किये गये हैं, उन से पता चलता है कि इसका अभिशोधन हो सकता है। कुछ स्थानों का अभिशोधित क्रोमाइट उष्मसह ईंटें बनाने तथा रसायन उद्योग और धातुकार्मिक उद्योग के लिये बहुत उपयुक्त है। कुछ स्थानों के अभिशोधित क्रोमाइट में लोहा भी काफी मात्रा में है और उसे रसायन तथा ऊष्मसह ईंटों के लिये ही प्रयोग में लाया जा सकता है, अच्छे स्तर का फैरो क्रोम इस से नहीं बन सकता।

अगरतला का एम० बी० बी० एस० कालिज

†१४४२. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् तथा संसद् के सदस्यों द्वारा सरकार को यह अभ्यावेदन दिया गया है कि अगरतला के एम० बी० बी० एस० कालिज तथा त्रिपुरा प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के प्रशासन का बहुत बुरा हाल हो रहा है ;

(ख) क्या इस दिशा में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच में क्या कहा गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). जनवरी १९६० में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस पर श्री दशरथ देव संसद्-सदस्य तथा श्री नृपेन्द्रकुमार चक्रवर्ती, सदस्य, त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के हस्ताक्षर थे। उस में त्रिपुरा शिक्षा निदेशालय में कुप्रशासन के आरोप थे। इन आरोपों की जांच त्रिपुरा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई थी। उस अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जोकि सरकार के विचाराधीन है।

आसाम से कच्चे तेल का परिवहन

†१४४३. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंकि रेलवे बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र पर पाइपलाइन डालने की प्रस्थापना को रद्द कर दिया है, अतः क्या सरकार ने आसाम से कच्चे तेल के परिवहन के लिये कोई अन्य मार्ग तय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) (क) और (ख). कच्चे तेल की पाइपलाइन का निर्माण आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, सरकार द्वारा नहीं। इस पाइपलाइन को ब्रह्मपुत्र से पार ले जाने के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र पुल बनाने का निश्चय किया है। इस पाइपलाइन के मार्ग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

मनीपुर के नागा होमगार्ड

†१४४४. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १६ सितम्बर, १९६० को मनीपुर पुलिस ने एक नागा गांव से कुछ दस्तावेज तथा गोला बारूद बरामद किया है और नागा होम गार्ड के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : २५ सितम्बर, १९६० को यह सूचना मिलने पर कि इम्फाल से २३ मील दूर नगरियां गांव में एक प्रमुख नागा विद्रोही मौजूद है, पुलिस ने गांव पर छापा मारा तथा नागा विद्रोहियों के स्वयं कथित 'लैफ्टीनेन्ट कर्नल' को गांव के अन्य चार व्यक्तियों समेत गिरफ्तार कर लिया । एक रेमिंगटन टाइप राइटर, कुछ अस्त्र, गोला बारूद और दस्तावेज भी पकड़े गये ।

इस्पात के स्टाकिस्ट

†१४४५. श्री हाल्दर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १० नियत्रित स्टाक होल्डरों तथा ३ नियंत्रित स्क्रैप मर्चेंटों तथा ११० रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरों के विरुद्ध आगे की गयी कार्यवाही विस्तार से क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :—

१. १० नियंत्रित स्टाक होल्डरों की स्थिति .	१. दो नियुक्तियां रद्द कर दी गयी हैं । २. चार की 'सस्पैन्शन' उठा ली गयी है । ३. तीन को चेतावनी दी गई है । ४. एक मामला विचाराधीन है ।
२. तीन नियंत्रित स्क्रैप मर्चेंटों की स्थिति .	१. एक की 'सस्पैन्शन' उठा ली गयी है । २. दो मामले विचाराधीन हैं ।
३. ११० रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरों की स्थिति	४ की नियुक्तियां रद्द की गयी हैं । बाकी के मामले विचाराधीन हैं और राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है ।

नयू एशियाटिक बीमा कम्पनी की जांच का प्रतिवेदन

†१४४ { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :

क्या वित्त मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यू एशियाटिक बीमा कम्पनी की जांच के उस प्रतिवेदन का परीक्षण किया है जो कि लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या सरकार ने इससे आगे रूबी जनरल बीमा कम्पनी के मामले की जांच पूर्ण कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां, इसका परिणाम एक विवरण में दिया जा चुका है जो कि तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में १७ अगस्त, १९६० को लोक-सभा के पटल पर रखा गया था ।

(ग) और (घ). उपरोक्त विवरण में दी गई जानकारी के अलावा और कोई जांच नहीं की गई है ।

(ङ) रूबी जनरल बीमा कम्पनी को एक औपचारिक पत्र भेजा गया था जिसमें उन्हें लेखा-परीक्षकों के निष्कर्षों से परिचित करा दिया गया था । उन्हें स्पष्टीकरण करने का एक अवसर दिया गया था । यह स्पष्टीकरण अब प्राप्त हो गया है और उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

सरदार करतार सिंह को आर्थिक सहायता

†१४४७. { श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंघाई के भूतपूर्व निवासी सरदार करतार सिंह द्वारा सरकार को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसने कि नेता जी सुभाष बोस को विभिन्न समयों पर आजाद हिन्द सेना के लिए १० लाख रुपया दिया था, और वह आज राजस्थान की एक फैक्टरी में चपरासी के रूप में बहुत ही अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) सरदार करतार सिंह ने आवेदन पत्र दिया था । यह सिद्ध नहीं हो सका कि उन्होंने इतनी राशि दान दी थी ।

(ख) गम्भीर विचार के बाद आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋणों की अदायगी

†१४४८. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वित्त मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये गारंटी देते समय भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करती है कि भुगतान समय पर हो ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विश्व बैंक को गारंटी देने से पूर्व सरकार ऋण प्राप्त करने वाली सम्बन्धित पार्टी से यह करार कर लेती है कि यदि सरकार को उस गारंटी के अधीन विश्व बैंक को कोई राशि देनी पड़ी तो सरकार को उस पार्टी की आस्तियों और सम्पत्तियों पर वैसा ही अधिकार होगा जैसा कि ऋण प्राप्त करने पर विश्व बैंक के पास बन्धक के रूप में रखी गयी उन सम्पत्तियों पर विश्व बैंक का है । उसी करार के अधीन केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को सम्बन्धित कम्पनियों के डायरेक्टरों के बोर्ड में नियुक्त भी किया जाता है ताकि इस बात का ध्यान रखा जाये कि वे कम्पनियां अच्छी प्रकार से कार्य कर रही हैं और उनके वित्त की अच्छी प्रकार से व्यवस्था की जा रही है । सरकारी प्रतिनिधि उस बोर्ड में तब तक रहेंगे जब तक कि उन कम्पनियों की तरफ ऋण में से कुछ भी राशि शेष बचती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो तथा राडार

†१४४९. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो और राडार के उपकरणों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ख) अभी तक कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा चुका है और उस पर कितनी लागत आयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

नेपाल को सहायता

†१४५०. **श्री खीमजी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री पु० र० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल को अभी तक सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है; और

(ख) वह किस किस प्रयोजन के लिये दी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१ अक्तूबर, १९६१ तक नेपाल को ८,५३,०६,००० रुपये दिये जा चुके हैं ।

(ख) यह सहायता नेपाल को सड़कों के निर्माण, और संधारण, गौचर हवाई अड्डे के निर्माण, लघु सिंचाई और जल संभरण योजनाओं, सर्वेक्षण कार्यों, ग्राम तथा स्थानीय विकास कार्यों, त्रिसूली जल विद्युत् परियोजना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन विभाग के क्षेत्रों तथा इंजीनियरिंग स्कूलों के निर्माण के लिये दी गयी थी ।

अफीम की खेती में वृद्धि

†१४५१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पोस्त की खेती को बढ़ाने के निमित्त कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): १९६०–६१ के मौसम में गाजीपुर जिले में पोस्त की खेती करने के लिए फिर से इजाज़त दे दी गयी है और इस के लिए १००३ बीघे में खेती करने का लाइसेंस दे दिया गया है । इस ज़िले में जितने एकड़ में अभी पोस्त की खेती होती है उस में और इज़ाफ़ा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नकली बीमा कम्पनी

१४५२. **श्री डामर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मध्य भारत के किसी भूतपूर्व राजा ने नकली बीमा कम्पनी में पिछले वर्षों में जमा की गई राशि को भारत सरकार से न्यायालय की डिग्री द्वारा वसूल कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम इस प्रकार वसूल की गई है ; और

(ग) किस रियासत के राजा ने यह धन वसूल किया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां

†१४५३. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन पंजाब में किस किस स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां स्थापित की गयी हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की ओर से इसके लिये अभी तक कितना अनुदान दिया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ३०-६-१९६० तक २९·३४ लाख रुपये ।

अल्प बचत योजना

†१४५४. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में अभी तक अल्प बचत योजना के अधीन राज्यवार कितनी राशि इकट्ठी की गयी है ?

†**वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई)** : १ अप्रैल, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक के सम्बन्ध में इनामी बांडों के अतिरिक्त एकत्रित राशि के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

राज्य	राशि (लाखों रुपयों में)
१. आन्ध्र प्रदेश	९१
२. आसाम .	२,४८
३. बिहार . . .	५,३७
४. बम्बई .	२,५३ (केवल अप्रैल, १९६० के लिये)
५. गुजरात . . .	३,३९ (मई, १९६० के बाद के बारे में)
६. जम्मू तथा काश्मीर . .	१९

†मूल अंग्रेजी में

राज्य	राशी (लाखों रुपयों में)	
७. केरल .	१,८२	
८. मद्रास	१,३६	
९. मध्य प्रदेश	१,२७	
१०. महाराष्ट्र .	९,२९	(मई, १९६० के बाद के बारे में)
११. मैसूर	१,११	
१२. उड़ीसा	१,३०	
१३. पंजाब	१६	
१४. राजस्थान .	३७	
१४. उत्तर प्रदेश	५,६३	
१६. पश्चिमी बंगाल .	५,६१	
कुल	४२,४९	

हीरों का तस्कर व्यापार

†१४५५. **श्रीमती मफीदा हअहमद :**
श्री प्र० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हीरों के तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० में कितने मामले पकड़े गये हैं ; और

(ग) तस्कर व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसई)** : (क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा १९५८, १९५९ और १९६० में (३१-१०-६० तक) क्रमशः १४, १२ और १८·२५ लाख रुपयों के हीरे पकड़े गये थे । यद्यपि यह सच है कि पकड़े गये हीरों की कीमतों में वृद्धि हुई परन्तु यह कहना सच नहीं है कि तस्कर व्यापार बढ़ता जा रहा है ।

(ख) अप्रैल, १९५९ से मार्च, १९६० तक ७ मामले पकड़े गये थे ।

(ग) उक्त ७ मामलों में पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है ;

(१) एक मामला अभी न्याय निर्णयन के अधीन है ।

(२) शेष ६ मामलों के सम्बन्ध में हीरे जब्त कर लिये गये हैं, इन में से २ मामलों में अन्तग्रस्त व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये थे परन्तु न्यायालय ने छोड़ दिया है । अन्य दो मामलों के व्यक्तियों को अपराधी ठहराया गया है और उन्हें कैद और/अथवा जुर्माना किया गया है । इन दोनों मामलों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में भी दंड दिया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य

१४५७. श्री डामर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ तथा चार जिलों में जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख). मध्य प्रदेश के झाबुआ तथा चार जिलों में १९६१ की जनगणना के लिये आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही के रूप में मकानों की सूचियां तैयार की जा चुकी हैं। वास्तविक जनगणना १० फरवरी, १९६१ को आरम्भ हो कर उसी वर्ष की ५ मार्च को समाप्त हो जाएगी। जनगणना का काम पूरा हो जाने के बाद उसके परिणामों को सारणी-बद्ध किया जाएगा। और जनगणना की सारणियां तथा प्रतिवेदन १९६२–६३ में प्रकाशित कर दिये जायेंगे। जनगणना का कार्य सारणियों तथा प्रतिवेदनों के प्रकाशन के पश्चात् समाप्त होगा।

भारतीय अफीम का विश्व में स्थान

१४५७. श्री डामर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के अन्य देशों की तुलना में अफीम की खेती में भारत का क्या स्थान है ; और

(ख) भारत में पैदा हुई अफीम विश्व के अन्य देशों में पैदा होने वाली अफीम की किस्म की तुलना में कैसी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार कानूनी तौर पर इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम भारत में पैदा की जाती है। दूसरे खास खास देश जहां अफीम पैदा की जाती है—तुर्की, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ (रूस), यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान और बल्गारिया।

(ख) विदेशों की बढ़ती हुई मांग और बढ़ते हुए आयात (एक्सपोर्ट) को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय अफीम दूसरे देशों में पैदा की गयी अफीम के मुकाबले अच्छी होती है।

आदिवासी

१४५८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों की ओर से सरकार को कोई ऐसे ज्ञापन मिले हैं जिनमें उन्होंने यह अनुरोध किया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को आदिवासियों को मिलने वाली सुविधायें न दी जायें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने उक्त ज्ञापनों में यह भी लिखा है कि आदिवासियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता का अधिकांश भाग ईसाइयों पर व्यय होता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख). जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) संविधान की व्याख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। अनुसूचित जाति की सदस्यता की स्थिति में, धर्म परिवर्तन के कारण कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिये ज्ञापन में सुझाये गये प्रकार की कोई कार्रवाई करने का सरकार का विचार नहीं है।

लखनऊ में बाढ़

†१४५९. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कालिका सिंह :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ की हाल ही की अभूतपूर्व बाढ़ में प्रतिरक्षा सेवाओं ने कितनी सहायता की थी ;

(ख) कितने माल और जान की रक्षा की गयी थी ;

(ग) क्या इन कार्यों पर कोई अतिरिक्त खर्च किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :(क) एक विवरण सलंग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) सेना द्वारा ३,७५० परिवारों को बचाया गया। बचायी गयी सम्पत्ति की कीमत बताना संम्भव नहीं है।

(ग) जी हां, परन्तु वह खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(घ) किये गये अतिरिक्त खर्च के सम्बन्ध में ब्योरा उपलब्ध नहीं है। सेनिक प्राधिकारीयों द्वारा ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

विधान मंडलों में रिक्त स्थान

१४६०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् और विधानमंडलों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कितने समय में हो जानी चाहिये ;

(ख) क्या किन्हीं अनिवार्य कारणों से इस निर्धारित समय को कुछ बढ़ाया भी जा सकता है;

(ग) संसद् और राज्य विधानमंडलों में इस समय कितने स्थान रिक्त हैं ; और

(घ) इनकी पूर्ति कब तक संभावित है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख). संसद् और राज्य विधानमंडलों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कोई समय विधि द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु उन स्थानों को शीघ्र से शीघ्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग कार्यवाही करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस समय चार स्थान संसद् में और चार राज्य विधानमंडलों में रिक्त हैं ।

(घ) इन में से तीन स्थानों के लिए उपनिर्वाचन हो रहे हैं और २३ दिसम्बर, १९६० तक समाप्त हो जाएंगे । अन्य पांच स्थानों के लिए उपनिर्वाचन अगले दो या तीन मास के अन्दर हो जायेंगें ।

कपूरथला के एक गांव में उड़ती हुई वस्तु

†१४६१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ अक्तूबर, १९६० की संध्या को कपूरथला ज़िले के एक गांव में एक २ फुट लम्बी वस्तु गिरी थी जिसमें पाकिस्तान द्वारा निर्मित बैटरी सेंलों वाला एक ट्रांसमिटर लगा हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो वह वस्तु क्या थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). यह सूचना मिली है कि२३.१०.६० की रात्रि को दो उड़ने वाली वस्तुऐं पायी गयी थीं, जिनके साथ पाकिस्तान द्वारा निर्मिति बैटरी सैल लगे हुए थे । उनमें से एक वस्तु धैनेविड गांव और दूसरी पीरांवाली गांव में पायी गयी थी । वे दोनों पंजाब के कपूरथला पुलिस थाने के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण के लिये उन वस्तुओं को नयी दिल्ली की वेधशाला (उपकरण) के उपमहानिदेशक के पास भेज दिया गया था । उस बार में उनकी राय यह है कि ये वस्तुऐं पाकिस्तान ऋतु विज्ञान सेवा द्वारा उच्चाकास के मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये छोड़े गये रेडियो मीटरोग्राफी थे । इस सम्बन्ध में यह भी सूचना मिली है कि रबड़ के गुबारों से उड़ाये जाने वाले इस प्रकार के उपकरणों के इस्तेमाल को विश्व अन्तरिक्ष संगठन ने मंजूरी दी है और इन उपकरणों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है । भारत में भी ऋतु कार्यों के लिये ऐसे उपकरण छोड़े जाते हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाक की खेती

†१४६२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आंध्र प्रदेश में तम्बाकू के काश्तकारों को सहायता देने के लिये २ करोड़ रुपयों की राशि मांगी है ; और

(ख) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि क्योंकि कृषि सम्बन्धी ऋण देने का कार्य राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है, इस लिये आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू के काश्तकारों को ऋण देने का कार्य राज्य सरकार का है ।

---

† ूल अंग्रेजी में

बीकानेर और रूपड़ में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

†१४६३. **श्री नरसिंहन्** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने बीकानेर क्षेत्र और रूपड़ में कोई खुदाई की है ;

(ख) वह कब की गयी थी और किस के द्वारा की गयी थी ;

(ग) क्या उस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) वह कब तक छप जायेगी ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) (१) पुरातत्व विभाग की अनुसन्धान शाखा द्वारा १९५० से ५३ तक।

(२) पुरातत्व विभाग की खुदाई शाखा द्वारा —१९५३–५५ तक ।

(ग) प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गयी है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†१४६४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राधा रमण :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा विदेशों में टैगोर जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिये बनाई गयी विस्तृत योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० मो० म० दास)** : रवीन्द्रनाथ टैगोर जन्म शताब्दी समिति 'टैगोर जन्म शताब्दी समाचार' नामक मासिक पत्रिका निकलती है जिसमें समय समय पर भारत और विदेशों में टैगोर जन्म शताब्दी समारोहों के सम्बन्ध में कार्यक्रमों की प्रगति बताई जाती है । समिति ने अभी तक दो अंक निकाले हैं । अन्तिम अंक नवम्बर, १९६० में निकाला गया था । दोनों अंकों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है ;

रूरकेला और दुर्गापुर में धमन भट्टियां

†१४६५. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई से नवम्बर १९६० तक रूरकेला और दुर्गापुर में कितनी बार धमन भट्टियां रुकी थीं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जुलाई से नवम्बर, १९६० तक की अवधि में रुरकेला की एक धमन भट्ठी १० से १५ सितम्बर, १९६० तक बन्द रही थी क्योंकि टेप होल के निकट खराबी हो गयी थी । उसी अवधि में दुर्गापुर में एक धमन भट्टी ३० जुलाई, १९६० को ११ घंटे ४५ मिनट तक बन्द रही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने का पकड़ा जाना

†१४६६. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ अक्तूबर, १९६० को अफ्रीका से आने वाले एक यात्री से बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ५०० तोले सोना पकड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) और (ख).२६ अक्तूबर १९६० को एस०एस० काम्पला द्वारा मोम्बासा से यात्री के रुप में मेथिपास ए रोड रिगेस नामक एक पुर्तगाली भारतीय राष्ट्रजन बम्बई पहुंचा। उसके पास एक ड्रम था जिसमें सूखी मछली, खाने पीने का सामान तथा कुछ साबुन तेल आदि सामान था । बम्बई सीमा शुल्क कर्मचारियों ने जब उस ड्रम का अच्छी प्रकार से परीक्षण किया तो यह ज्ञात हुआ कि ड्रम का तला एक बनावटी सा है जिसके नीचे सोने के १८ टुकड़े थे जिनका वज़न ४८५ तोले था, उसके अतिरिक्त उसमें ८ सिकके और १८० कलाई की घड़ियां थी । कुल माल की कीमत लगभग ८०,००० रुपये थी । २६ अक्तूबर १९६० की रात्रि को उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे २७ अक्तूबर को चीफ़ प्रेजीडेन्सी मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया । उस बारे में यह आर्डर पास हुए कि उसे ७५,००० रुपयों की जमानत पर छोड़ दिया जाये। जमानत की राशि को बाद में घटाकर ६०,००० रुपये कर दिया गया । उसके विरूद्ध अदालत में मामला दर्ज कर दिया गया है । मामला अभी विचाराधीन है ।

गुजरात का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१४६७. { श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों में गुजरात राज्य के किस किस जिले में भूतत्वीप सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण की उपपत्तियों क्या हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]

राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

†१४६८. { पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नयी दिल्ली में राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) क्या सम्मेलन ने अपने गत निर्णयों की कार्यान्विति पर भी पुनरीक्षण किया था ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) ४ और ५ नवम्बर, १९६० को राज्य शिक्षा मंत्रियों का नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था ।

(ख) सम्मेलन में जिन-जिन बातों पर चर्चा की गई, उसकी एक प्रति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]** । कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप देना है ।

(ग) यह रीति है कि पहले सम्मेलन में की गयी सिफ़ारिशों पर किये गये कार्य का ब्यौरा सम्मेलन में परिचालित किया जाता है । गत सम्मेलन में वैसा ही किया गया था ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गाड़ी की चोरी

†१४६९. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई से जुलाई तक की अवधि में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की एक लैण्ड रोवर की वह गाड़ी पश्चिमी बंगाल के बरहान ज़िले के कोरवा नगर से चोरी हो **गयी** थी जो कि पश्चिमी बंगाल की जिला परियोजना कार्यान्विति समिति को दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो वह कब चोरी हुई थी और उसकी कीमत कितनी है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई खोज की गयी है; और

(घ) क्या किसी अपराधी को पकड़ लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां । लैण्ड रोवर की गाड़ी नहीं, अपितु एक जीप चोरी हो गयी थी ।

(ख) १३/१४ जुलाई, १९६० की आधी रात को चोरी हुई थी । किराय भाड़े सहित उसकी मूल कीमत १२,५३१ रुपये १२ नये पैसे है ।

(ग) जी, हां । जांच की जा रही है ।

(घ) अभी तक नहीं ।

श्रेणी १ के पदाधिकारियों तथा स्टेनोग्राफरों के संघ

†१४७०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा केन्द्रीय स्टेनोग्राफर सेवा के श्रेणी १ के पदाधिकारियों के संघों को मान्यता दे दी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि केन्द्रीय सचिवालय संघ द्वारा जिन ६५६ सदस्यों की सूची भेजी गयी थी, वह सूची गलत नहीं है और उन सभी सदस्यों ने चालू वर्ष के लिये चन्दा अदा किया हुआ है;

(ग) इस संघ की महा सभा की अन्तिम वार्षिक बैठक कब हुई थी; और

(घ) क्या उस बैठक में उस सन्स्था के सभी अधिकारियों का चुनाव किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी १ के पदाधिकारियों के संघ को मान्यता प्रदान कर दी गयी है। केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के श्रेणी १ के पदाधिकारियों के किसी भी संघ को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गयी है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय संघ से यह ज्ञात हुआ है कि सभी सदस्यों ने अभी तक चालू वर्ष के लिये चन्दा अदा नहीं किया है और उस संघ द्वारा उन पदाधिकारियों को याद कराया जा रहा है जिन्होंने अभी तक अपना चन्दा अदा नहीं किया है। इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि केन्द्रीय सचिवालय संघ द्वारा भेजी गयी सूची झूठी है।

(ग) और (घ). संघ द्वारा भेजी गयी जानकारी के अनुसार संघ की महासभा की अन्तिम बैठक १९५३ में हुई थी जिस में अधिकारियों के चुनाव हुए थे। उसके बाद किसी विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिये तो बैठकें बुलायी गयी थीं, परन्तु इन बैठकों में कोई भी चुनाव नहीं किया गया था। संघ से यह सूचना मिली है कि पदाधिकारियों के चुनाव के लिये महासभा की बैठक की तिथि २८ दिसम्बर, १९६० निर्धारित की गयी है।

दिल्ली में नयी पोलिटेक्निक संस्था

†**१४७१. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नयी पोलिटेक्निक संस्था स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस में क्या क्या व्यवसाय सिखाये जाने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन दिल्ली में दो और पोलिटेक्निक संस्थायें स्थापित करने का विचार है। प्रत्येक संस्था में प्रति वर्ष २४० विद्यार्थियों को दाखिल किया जा सकेगा और उनमें सिविल, मेकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपलोमा कोर्सों का शिक्षण दिया जायेगा।

एक संस्था ओखला औद्योगिक बस्ती में और दूसरी संस्था पूसा में स्थापित की जायेगी। ब्यौरेवार योजना और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

'एम० वी० अन्दमान' और 'एम० वी० सलीम'

†**१४७२. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी सरकारी इमारती लकड़ी तथा अन्य सामान पोर्ट ब्लेयर से कलकत्ता को सरकारी जहाज़ एम० वी० अन्दमान द्वारा भेजा गया था जो कि पोर्ट ब्लेयर से ३० जुलाई, १९६० को रवाना हुआ था;

(ख) कितनी सरकारी इमारती लकड़ी तथा अन्य सामान एक गैर-सरकारी जहाज़ एम० वी० सलीम द्वारा भेजा गया था जो कि ४ अगस्त, १९६० को या उसके लगभग पोर्ट ब्लेयर से चला था और उसके लिये कितना भाड़ा दिया जायेगा;

(ग) एम० वी० अन्दमान को कलकत्ते से पोर्ट ब्लेयर के लिये किस दिन वापिसी पर रवाना होना था और वास्तव में वह जहाज़ किस तिथि को कलकत्ते से चला था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) एम० वी० अन्दमान को पोर्ट ब्लेयर से चलते समय एक दो दिन के लिये रोक क्यों न लिया गया ताकि एम० वी० सलीम में जो सामान भेजा गया था, वह इसी जहाज से भेजा जा सकता ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ५७० टन ।

(ख) (१) सरकारी इमारती लकड़ी . . ११५ टन
अदा किया गया किराया भाड़ा . . ६,९५६ रुपये

(२) किसी गैर-सरकारी पार्टी द्वारा भेजी गयी इमारती लकड़ी २० टन
किराया भाड़ा . . . . १,२०० रुपये

(३) मालिक का अपना सामान जिसका किराया भाड़ा हो सकता है १४,६२३ रुपये

(ग) निर्धारित तिथि ११-८-१९६०
वास्तविक तिथि १८-८-१९६०

(घ) एम० वी० अन्देमान को रोकना कई कारणों से अनुचित था । प्रथम कारण यह है कि यह जहाज एक यात्री-तथा-माल जहाज है और इसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलना पड़ता है । दूसरी बात यह है कि यह जहाज पहले ही कलकत्ते में मरम्मत आदि के लिये बुक हो चुका था और विलम्ब होने से कार्यक्रम में गड़बड़ हो जाने का भय था । तीसरी बात यह है कि कलकत्ते में इसका आना ज्वार भाटा की अवधि में पड़ गया था इसीलिये सामान को कम सीमा तक ही ले जाया गया था ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में लोअर डिवीजन क्लर्क

†१४७३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग द्वारा लोअर डिवीजन कलर्कों के लिये जिस विशेष ग्रेड की सिफारिश की गयी है, वह ग्रेड प्रतिरक्षा संस्थापनों में लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) प्रतिरक्षा संस्थापनों के लोअर डिवीजन कलर्कों के लिये सिलेक्शन ग्रेड प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक (पुनरीक्षित वेतन) नियम, १९६० में सूचित कर दिया गया है जो कि भारत सरकार के असाधारण गजट दिनांक १५ सितम्बर, १९६० में प्रकाशित है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सिलेक्शन ग्रेड में इन स्थानों के निर्भाग के लिये शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फाल नगरपालिका के प्रधान

†१४७४. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल नगरपालिका के प्रधान को मनीपुर सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर की और अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के सब नगरों की नगर-पालिकाओं के प्रधान गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मनीपुर सलाहकार समिति के मामले में नियमों के विपरीत यह कार्य करने का क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). संघ राज्य क्षेत्रों में प्रमुख नगरपालिकाओं के प्रधानों को सलाहकार समितियों में लेने की प्रथा है । तदनुसार, दिल्ली नगरपालिका का मेयर और नई दिल्ली नगरपालिका समिति का वरिष्ठ उप प्रधान दिल्ली की सलाहकार समिति के सदस्य हैं । अगरतला नगरपालिका बोर्ड भंग हो चुका है और उसका प्रधान निर्वाचित व्यक्ति नहीं है । इसलिये मनीपुर की सलाहकार समिति का गठन दूसरे संघ राज्य-क्षेत्रों की सलाहकार समितियों के लिये अपनाये गये ब्योरे स्वरूप के अनुसार हैं ।

प्लास्टिक के माल की पकड़

†१४७५. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ६ नवम्बर, १९६० के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (कलकत्ता) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बहुत से बंडल जो सरकारी लाइसेंस के अन्तर्गत, जिन्हें प्लास्टिक का माल बताया गया था, हांगकांग को भेजे जा रहे थे, कलकत्ता में सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा पकड़े गये और उन में प्लास्टिक के थैलों की बजाये पत्थर के टुकड़े (स्टोन चिप्स) थे;

(ख) यदि हां, तो बेईमान व्यापारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस व्यापारी का क्या नाम था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां । तथ्य ये हैं कि २५ संदूक जो निर्यात के लिये दिये गये थे और जिन के बारे में बताया गया था कि उन में प्लास्टिक के थैले और हाथी दांत का माल है, जब उनका परीक्षण किया गया तो उन में लकड़ी का बुरादा पाया गया । माल पेनांग को निर्यात करने का इरादा था ।

(ख) निर्यातकों को समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७(३) तथा (३७) के अन्तर्गत, कार्रवाई के हेतु 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिये गये हैं, और मामला न्यायाधिकरण के लिये कलकत्ता सीमा शुल्क प्राधिकारियों के सामने है । स्थानीय निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी तथा उपनिदेशक, प्रवर्तन, कलकत्ता को भी सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने सूचना दे दी है कि वे इस मामले में जो कार्रवाई उचित समझें, करें ।

(ग) निर्यातक थे, मैसर्स होतचंद जवाहरमल, ६५, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि आयोग का प्रतिवेदन

†१४७६. **श्री तंगामणि :** क्या विधि मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के १४वें प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). विधि आयोग के १४वें प्रतिवेदन में वे सिफ़ारिशें हैं जिनका सम्बन्ध न केवल विधि मंत्रालय से है अपितु अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भी है । उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने उन से सम्बन्ध रखने वाली अधिकांश सिफ़ारिशों पर पहले ही विचार कर लिया है । इसी प्रकार, प्रतिवेदन में की गई अधिकांश अन्य बड़ी सिफ़ारिशों के बारे में, जून १९६० में श्रीनगर में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और कतिपय निर्णय किये जा चुके हैं । सिविल तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिताओं में संशोधनों के बारे में प्रतिवेदन के सुझाव के अनुसार विधि आयोग को पहले ही लिखा जा चुका है । विधि व्यवसायी विधेयक १९५९ में, जो अब संसद के सामने है, प्रतिवेदन के अध्याय २५ और २६ को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया है ।

गांजा और भांग के उपयोग पर प्रतिबन्ध

†१४७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में गांजा और भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न किस स्थिति में है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**): गांजा और भांग का चिकित्सा के अतिरिक्त उपयोग करने पर आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश (मद्य निषेध क्षेत्र) , मद्रास और मैसूर राज्यों तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों में, प्रतिबंध लगाया गया है ।

पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों एवं दिल्ली तथा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में, गांजा का चिकित्सा के अतिरिक्त उपयोग प्रतिबंधित है, और भांग का उपयोग निषेध करने का प्रश्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों के विचाराधीन है ।

अवशिष्ट बिहार, मध्य प्रदेश (गैर मद्य-निषेध क्षेत्र), उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गांजा और भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राज भाषा विधेयक

†१४७८. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने और किन किन राज्यों ने राज भाषा विधेयक पारित कर दिये हैं; और

(ख) क्या भाषाई अल्पसंख्यक आयोग से स्वीकृति देने के लिये प्रार्थना की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ९ राज्य : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मद्रास, गुजरात, राजस्थान और पंजाब ।

(ख) जी, नहीं । संविधान के अधीन इस की आवश्यकता नहीं है ।

विदेशी बैंकों में भारतीयों के लेखे

†१४७९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी बैंकों में भारतीय व्यापारियों के गुप्त लेखों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६० में कितने मामलों का पता लगाया गया था और उन में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं । विदेशों में बैंकों में कुछ भारतीय व्यापारियों के अनधिकृत लेखाओं संबंधी जानकारी सरकार को मिल गई है ।

(ख) १९६० में (३०-११-६० तक) बारह मामलों का पता चला था । इन मामलों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है यह अनुमान लगाना संभव नहीं है । तथापि इन में ५७,००० रुपये के जुर्माने लगाये गये थे ।

उत्तर सिक्किम सड़क

†१४८०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सिक्किम सड़क की प्रगति में कुछ विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और क्या कठिनाइयां हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारी चट्टान के विस्फोटन के कारण विलम्ब हुआ है ।

विदेशी पत्रकारों का आगमन

†१४८१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति देखने के लिये विदेशी पत्रकारों को निमंत्रण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों से ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीका, इंगलिस्तान और पश्चिमी जर्मनी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत सेवक समाज

†१४८२. **श्री क० द० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से १९६० तक वर्षवार भारत सेवक समाज को कितना अनुदान और ऋण दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५५ से १९६० तक भारत सेवक समाज को दिये गये ऋणों और अनुदानों की राशि नीचे दी जाती है :—

	अनुदान	ऋण
(१) १९५४-५५ . . .	४,८९,१५२	. .
(२) १९५५-५६ . . .	२०,९१,२९७	. .
(३) १९५६-५७ .	२१,९९,७३५	. .
(४) १९५७-५८	१७,३६,२३१	. .
(५) १९५८-५९ .	२३,४६,१८६	३०,०००
(६) १९५९-६० .	२२,४१,८८६	७,९०,०००
(७) १९६०-६१ .	१४,१४,८१०	. .
जोड़	१,२५,१९,२९७	८,२०,०००

राजपत्र में हिन्दी विज्ञाप्तियां

१४८३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के उत्पादन-शुल्क और सीमा शुल्क के विषय में जो सरकारी विज्ञप्तियां सरकारी राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होती हैं, उन को अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में कोई ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि ऐसी विज्ञप्तियां हिन्दी में भी प्रकाशित हों ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब से चालू होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सेण्ट्रल एक्साइज़) और सीमाशुल्क (कस्टम्स) की बुनियादी दरें, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व नमक अधिनियम और भारतीय आयात-निर्यात-शुल्क अधिनियम की अनुसूचियों (शिड्यूल) के रूप में प्रकाशित की जाती है। चूंकि इन अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है, इसलिये इन अनुसूचियों का भी अनुवाद करना पड़ता है। कभी कभी इन कानूनी दरों में कुछ तब्दीलियां गजट में प्रकाशित अधिसूचनाओं के द्वारा की जाती हैं। ये तब्दीलियां जनता को आम तौर से प्रेस नोटों द्वारा सूचित की जाती हैं जो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में छपते हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इनामी बांडों का हिन्दी में छापना

१४८४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनामी बांडों और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को हिन्दी में छपवाने की कोई व्यवस्था की गई है, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गई है, तो हिन्दी में छपे इनामी बांड और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र डाक-घरों में कब से मिलने लगेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । सरकार को सलाह दी गई है कि जब तक संविधान के अनुच्छेद ३४३ (२) के अनुसार अंग्रेज़ी राजभाषा बनी हुई है तब तक बचत पत्रों (सेविंग्स सर्टिफिकेट) और दूसरी सरकारी सिक्योरिटियों को अंग्रेज़ी में छापना ही पड़ेगा ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली के स्कूलों में भाषा अध्यापक

१४८५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के राजकीय हायर सेकन्डरी स्कूलों में छठी से ले दसवीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले भाषा अध्यापकों के लिये निर्धारित निम्नतम योग्यता व निम्नतम वेतनक्रम क्या हैं ; और

(ख) ये कब से लागू किये गये हैं और क्यों ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) गवर्नमेंट हायर सेकण्डरी स्कूलों में छठी से दसवीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले भाषा अध्यापकों के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें और वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

कक्षाएं	योग्यताएं	वेतनमान
(१) छठी से आठवीं	(क) वैकल्पिक विषय के रूप में प्राचीन (क्लेसीक्ल) अथवा आधुनिक भारतीय भाषा सहित विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री) तथा शिक्षा में उपाधि (डिग्री) या सनद (डिपलोमा) अथवा पांच साल पढ़ाने का अनुभव ।	१००–५–१५०–८–१९५ ई० बी० १०–२५० रु०
	(ख) प्राचीन भाषाओं (आधुनिक भारतीय भाषाओं से भिन्न) के अध्यापकों क लिये शास्त्री या इस के समकक्ष प्राचीन भाषा की कोई परीक्षा और अंग्रेज़ी में बी० ए० तथा शिक्षा में उपाधि (डिग्री या सनद (डिपलोमा) अथवां पांच साल पढ़ाने का अनुभव ।	
(२) नवीं और दसवीं .	(क) भारतीय विश्वविद्यालय की उपाधि तथा शास्त्री या इसी के समकक्ष कोई परीक्षा अथवा आधुनिक भारतीय भाषा की कोई समकक्ष परीक्षा ।	१२०–८–२००–ई० बी० १०–३०० ६०

†मूल अंग्रेजी में

कक्षाएं	योग्यताएं	वेतन मान
	(ख) वैकल्पिक विषय के रूप में प्राचीन या आधुनिक भारतीय भाषा सहित विश्वविद्यालय की उपाधि तथा शिक्षा में उपाधि (डिग्री) या सनद (डिपलोमा) अथवा पांच साल पढ़ाने का अनुभव ।	
	(ग) प्राचीन भाषाओं (आधुनिक भारतीय भाषाओं से भिन्न) के अध्यापकों के लिये शास्त्री या इस के समकक्ष प्राचीन भाषा की कोई परीक्षा और अंग्रेजी में बी० ए० तथा शिक्षा में उपाधि (डिग्री) या सनद (डिपलोमा) अथवा पांच वर्ष पढ़ाने का अनुभव ।	

उपरोक्त न्यूनतम योग्यताएं और वेतन मान १-४-५० से निर्धारित किये गये थे।

किन्तु इस के साथ यह भी बताना उचित होगा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर छठी से ले कर दसवीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले भाषा अध्यापकों के लिये १७०-१०-२९०—ई० बी०—१५-३८० रुपये का एक सामान्य वेतन मान निर्धारित कर दिया गया है। यह वेतन मान पिछली १-७-५९ से दिया जायेगा ।

रूसी विमानों का क्रय

†१४८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिये रूसी विमान खरीदने के लिये मास्को में हाल ही में कोई संविदा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा में संविदा का ब्यौरा बताना लोक हित में नहीं है ।

स्टेनोग्राफर

†१४८७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५ में पदोन्नत किये गये कुछ स्टेनोग्राफर १९५८ में प्रत्यावर्तन होने चाहियें थे क्योंकि वे संघ लोक सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षाओं में पास नहीं हो सके ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कुछ स्टेनोग्राफर अधीनस्थ दफ्तरों में भेज दिये गये ताकि उन्हें उन के पदों पर सुरक्षित रखा जा सके, जबकि दूसरे लोगों को प्रत्यावर्त होना पड़ा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई स्टेनोग्राफरों की परीक्षा के परिणाम स्वरूप तैयार की गई योग्यता सूची समाप्त होने पर एक नई तालिका तैयार की जा रही है जिस में उसी योग्यता सूची के बकाया भाग के अभ्यर्थियों को लिया जा सके, और उन अभ्यर्थियों के दावों की सर्वथा उपेक्षा की गई है जो कितने ही वर्षों से स्टेनोग्राफर रहे हैं और १९५८ में प्रत्यावर्त किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त (ग) भाग में उल्लिखित योग्यता सूची से अभ्यर्थियों को चुनने, जिन के दावे कम हैं तथा ऐसे स्टेनोग्राफरों को निकालने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जिन लोगों को इस शर्त पर कि वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करें, अस्थायी रूप से स्टैनोग्राफर बनाया गया था, उन्हें जब वे उक्त परीक्षा में सफल न हो सके, तो योग्य स्टेनोग्राफर मिल गये, प्रत्यावर्त कर दिया गया। इस मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार, उन्हें स्टेनोग्राफर बनने से पूर्व के पदों पर प्रत्यादर्त होना था। इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है कि आया उन में से कुछ लोग अधीनस्थ दफ्तरों में भेज दिये गये थे। उन में से किसी को भी ऐसा रक्षण नहीं दिया गया।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में चक्रवात

†१४८८. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा के सबरूम सबडिवीज़न के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग २०,००० लोगों को, जिन में विस्थापित, आदिम जाति लोग तथा मुसलमान शामिल हैं, ३१ अक्तूबर १९६० को चक्रवात के कारण भारी क्षति पहुंची ;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि उन लोगों के सब मकान और सरकार के भी सब मकान गिर गये हैं और नष्ट हो गये हैं ;

(ग) क्या हानि की राशि का अनुमान लगाया गया है और लोगों की मृत्यु की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) चक्रवात द्वारा सबरूम सबडिवीजन के लगभग १५,१३२ निवासियों को क्षति पहुंचने की सूचना मिली है, जो १० अक्तूबर को और फिर ३१ अक्तूबर १९६० को त्रिपुरा के दक्षिण सब-डिवीज़न में आया था।

(ख) सूचना मिली है कि ६,१८६ मकान गिर गये। ८ दफ्तरी इमारतों, एक अनाज गोदाम, १० स्कूल इमारतों और २ डिस्पेंसरी इमारतों को भी हानि पहुंची है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) तथा (घ). की गई जांच से पता चला है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। सम्पत्ति की हानि इस प्रकार है :—

(१) क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य :

गैरसरकारी . .	३,२१,०८६ रुपये
सरकारी	३९,५०० रुपये
(२) फसलों को हानि . . .	८८,८०० रुपये
(३) पौधों को हानि . . .	५,७०० रुपये
(४) खोये गये ८ ढोरों का मूल्य .	५८४ रुपये

वेतन आयोग की सिफारिशें

१४८९. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में वेतन आयोग की सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सिफारिशें लागू न होने के फलस्वरूप कर्मचारियों के मन में, जो हड़ताल के दिनों में भी पूरे निष्ठावान रहे, नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंजाब वेतन दर प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों को निम्न-लिखित कन्सेशन देने का निश्चय किया गया है :—

(१) प्रथम जुलाई, १९५९ से तारा देवी में केन्द्रीय सरकार की इस समय की लागू दरों के स्थान पर पंजाब वेतन-दर प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को शिमला में दी जाने वाली दरों के आधार पर क्षति-पूरक भत्ते का देना ;

(२) विभिन्न स्थानों पर अराजपत्रित स्टाफ़ को मिलने वाली दरों के आधार पर ३५० रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रथम जुलाई, १९५९ से क्षतिपूरक भत्ते का देना ;

(३) १०० से ४०० रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये मंजूर की गई दरों के आधार पर अस्थायी भत्ते का देना ;

(४) प्रथम जुलाई, १९५९ से सामयिक पंजाब दरों के आधार पर सारे महंगाई भत्ते को वेतन के समान गिना जाना ;

(५) प्रथम अप्रैल, १९५८ से ३० जून, १९५९ तक पंजाब दरों के आधार पर आधे महंगाई भत्ते को पेन्शन के उद्देश्य के लिए वेतन गिना जाना।

इन निर्णयों को फलीभूत करने वाले औपचारिक आदेशों के शीघ्र ही जारी होने की आशा है। वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि प्रशासन के वे कर्मचारी जो केंद्रीय दरों पर हैं, पंजाब दरों पर लाये जायें। इस सिफारिश पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हायर सैकेंडरी परीक्षाओं में असफलता

†१४९०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६० में हायर सैकन्डरी परीक्षाओं में कितने प्रतिशत लोग असफल रहे हैं ;

(ख) यदि शिक्षा निदेशक दिल्ली ने १९६० में हायर सैकन्डरी स्तर पर शिक्षा स्तर को सुधारने के लिये कोई उपाय किये हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) दिल्ली में कितने हायर सैकन्डरी स्कूल अभी तक तम्बुओं में हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३२.०१ प्रतिशत ।

(ख) १९५९-६० सत्र से सरकारी स्कूलों में हायर सैकन्डरी श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों में सुधारात्मक अध्ययन की योजना चालू की गई है । इस योजना के अधीन जो विद्यार्थी इन विषयों में बहुत कमजोर होते हैं उन्हें अतिरिक्त अध्यापन कराया जाता है ।

(ग) ३७ ।

विश्वविद्यालय छात्राओं के लिये होस्टल

†१४९१. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व-विद्यालय स्तर पर सर्वथा छात्राओं के लिये कितने होस्टल हैं और वे कहां हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

किरिबुरु और बरसुआ खानें

†१४९२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "खोज" शीर्षक के अन्तर्गत उड़ीसा में किरिबुरु और बरसुआ लोह अयस्क खानों में कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : खोज के लिये किरिबुरु अब तक १०,९४,००० रुपये खर्च किये गये हैं । प्रारम्भिक खोज के लिये बरसुआ पर ७,२६,८७२ रुपये की राशि भारतीय खान ब्यूरो को दी गई है । यह विभागीय खोज पर हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी द्वारा किये गये व्यय के अतिरिक्त है ।

सरकारी क्षेत्र की लौह अयस्क खानें

†१४९३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत में सब सरकारी क्षेत्रीय लौह अयस्क खानों में कुल कितनी समृद्ध पूंजी लगाई गई है ;

(ख) उनका दैनिक उत्पादन कितना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात खानों की लौह अयस्क की दैनिक आवश्यकता कितनी है ;

(घ) सरकारी क्षेत्र की खानें लौह अयस्क की कुल दैनिक आवश्यकता का कितने प्रतिशत पूरी करती हैं और इन इस्पात मिलों को बकाया लौह अयस्क कहां से मिलता है ; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात मिल किस भाव पर गैर-सरकारी खानों के मालिकों से लौह अयस्क खरीदते हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क)

	कुल अनुमानित लागत	कुल नियोजित पूंजी
(१) बरसुआ लौह अयस्क खानें	११,५७,००,००० रुपये	७,३९,००,००० रुपये १-११-६० तक
(२) राजहारा लौह अयस्क खानें	८,८४,००,०००	६,००,००,००० ३०-९-६० तक
(३) किरिबुरु लौह अयस्क खानें (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अन्तर्गत)	९,०६,००,०००	७५,५३,००० १-११-६० तक
(४) लौह अयस्क खानें (उड़ीसा खनन निगम के अधीन)	अभी उपलब्ध नहीं	यह भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार का संयुक्त उद्यम ह। अभी तक भारत सरकार ने इस निगम की अंश पूंजी में ६,००,००० रुपये लगाये हैं।

(ख)

	प्रतिदिन औसत उत्पादन टनों में	पूर्वरूपेण कार्यान्वित होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता टनों में	
(१) राजहारा लौह अयस्क खानें	५,०००	२१ लाख	अक्तूबर महीने १९६० के उत्पादन आकड़ों के आधार पर ।
(२) बरसुआ लौह अयस्क खानें	१४०	३० लाख	जैसा ऊपर है । यंत्रीकृत खनन स्थायी आधार पर अभी आरंभ नहीं हुआ ।
(३) किरिबुरु लौह अयस्क खानें .	—	२० लाख	अभी उत्पादन आरंभ नहीं हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

	प्रतिदिन औसत उत्पादन टनों म	पूर्णरूपेण कार्यान्वित होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता टनों में	
(४) महाराजपुर, खान डाडेरा, और सकराडिही लौह अयस्क खानें (उड़ीसा खनन निगम के अधीन)	२८१	अभी उपलब्ध नहीं ।	जनवरी से अक्तूबर, ६० तक के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर ।

(ग)

	औसत दैनिक आवश्यकता टनों में	पूरे उत्पादन के लिये आवश्यकता टनों में	
(१) भिलाई . .	३,१००*	२० लाख	*अक्तूबर महीने १९६० के उपभोग आंकड़ों के आधार पर ।
(२) रूरकेला	१,९००	१५ लाख	ऊपर जैसे
(३) दुर्गापुर . .	१,८००	१९ लाख	ऊपर समान

(घ) इस समय भिलाई को लौह अयस्क का पूरा संभरण राजहारा में इस की अपनी खानों से मिल रहा है । दुर्गापुर को संभरण बोलानी अयस्क प्राइवेट सीमित से मिलता है तथा बकाया राजकीय व्यापार निगम के द्वारा मिलता है । रूरकेला को इस समय संभरण राज्यकीय व्यापार निगम के द्वारा प्राप्त होते हैं क्योंकि अभी बरसुआ से संभरण आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ङ) ११.५० नये पैसे प्रति टन ढोने के स्टेशन तक निःशुल्क की दर पर ।

इस्पात संयंत्रों को दिया जाने वाला लौह अयस्क

†१४९४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्रीय लौह अयस्क खानों में तैयार लौह अयस्क में औसतन लोहा, सिलिका और अल्युमिना तत्व कितना होता है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि निश्चित प्रतिशत सिलिका और अल्युमिना तत्व होते हैं और इसका अनुपात इस्पात बनाने के लिये अनिवार्यतः जरूरी है ;

(ग) यदि हां, तो वह प्रतिशत कितना है ; और

(घ) दुर्गापुर को बर्ड ऐंड कम्पनी द्वारा दिये गये बोलानी अयस्क में औसतन फैरस सिलिका और अल्युमिना तत्व कितना होता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) सरकारी क्षेत्रीय लौह अयस्क खानों में से निकाले गये लौह अयस्क में औसतन लोहा, सिलिका और अल्यूमिना तत्व इस प्रकार होते हैं :

		उड़ीसा खानें	
	राजहारा बारसुआ	महाराजपुर और खानडा-डेरा खानें	सकराडिही खानें
लोहा तत्व	६४·७५ प्रतिशत ६० प्रतिशत	६३ प्रतिशत	६६ प्रतिशत
सिलिका	३·३८ ,, ६ ,,	७ प्रतिशत*	५ प्रतिशत*
अल्यूमिना	२·४५ ,, ४ ,,		

*सिलिका तथा अल्यूमीना के अलग अलग आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं

(ख) तथा (ग). साधारणतया लौह अयस्क में अल्यूमिना की प्रतिशतता सिलिका तत्व की प्रतिशतता से अधिक नहीं होनी चाहिये। लौह अयस्क में सिलिका और अल्यूमिना तत्व ८ से १० प्रतिशत के बीच होना चाहिये।

(घ) बोलानी से दिये गये लौह अयस्क में औसतन सिलिका और अल्यूमिना तत्व क्रमश : २·३ प्रतिशत और ५·६ प्रतिशत होता है। क्योंकि बोलानी अयस्क में अल्यूमिना तत्व अधिक होता है इस में दूर्गापुर संयंत्र में बाराजामदा क्षेत्र से अयस्क के साथ मिलाया जाता है।

पम्पोश में रेलवे साइडिंग

†१४९५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लाइन के साथ बोलानी खानों को मिलाने वाले पम्पोश रेलवे साइडिंग पर कुल कितनी लागत आई है और यह व्यय किसने किया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: दक्षिण-पूर्वी रेलवे साइडिंग का अनुमानित व्यय १,१०,६०,००० रुपये देगी।

नये विश्वविद्यालय

†१४९६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान श्री सी० डी० देशमुख द्वारा जबलपुर विश्वविद्यालय के कनवोकेशन भाषण में दिया गया वक्तव्य, जिस में उन्होंने उचित योजना के बिना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श के बिना नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की खतरनाक प्रवृत्ति की आलोचना की थी, का परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). जबलपुर विश्वविद्यालय के कनारवोकेशन में डा० सी० डी० देशमुख द्वारा दिया गया वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी भारत सरक-

†मूल अंग्रेजी में

इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान के विचारों से अवगत है और इसने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है, न कि नये विश्वविद्यालय स्थापित करने से मुख्तया संबंध है, कि यदि कोई आपत्ति न हो तो नये विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित सब मामलों पर आयोग की सलाह ले ली जानी चाहिये और उसके लिये प्रार्थना शिक्षा मंत्रालय को की जानी चाहिये जो आयोग की मंत्रणा प्राप्त करके उसे राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकारों से यह भी प्रार्थना की गई है कि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव बनाते समय आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचारों या दिये गये सुझावों पर उचित विचार किया जाना चाहिये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री स० मो० बनर्जी की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है तथा अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि सिलचर के निकट भारतीय गांव भैरवनगर पर सशस्त्र पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया है जिसके फलस्वरूप एक लड़की मारी गई तथा अन्य तीन व्यक्ति घायल हुए हैं।

क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे। मैंने इसे अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाने के रूप में ग्रहण किया है । अगर माननीय मंत्री महोदय के पास तथ्य हों तो आज वर्ना कल इस विषय में वक्तव्य दे।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: इस सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य प्राप्त नहीं हैं। विस्तृत तथ्य प्राप्त हो जाने के बाद ही सभा में वक्तव्य दिया जा सकता है ।

मेरे विचार से तो यह प्रश्न स्थगन प्रस्ताव का नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : प्रधान मंत्री भी अब आ गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सिल्चर के निकट हुई दुर्घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव है और इस बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व की दृष्टि से ध्यान भी आकर्षित किया गया है । मैंने इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के रूप में स्वीकार किया है। क्या प्रधान मंत्री के पास इस बारे में तथ्य हैं तो वे आज वर्ना कल एक वक्तव्य दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमारे पास सम्पूर्ण तथ्य नहीं हैं । कह नहीं सकता कि कल तक तथ्य मिल भी जायेंगे। हमें जो सूचना मिली है वह यह है कि यह सीमा के उस पार से सशस्त्र डाका डाले जाने की घटना है । कुछ सशस्त्र डाकू लोग आये और उन्होंने यह कार्य किया लेकिन हम इस मामले की और आगे छान बीन कर रहे हैं और जैसे ही हमें पूरा विवरण मिलेगा, उसे सभा के सामने रख दिया जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): चूंकि स्थगन प्रस्ताव मेरे नाम से है अतः प्रधान मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि सीमा के क्षेत्रों में और विशेष रूप से भारत पाक सीमा के पूर्वी क्षेत्र में जो कि घना वसा हुआ है लोगों की जान व माल की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है। जब भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूबखां भारत पर आरोप लगाते हुए कोई वक्तव्य देते हैं तो ऐसी घटनायें होती हैं। इन सब बातों का कुछ संबंध है। हम चाहते हैं कि इन सभी बातों के बारे में प्रधान मंत्री एक विस्तृत वक्तव्य दें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं कह सकता हूँ कि सीमा के निकट वर्ती क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लोगों के माल व जान की पूर्ण सुरक्षा है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कब वहां डाकू और चोर आ जायें। वैसे तो हम देश के भीतर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में भी डाकुओं के आक्रमण के समाचार आये दिन सुनते हैं। यह अलवत्ता एक ऐसी बात जरूर है जो रुकनी चाहिये। लेकिन मैं यह नहीं समझा कि माननीय सदस्य वास्तव में चाहते क्या हैं। मैं कह सकता हूँ कि सीमा वाले क्षेत्रों में लोगों का जीवन एवं उनकी सम्पत्ति पूर्णतः सुरक्षित है।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्थगन प्रस्ताव की मैं अनुमति नहीं देता। अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आगामी सोमवार तक के लिये स्थगित करता हूँ।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में

†**राजा महेन्द्र प्रताप सिंह** (मथुरा) : आपने मेरी ध्यान आकर्षित करने वाली सूचना का उल्लेख नहीं किया जिसमें मैंने कहा था कि फिरोजाबाद में मुसलमानों का खून खराबा हो रहा है। और मुसलमान काफी दुखी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अपनी अनुमति नहीं दी है। मैं इस पर विचार करूंगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

डाकघर बचत प्रमाणपत्र (प्रथम संशोधन) नियम

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** मैं सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६२ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (प्रथम संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल टी—२५०१/६०]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नियम और खनिज रियायत नियम

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मैं (१) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३११ में प्रकाशित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नियम, १९६० की एक प्रति और (२) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७

---

†मूल अंग्रेजी में

को धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९८ में प्रकाशित खनिज रियायत नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—२५०२/६० और २५०३/६०]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम तथा समुद्र सीमा शुल्क के अधीन अधिसूचनाएं और भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६क के अधीन रियायतें पाने वाली संस्थाओं की सूची

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं डा० वे० गोपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७५ ।

(दो) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७७ ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८१ ।

(चार) ऐसी व्यापारिक संस्थाओं की सूची जिन्हें सरकार से पूछने पर वर्ष १९५९-६० में सूचित किया गया कि उनके द्वारा अपने समवाय के अंशधारियों को बांटे गये लभांश पर भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ५६-क के अन्तर्गत रियायतें दी जायेंगी ।

[पुस्तकालय में रखी गईं, देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—२५०४/६०, २५०५/६०, २५०६/६० और २५०७/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : नियम १८७ के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का ध्यान दिलाता हूँ और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"कच्चे लोहे के एक लाख टन तक की क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने का सरकार द्वारा कथित निर्णय ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: औद्योगिक नीति संकल्प १९५६ में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूची में दी गई नई इकाइयों की स्थापना के सिलसिले में जब कभी गैर-सरकारी उपक्रमों के सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य इस बात का सुनिश्चियन करेगी कि इसके पास नीति का मार्गदर्शन करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उस उपक्रम के कार्य संचालन की पूरी क्षमता है। अन्य अधिकारों के अतिरिक्त सरकार के पास यह भी अधिकार है कि वह लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश के अधीन नीति का मार्गदर्शन करे। लोहा तथा इस्पात उत्पादन करने वाले किसी भी उपक्रम के कार्य संचालन पर नियंत्रण करे।

औद्योगिक नीति संकल्प में छोटे तथा मझोले उद्योगों के कार्य पर भी जोर दिया गया है तथा यह भी कहा गया है औद्योगीकरण के द्वारा देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को यदि लाभ पहुंचाना है तो यह आवश्यक है कि विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के विकास में जो विभिन्नता है उसे तेजी के साथ समाप्त किया जाये। इस नीति के अनुसरण में सरकार ने दिसम्बर, १९५६ में प्रति वर्ष १५,००० टन या कम कच्चा लोहा उत्पादन करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को अनुज्ञप्तियां देने का निर्णय किया। इस प्रकार के कच्चा लोहा उत्पादन करने वाले छोटे संयंत्रों की स्थापना करने के लिये ८ सार्थों को अनुज्ञप्तियां दी गईं। इनमें से दो ने तो उत्पादन शुरू कर दिया है—एक तो कोयम्बटूर (मद्रास राज्य) और दूसरा बारबिल (उड़ीसा राज्य) में है। शेष सार्थों को संयंत्र लगाने हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में कच्चे लोहे की आवश्यकताएं १५ लाख टन और २० लाख टन के बीच कूती गई है। योजनाएं इस आधार पर तैयार की जा रही हैं कि कम से कम १५ लाख टन की क्षमता उत्पन्न की जानी चाहिये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में लोहे और इस्पात के संबंध में योजना तैयार करने से यह बात प्रगट हुई है कि समेकित लोहे और इस्पात के कारखानों के लिये बिक्री के प्रयोजन से देने के लिये १० लाख टन से अधिक कच्चा लोहा तैयार करना संभव न हो सकेगा। लगभग ३ लाख टन कच्चा लोहा तैयार करने के लिये निवेली में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है। यह कारखाना सैलम की अयस्क और लिग्नाइट से कच्चा लोहा तैयार करेगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत के समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अभी २ से ५ लाख टन और भी कच्चे लोहे के उत्पादन की योजना बनाना आवश्यक है। इसी दृष्टि से सरकार ने अपने पहले के विचार में संशोधन कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है कि लगभग १–१ लाख टन की वार्षिक क्षमता वाले कच्चे लोहे के कारखानों की स्थापना के लाइसेंस इस शर्त पर दिये जायें कि इन कारखानों को किसी भी शक्ल में राज-सहायता नहीं दी जायेगी। इसके साथ साथ लोहा तथा इस्पात विभाग को इन कारखानों के लिये अनुज्ञप्तियां देने में इस वृहत् उद्देश्य का ध्यान रखने के लिये कहा गया है कि ये कारखाने ऐसे स्थानों पर खोले जायें जो प्रादेशिक विकास की दृष्टि से उपयुक्त हों, यथासंभव स्थानीय संसाधनों को ही उपयोग किया जाये और धातु कार्मिक कोयले का, विशेष रूप से झरिया के कोयले का परिवर्तन समेकित लोहा तथा इस्पात कारखानों के लिये किया जाये।

यह आशा की जाती है कि स्थानीय कच्चे माल से, कच्चा लोहा तैयार करने के लिये तीन या चार कारखाने ऐसे राज्यों में, जिनमें समेकित लोहा तथा इस्पात कारखाने नहीं हैं, खोलना संभव हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कुछ आवेदन पत्र मिले हैं तो, १ लाख टन की क्षमता वाले कच्चे लोहे के संयंत्र लगाने के लिये कितने आवेदन पत्र मिले हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अपनी याददाश्त के आधार पर मैं कह सकता हूं ऐसे आवेदन पत्र दो ही आये हैं । एक तो उड़ीसा राज्य के बारबिल में स्थापित संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के बारे में है और दूसरा आवेदन महाराष्ट्र के चांदा जिले में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में है ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : क्या आंध्र राज्य के बारे में भी कुछ किया जा रहा है । वहां की सरकार भी एक संयंत्र लगाने की इच्छुक है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ठीक है कि वह सरकार भी इच्छुक है बशर्ते कि वहां उत्पाद किये जाने वाले कच्चे लोहे की श्रेणिकृता अच्छी हो । प्राविधिक दृष्टि से उस पर विचार हो रहा है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि १९५६ की औद्योगिक नीति संकल्प में कुछ संशोधन किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का १–१ लाख टन की क्षमता वाले संयंत्रों के प्रबन्ध के नियंत्रण में कोई हाथ रहेगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उन पर नियंत्रण रहेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सामान्यत: तो गैर सरकारी क्षेत्रों में गैर सरकारी पूंजी से स्थापित किये जाने वाले उपक्रमों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता । लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश के अधीन वैसे सभी उपक्रमों पर नियमित नियंत्रण तो रहता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : क्या जमशेदपुर में यो शेफ्ट फरनेस की स्थापना करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नेशनल मेटलरजीकल लेबोटरी, जमशेदपुर में नवेली लिग्नाइट का प्रयोग करके कुछ परीक्षण किये गये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : श्रीमान्, प्रस्तावित केन्द्रीय संस्कृत संस्था के स्थान के बारे में श्री रघुनाथसिंह ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में बताया गया था कि हैदराबाद के संस्कृत कालेज का चुनाव संस्कृत आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर था, उस आयोग ने इस कालेज की बड़ी प्रशंसा की थी और इस कालेज को एक बढ़िया से बढ़िया संस्था बताया था । असली स्थिति यह है कि आयोग ने सिफारिश की थी कि यह अच्छा होगा यदि केन्द्रीय सरकार संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना दक्षिण भारत में कहीं करे । इस आयोग ने किसी संस्था विशेष के बारे में कुछ नहीं कहा था । उसके बाद इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये उस संस्था को नहीं लिया गया । तिरुपति में इस संस्था की स्थापना करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** (बाराणसी) : तिरुपति के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की अंतिम बैठक में इस पर विचार किया गया था। उन्होंने एक उपसमिति की नियुक्ति की थी और शीघ्र ही इसके बारे में निर्णय किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या वहां विश्वविद्यालय की स्थापना करने का पक्का निश्चय है अथवा पहले की तरह इसमें भी परिवर्तन कर दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पक्का निश्चय तो अब किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या तिरुपति में विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निश्चय कर लिया गया है और यह उपसमिति उस सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरा तैयार कर रही है अथवा अभी यह निश्चय किया जाना शेष है कि क्या इसकी स्थापना वहां की जाये अथवा नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समय हम संस्कृत बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोर्ड के कुछ सदस्य वहां गये और उन्होंने स्थान का निरीक्षण किया है। इस प्रश्न की और जांच करने के लिये उन्होंने एक उप समिति की नियुक्ति की है। व सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। और शीघ्र ही वे अपना निर्णय देंगे। तिरुपति न्यास से तथा आन्ध्र सरकार से सहायता देने का वचन भी हमें मिला है। इन सभी बातों पर अब विचार हो रहा है। आयोग की जैसे ही सिफारिशें हमें प्राप्त होती हैं हम शीघ्र ही इसके बारे में निश्चय कर लेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : यह जो तिरुपति में संस्कृत का सेन्टर स्थापित करने की बात है क्या इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट से भी बातचीत हुई है और क्या वह आपको सहायता देने के लिये तैयार हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब पूरी योजना बन जायेगी तब पता चलेगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वह आर्थिक दृष्टि से पूरी मदद देगी, और तिरुपति ट्रस्ट ने भी कहा है कि आर्थिक दृष्टि से पूरी सहायता करेंगे अगर यह केन्द्र तिरुपति में स्थापित किया जाये। अभी तो यह सारा मामला संस्कृत बोर्ड के पास है और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही इसके ऊपर निर्णय ले लिया जायेगा।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : क्या इसका अभिप्राय यह है कि आन्ध्र सरकार इस बात के लिये इच्छुक है कि यह विश्वविद्यालय तिरुपति में बने न कि हैदराबाद में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आन्ध्र सरकार ने शुरू में यह प्रस्ताव किया था कि यह संस्कृत कालेज केन्द्रीय संस्कृत संस्था में बदल दिया जाये लेकिन हमने जब कहा कि यह एक एसी संस्था है जिसे केन्द्रीय संस्कृत संस्था में नहीं बदला जा सकता तो उन्होने फिर इस पर जोर नहीं दिया। अब तो वे केवल इसी बात के इच्छुक हैं कि इस संस्था की स्थापना तिरुपति में की जाये।

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०-६१—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में वर्ष १९६०-६१ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों तथा तत्सम्बन्धी कटौती प्रस्तावों पर और आगे विचार किया जायेगा। श्री त० ब० विट्ठल राव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मांग संख्या १२९ के बारे में बोलते हुये कल मैंने यह जानना चाहा था कि कौन कौन दल खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण करना चाहते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन है कि खम्भात क्षेत्र में कुवों की खुदाई तथा तेल के परीक्षण के कार्य की गति को तेज किया जाना चाहिये। छेद करने वाले बरमों आदि को मंगाने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

भूकम्प विद्या सम्बन्धी दलों को देश का दौरा करने के बजाय खम्भात तथा अंकलेश्वर के संभाव्य तेल वाले क्षेत्र में केन्द्रित हो कर काम करना चाहिये। क्योंकि वहां व्यापारिक दृष्टि से तेल पाने की अधिक संभावना है।

खम्भात में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में कोई विलम्ब या ढील नहीं होनी चाहिये। शीघ्र ही उसकी स्थापना वहां की जानी चाहिये। हम देखते हैं कि द्वितीय योजना में पेट्रोल के खर्चे में काफी वृद्धि हो गई है और अब उसकी मात्रा बढ़ कर ६६ लाख टीन हो गई है। आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगीकरण तथा अन्य दूसरे कारणों से पेट्रोल का खर्चा और भी बढ़ जायेगा। आवश्यकता इस बात की है कि खम्भात में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

जाये खम्भात में प्राप्त तेल का शोधन वहीं किया जाये न कि बम्बई के तेल शोधक कारखाने में। बम्बई में तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। हम नहीं चाहते कि बर्मा शैल जैसी विदेशी सार्थों को यहां काम बढ़ाने का अधिक अवसर दिया जाये।

मैं कह सकता हूं कि खम्भात में तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने के बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि खम्भात में शीघ्र ही एक तल शोधक कारखाने की स्थापना की जाये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में रेलवे लिंक के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है, वह हिन्दुस्तान के लिये घातक सिद्ध होगा। पहली बात यह है कि जो तर्क दिया जाता है, ...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किस हैड पर बोल रहे हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जनरल डिमांड पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त सप्लीमेंटरी डिमांडज़ हाउस के सामने हैं। इसलिये कोई खास चीज़ होनी चाहिये, जिस पर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्य ज़रा इसको देख लें। अगर वह चाहेंगे, तो मैं उनको बाद में बुला लूंगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं मांग संख्या १२५ के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां तक सिन्धु पानी करार के अधीन पाकिस्तान को किये जाने वाले भुगतान का मामला है, सरकार ने सभा के सामने उसे अपनी लाचारी के रुप में उपस्थित किया है। इतनी बड़ी राशि देने के लिये जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श किये बिना वचन वद्ध नहीं होना चाहिये था। इस बात में सरकार का कोई नैतिक औचित्य नहीं है कि वह इतनी बड़ी राशि के लिये राष्ट्र को दस वर्षों के लिये देनदार बनाये। इस संधि के अनुसार भारत को कोई भी लाभ नहीं मिला है। भारत को खुद ही विदेशी मुद्रा की भारी कमी है फिर भी उसे पाकिस्तान को रुपये में नहीं बल्कि पौंड में भुगतान करना होगा। इस करार के अधीन देय राशि का विभाजन के ऋण में समायोजन भी नहीं किया गया है। यह करार पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने में भी असफल रहा है जैसा कि राष्ट्रपति अय्यूब के भाषणों से स्पष्ट है।

जहां तक देश में तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है, यह व्यय पूर्णतः राज्य के हाथ में होना चाहिये। अन्यथा मध्यपूर्व के देशों के इतिहास की पुनरावृत्ति यहां होगी। तेल के वितरण में गैर-सरकारी समवायों का एकाधिकार देश के लिये खतरनाक है। तेल के उत्पादन, शोधन तथा क्रय विक्रय के लिये प्रशासन की एक समेकित शैली होनी चाहिये।

तेल शोधन कारखानों के खोलने के काम में ढिलाई नहीं आनी चाहिये। खम्भात के तेल को बम्बई में शुद्ध कराने का प्रस्ताव अच्छा नहीं है। क्योंकि विदेशी समवाय यहां से लाभ कमाना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि पश्चिमी देशों का तेल के ऊपर एकाधिकार यहां से समाप्त हो जाये। और देश में एक समेकित संस्था, समेकित प्रशासन की स्थापना की जाये जो तेल का उत्पादन करे, उसका शोधन करे और समेकित रुप से उसकी बिक्री करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मैं खान और तेल मंत्रालय का ध्यान केवल एक ही बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खम्भात, बड़ौदा और अंकलेश्वर प्रदेश में तेल के बड़े समृद्ध भंडारों का पता लगने से समूचे देश को प्रसन्नता हुई है। माननीय मंत्री भी जब तब उस क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। उन्होंने गुजरात विधान सभा के सदस्यों को वचन भी दिया था कि उस क्षेत्र में शीघ्र ही एक परिष्करिणी स्थापित की जायेगी। लेकिन अब सभा में, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सरकार विचार कर रही है कि "यदि संभव हो" तो वहां "दस लाख टन" की क्षमता की एक परिष्करिणी स्थापित की जाये। इस उत्तर से हमें आश्चर्य भी हुआ और दुःख भी। हमारा अपना अनुमान है कि उस क्षेत्र में २५ लाख टन से कम क्षमता वाली परिष्करिणी स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभपूर्ण नहीं होगा। माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये और उस क्षेत्र के तेल के भंडारों को देखते हुए ही परिष्करिणी की क्षमता निश्चित करनी चाहिये। सभी जानते हैं कि गुजरात में तेल के बड़े समृद्ध भंडार हैं।

आश्चर्य की बात है कि इतने पर भी माननीय मंत्री ने "यदि संभव हो" शब्दों का प्रयोग क्यों किया ? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

हमारे देश को विदेशी मुद्रा की बड़ी जरूरत है और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हमें बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। परिष्करिणियों की स्थापना करके हम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं।

माननीय मंत्री का कर्तव्य है कि उस प्रदेश के तेल-भंडारों की समृद्धि के अनुरूप जितनी भी परिष्करिणियां वहां स्थापित करनी हों, की जायें। आशा है माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मैं सिन्धु पानी करार से सम्बन्धित मांग संख्या १२५ के बारे में कहूंगा।

पहले जब पाकिस्तान ने मंगला बांध बनाना चाहा था, तो हमारे देश की जनता ने, और भारत सरकार ने भी सुरक्षा परिषद् के जरिये, उसका विरोध किया था। अब इस करार के बाद, हम उसके निर्माण का विरोध नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान हमारे प्रदेश की भूमि पर मंगला बांध का निर्माण कर सकेगा।

हम पाकिस्तान को प्रतिस्थापन-कार्य की लागत के लिये ८२ करोड़ रुपये से अधिक राशि देने को तैयार हो गये हैं। लेकिन वह राशि विदेशी मुद्रा में अदा की जायेगी। हमें विश्व बैंक से कम से कम यह अनुरोध तो करना ही चाहिये था कि वह राशि भारतीय मुद्रा में स्वीकार कर ले।

तीसरी चीज़ यह कि, इस करार के अनुसार, हम सिन्धु और उसकी सहायक नदियों का ८० प्रतिशत पानी और काश्मीर से होकर बहने वाली पश्चिमी नदियों का पूरा पानी पाकिस्तान को देने के लिये तैयार हो गये हैं। इससे हमें लाभ की अपेक्षा, हानि अधिक हुई है।

मैं प्रधान मंत्री की यह बात मानता हूं कि दो देशों के बीच होने वाले करारों में कुछ लेन-देन करना ही पड़ता है। लेकिन तब पाकिस्तान को इसके बदले हमें अन्य क्षेत्रों में कुछ सुविधायें देनी चाहियें। कलकत्ता के समाचार पत्रों से पता चलता है कि न तो भारत सरकार फरक्का बांध बनाने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

की स्थिति में है, और न पाकिस्तान ही उसकी अनुमति देने के लिये तैयार है। हम जानना चाहते हैं कि सही सही स्थिति क्या है।

मेरा सुझाव है कि इस करार के बाद भारत सरकार को इस बांध का निर्माण शुरू कर देना चाहिये और इसके लिये पाकिस्तान सरकार की सहमति की राह नहीं देखनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की मांगों के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हमारे सभी मंत्रियों में से इस मंत्रालय के मंत्री, श्री के० दे० मालवीय, की ही सब से अधिक आलोचना होती है। "ईस्टर्न इकोनोमिस्ट", "कैपीटल" और "कामर्स" पत्रिकाओं ने तो यहां तक लिखा है कि ये माननीय मंत्री तेल-नीति के सम्बन्ध में हमारे देश को ग़लत दिशा में ले जा रहे हैं। माननीय मंत्री हमारे इस प्रश्न का कोई ठीक उत्तर ही नहीं देते कि हमारे देश में कितना तेल है। माननीय मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया): मांग संख्या १३४ 'टेलीप्रिंटर्स' के निर्माण से सम्बन्धित है। हमें बताया गया है कि एक इतालवी समवाय के सहयोग से एक टेलीप्रिंटर फैक्टरी स्थापित की जायेगी, जो हर साल लगभग १,००० टेलीप्रिंटर्स का निर्माण करेगी। हमारे देश में अभी कितने टेलीप्रिंटरों की आवश्यकता पड़ती है? क्या यह फैक्टरी हमारी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकेगी?

इस इतालवी समवाय—'ओलिवेत्ती'— को रायल्टी के रूप में दस वर्ष के काल में ढाई लाख रुपये देश से बाहर ले जाने की अनुमति दी गयी है। क्या अन्य विदेशी समवायों से इसके लिये टेण्डर मांगे गये थे, और क्या उन समवायों ने इससे अच्छी शर्तें प्रस्तावित की थीं?

मांग संख्या १०६ कच्ची फिल्मों के निर्माण के लिये एक फैक्टरी की स्थापना के बारे में है। देश को कच्ची फिल्मों की बड़ी आवश्यकता है और साथ ही उससे विदेशी मुद्रा भी हमें मिल सकेगी। इसलिये उस फैक्टरी को शीघ्रातिशीघ्र चालू करना चाहिये।

मांग संख्या ८४ उस प्रतिकर की अदायगी के लिये है जो औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पंचाटों के फलस्वरूप कर्मचारियों को और मध्यस्थ-निर्णयों के फलस्वरूप ठेकेदारों, इत्यादि को दिया जाता है। लेकिन यह प्रतिकर प्रभारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही अदा करना पड़ता है।

इसका एक उदाहरण है। कलकत्ता में मेरा निजी टेलीफोन कोई दूसरा व्यक्ति चोरी से इस्तेमाल करता है, और मुझे हर बार उसका पूरा खर्च भरना पड़ता है। मैंने उसके बारे में विभाग को कई बार लिखा भी है, पर कोई उत्तर तक नहीं मिला। विभाग की ओर से इतनी लापरवाही होती है। स्पष्ट है कि यदि ऐसे लापरवाह अधिकारी किसी कर्मचारी को सेवा से निकालेंगे, तो न्यायालय उस कर्मचारी को प्रतिकर दिलायेगा, और वह सरकार को भरना पड़ेगा।

मैं श्री पाणिग्रही की इस बात से सहमत हूं कि सिन्धु पानी करार पर हस्ताक्षर करते समय सभी पानी-विवादों पर चर्चा करली जानी चाहिये थी। उस समय फरक्का बांध की समस्या को तो हल किया ही जा सकता था। आशा है कि इस बांध का निर्माण, इस करार की कार्यान्विति के साथ ही शुरू किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : मांग संख्या ८४ में २४,००० रुपये से अधिक राशि की व्यवस्था इसलिये की जा रही है कि एक क्लर्क को नौकरी से निकाला गया था, पर बाद में न्यायालय ने उसे अवैधानिक बताकर, प्रतिकर दिलाने का निर्णय किया है। उस गरीब क्लर्क की जगह, उसके अधीक्षक अधिकारी को नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया ? सरकार के हर विभाग का यही हाल है। उच्च अधिकारी अधीक्षण करते ही नहीं। उसका परिणाम भुगतना पड़ता है गरीब क्लर्कों को और सरकार को बाद में प्रतिकर देना पड़ता है।

डाक विभाग मेरे राज्य की उपेक्षा कर रहा है। उड़ीसा में डाकघरों की संख्या बढ़ने के साथ ही, डाक डिवीजनों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन अभी भी उड़ीसा को बड़ा डाक सर्किल नहीं बनाया गया है। कटक के डाकघर में कर्मचारियों की कमी के कारण जनता को बड़ी परेशानी होती है।

उड़ीसा में स्थित कुछ टेलीग्राफिक और टेलीफोन सेवायें बिहार, मध्य प्रदेश और आन्ध्र से नियंत्रित होती हैं। वे सेवायें उड़ीसा सर्किल में रखी जानी चाहियें।

उड़ीसा की रेलवे मेल सेवा के कुछ सैक्शनों—वाई-१४, वाई-१९, एफ-१७ और एफ-२१ का नियंत्रण उड़ीसा के बाहर के डाक-सर्किलों द्वारा किया जाता है। उनको उड़ीसा को हस्तांतरित किया जाना चाहिये।

१९५१ के बाद से, उड़ीसा सर्किल के किसी भी इन्स्पैक्टर को द्वितीय श्रेणी के अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। उस पर बाहर के इन्स्पैक्टर पदोन्नत करके भेज दिये जाते हैं।

मांग संख्या १०६ के सम्बन्ध में, मैं मंत्रालय को 'हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड' की स्थापना के लिये बधाई देता हूं। अब एक्सरे फिल्मों की कमी के कारण रोगियों को परेशानी नहीं होगी। सरकार को इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि इन परियोजनाओं का व्यय उनकी ही आय से पूरा होता चले।

मांग संख्या १२५ के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने आखिर कोई समझौता तो किया। इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। माननीय मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये कि क्या पाकिस्तान से होकर निकलने वाली कुछ नहरें राजस्थान की सिंचाई के काम आ सकती हैं।

मांग संख्या १२९ के लिये, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। उन्होंने खम्भात, इत्यादि क्षेत्रों में बड़ा सराहनीय कार्य किया है। साथ ही, खम्भात पत्तन को विकसित किया जाना चाहिये।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैंने मांग संख्या १२६ के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या ८, ९ और १०; और मांग संख्या १३४ के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या १२, १३ और १४ रखे हैं। मैं श्री वारियर द्वारा मांग संख्या १२९ के सम्बन्ध में रखे गये कटौती प्रस्ताव संख्या १६ को भी लूंगा।

मांग संख्या १२६ उटकमंड में कच्ची फिल्मों के निर्माण की एक फैक्टरी की स्थापना के बारे में है। इस सम्बन्ध में पहले पूर्वी जर्मनी की सरकार के साथ १२ महीने तक वार्ता चल चुकी है। सरकार ने उसके बारे में कहा था कि पूर्वी जर्मनी की सरकार इस परियोजना के लिये तैयार नहीं है। क्या इसके बारे में पूर्वी जर्मनी की सरकार के साथ विस्तृत वार्ता हुई थी और क्या विलम्ब के कारण ही कोई समझौता नहीं हो सका था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगार्भाण]

इस वर्ष आय-व्ययक सत्र के दौरान हमें सूचित किया गया था कि इसके बारे में एक फ्रेंच फर्म से समझौता हो चुका है ।

अब बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने इस परियोजना के लिये १५ लाख रुपये की मांग की है ।

आय-व्ययक सत्र के दौरान इस सम्बन्ध में सीधे प्रश्न पूछे जाने पर सरकार ने बताया था कि वह फ्रेंच फर्म फिल्मों के निर्माण में बड़ी अनुभवी है और फ्रांस में खपने वाली कच्ची फिल्मों का ७० प्रतिशत भाग इसी फर्म द्वारा निर्मित होता है ।

आजकल रंगीन फिल्मों का प्रचलन है । क्या यह फ्रेंच फर्म रंगीन फिल्मों के लिये कच्ची फिल्में तैयार कर सकती है ? यदि यह नहीं होगा, तो फिर तृतीय योजना काल के दौरान भर रंगीन फिल्में नहीं बना सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । श्री नौशीर भरूचा ने एक कटौती प्रस्ताव की पूर्व-सूचना दी है कि कच्ची फिल्मों के उद्योग से सम्बन्धित करार अभी तक सभा-पटल पर नहीं रखा गया है । माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि जून, १९६० में ही करार की १५ प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई थीं । मैंने सचिवालय को आदेश दे दिया है कि ऐसे करार जब भी आयें, उनकी सूचना बुलेटिन और सूचना-बोर्ड के द्वारा प्रचारित की जानी चाहिये ।

आगे से अब यदि अनुपूरक मांगों के साथ प्रतियां नहीं दी जायेंगी, तो उनमें उल्लिखित किया जायेगा कि एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है ।

यदि अनुपूरक मांग का सम्बन्ध किसी ज्ञापन या करार से हो, और यदि उसे पुस्तकालय या सभा-पटल पर न रखा गया हो, तो मांग के साथ उसका सारांश भी दिया जाना चाहिये ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: श्री तंगामणि ने पूछा है कि यह कारखाना रंगीन फिल्मों का निर्माण कर सकेगा या नहीं ? देश को बुनियादी तौर पर गैर-रंगीन, साधारण फिल्मों की आवश्यकता है । फिल्म उद्योग, फोटो उद्योग और एक्सरे उद्योग के लिये इसकी जरूरत है । रंगीन-फिल्मों की आवश्यकता तो बहुत ही कम है । उसके निर्माण की प्रक्रिया भी बड़ी पेचीदा है और कठिन भी । हर देश में उनका निर्माण बहुत बाद में शुरू हुआ है । आज भी हमारे देश में कुल ५–६ प्रतिशत रंगीन फिल्मों की खपत होती है ।

साधारण फिल्मों, गैर-रंगीन फिल्मों के निर्माण में सिद्धहस्तता प्राप्त कर लेने के बाद, सभी आवश्यक रसायनों, सहायक उपकरणों और बुनियादी चीजों को तैयार करना सीख लेने के बाद ही, हम रंगीन फिल्मों के निर्माण की बात सोचेंगे । हमारा यही इरादा है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं कि साधारण या गैर-रंगीन फिल्मों का जमाना लद गया है । आज भी अधिकांश फिल्में रंगीन प्रिंट में नहीं होतीं ।

इसलिये हमें साधारण फिल्मों के निर्माण से काम शुरू करने दीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का मतलब यह है कि यदि कोई समवाय ऐसी मशीनों का निर्माण कर सकता है जो बाद में रंगीन फिल्में भी बना सकें, तो उसी के साथ करार क्यों न किया जाये।

†**श्री मनुभाई शाह :** हम खुद यही चाहते हैं। लेकिन यह एक बड़ी कठिन और पेचीदा तकनीक का काम है। उसकी दिशा में हमारा यह पहला कदम है। अनुभव प्राप्त होने पर, हम उसकी बात भी सोचेंगे। आज हमारे यहां ५-६ करोड़ रुपयों के मूल्य की साधारण फिल्मों का आयात होता है। हम इस विदेशी मुद्रा की बचत करना चाहते हैं।

†**श्री तंगामणि :** मेरे कटौती प्रस्ताव का मंशा यह जानना है कि क्या कच्ची फिल्मों के निर्माण की इस फैक्टरी के लिये अन्तिम रूप से स्थान चुन लिया गया है ? क्या इसके लिये मद्रास सरकार से भूमि ले ली गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। भूमि ले ली गई है। उसका स्थान उटकमंड ही है, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं। काम भी शुरू हो चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय :** कभी-कभी परियोजना की घोषणा के बाद भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरू की जाती है और तब भूमि के मूल्य चढ़ जाते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह :** सौभाग्य से यह भूमि राज्य सरकार की थी। अन्यथा वैसा ही होता जैसा आप बता रहे हैं। अब हम सामान्यतः परियोजना की स्थिति की घोषणा पहले से नहीं करते, केवल राज्य का नाम बताते हैं। स्थिति की अन्तिम घोषणा के पहले अधिसूचना जारी कर दी जाती है।

†**श्री तंगामणि :** समाचारपत्रों में कुछ ऐसा कहा गया है कि इस फ्रेंच फर्म को फिल्म-निर्माण का कोई खास अनुभव नहीं है। माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें। माननीय मंत्री को हमें इस सम्बन्ध में आश्वस्त करना चाहिये, जिससे कि ऐसी अफवाहें न फैल सकें।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभी कटौती प्रस्तावों का उत्तर देते समय, मैं इसकी भी सफाई करूंगा।

†**श्री तंगामणि :** मांग संख्या १३४ का सम्बन्ध दो मदों से है--'वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन' में २.९० करोड़ रुपये का नियोजन; और 'हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड' के ८.८० लाख रुपये के शेयरों की खरीद।

दूसरी मद के सम्बन्ध में परिवहन तथा संचार मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि एक टेली-प्रिन्टर-कारखाने की स्थापना की जा रही है। फिर सरकार 'हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स' के शेयरों में विनियोजन क्यों कर रही है ? यह तो एक बिलकुल नयी सेवा होगी। इस सेवा पर १९६५ तक कुल मिला कर १५० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। दूसरी ओर माननीय मंत्री के कथनानुसार टेलीप्रिन्टर-कारखाना अपना उत्पादन शुरू कर देगा और तृतीय योजना के अन्त तक देश टेली-प्रिन्टरों के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा। फिर इस नयी सेवा में इतना विनियोजन क्यों किया जा रहा है ? माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

क्या लीप्रिन्टर कारखाने के लिये भूमि ले ली गई है और क्या प्रारम्भिक कार्य शुरू हो चुका है ? क्या इसके बारे में इतालवी फर्म के साथ किये गये करार की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

अन्त में मैं पश्चिमी नौवहन निगम के प्रश्न को लेता हूं । इस निगम ने 'मुगल लाइन्स' के जहाज खरीद लिये हैं । वे जहाज हज यात्रियों के लिये प्रयोग किये जाते थे । अब इस निगम ने उनमें से कितने जहाज हज यात्रियों के लिये रखे हैं ? पहले उन जहाज़ों के बारे में एक शिकायत सुनने में आई थी कि उनमें पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी । क्या अब निगम ने उन जहाज़ों में यात्रियों के बैठने की कोई दूसरी व्यवस्था की है ?

उन जहाजों में से प्रत्येक की क्षमता कितनी है ? मुग़ल लाइन्स से कितने जहाज खरीदे गये हैं ? क्या उन यात्रियों के लिये कुछ नये जहाज भी चालू किये गये हैं ? पहले हज यात्रियों को शिकायत थी कि उनमें सीटें इतनी अधिक थीं कि यात्रियों की चलने-फिरने की भी पूरी सुविधा नहीं रहती थी । अब क्या सरकार किसी दूसरे नमूने पर उनके बैठने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है मैं इन्हीं तीन बातों पर जोर देना चाहता था ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सब से पहले तो मैं सभा की ओर से आपके प्रति-कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं । आपने यह बड़ी उपयोगी व्यवस्था कर दी है कि अनुपूरक मांगों के साथ सम्बन्धित मंत्रालय की ओर से मांगों से सम्बन्धित करारों, इत्यादि का विवरण भी जुटाया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह माननीय मंत्री पर ही छोड़ता हूं । विवरण ऐसा होना चाहिये कि उस पर एक नजर डालने से करार या ज्ञापन की खास-खास बातें मालूम हो जायें । माननीय मंत्रियों को शायद पता नहीं है कि अंग्रेज-शासन-काल में हर एक्ज़ेक्टिव कौंसिलर के विभाग के लिये एक स्थायी वित्त समिति होती थी । यदि किसी नयी सेवा को आय-व्ययक में सम्मिलित नहीं कर पाते थे, तो उसका पूरा विवरण सम्बन्धित स्थायी वित्त समिति के आगे पेश किया जाता था और वही समिति उसकी मंजूरी देती थी । सभा में केवल सांकेतिक मांग पेश की जाती थी । माननीय मंत्रियों को ज्ञापनों और करारों के उसी किस्म के विवरण अनुपूरक मांगों के साथ संलग्न करने चाहियें ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : कच्ची फिल्मों के निर्माण का उद्योग बड़ा महत्वपूर्ण है । बड़ी अच्छी चीज़ है । लेकिन माननीय मंत्री स्पष्टीकरण करें कि उस उद्योग के लिये भारतीयों को प्रशिक्षित करने की क्या व्यवस्था है । अक्सर होता यही है कि हम विदेशी प्राविधिक सहायता लेकर नये उद्योग शुरू कर देते हैं, पर अपने यहां के कर्मचारियों को उसमें प्रशिक्षित करने की चेष्टा नहीं करते । रंगीन फिल्मों का निर्माण बाद में, साधारण फिल्मों के निर्माण का काफी अनुभव प्राप्त हो जाने पर ही, शुरू किया जायेगा । यह तो ठीक है, लेकिन उसके लिये आवश्यक है कि हम साधारण फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को यथेष्ट रूप से प्रशिक्षित करते चलें इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ? इस करार में उसकी यथेष्ट व्यवस्था नहीं की गई है ।

अस्थगित भुगतान सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन उसकी पहली किस्त हमें कब देनी पड़ेगी ? एक समय ऐसा भी आयेगा जब हमें द्वितीय योजना काल के सभी विदेशी ऋणों की किस्तें

---

†मूल अंग्रेजी में

चुकानी पड़ेंगी और तब हमारे लिये बड़ा मुश्किल पड़ जायेगा । और हमें उसी समय तृतीय योजना की परियोजनाओं के लिये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी । ऐसे करार करते समय इसका ध्यान रखना चाहिये ।

इस फ्रेंच फर्म के बारे में श्री तंगामणि ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं । एक ओर तो यह कि इस फ्रेंच फर्म को फिल्मों के निर्माण का कोई अधिक अनुभव नहीं, और दूसरी ओर यह कि फ्रांस में खपने वाली कच्ची फिल्मों का अधिकांश इसी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है । माननीय मंत्री को सावधानी के साथ इसकी जांच करनी चाहिये ।

कच्ची फिल्मों के निर्माण में, हमें सब से अधिक जोर एक्स-रे फिल्मों के निर्माण पर देना चाहिये । देश को उसकी बड़ी जरूरत है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस करार में सभी किस्म की फिल्मों के निर्माण का उल्लेख है । माननीय सदस्य को सभा-पटल पर रखे गये ज्ञापनों को देखने का कष्ट करना चाहिये । उसमें एक्स-रे फिल्म भी शामिल है । उसमें एक्स-रे फिल्म की सभी किस्में गिनाई गई हैं ।

ये परियोजनायें राष्ट्रीय महत्व की हैं । इसलिये उन में रुचि रखने वाले माननीय सदस्यों को मंत्रालय द्वारा जुटाया गया सभी सम्बन्धित साहित्य देख तो लेना चाहिये ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : सिंधु पानी करार से सम्बन्धित अदायगी की ८ करोड़ रुपये की पहली किस्त भी हमें कुछ ही दिन बाद अदा करनी पड़ेगी । इसके लिये पया कहां से आयेगा ? क्या इसके लिये कोई तदर्थ करार किया गया है, जिससे कि हमारे पौण्ड-पावने में और अधिक देरी न हो ?

पाकिस्तान से हमें भी कुछ कर्ज वसूलना था । उसका क्या हुआ ? उसी में इस राशि को चुकता करने की बात क्यों नहीं की गई ? वैसे सभा की राय में यदि करार में यह व्यवस्था होती तो ज्यादा अच्छा रहता कि उसका एक भाग विदेशी मुद्रा और दूसरा भाग रुपयों में अदा किया जाये ।

मांग संख्या १२९ तेल के लिये छिद्रण मशीनों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिये की गई है । पहले जब आय-व्ययक के समय अंकलेश्वर और खम्बात के लिये मांग रखी गई थी, तो हमने कहा था कि मांग बहुत कम के लिये रखी गई है । उसी के लिये अब अनुपूरक मांग पेश की जा रही है । मांग मंजूर करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह तरीका गलत है । इससे जनता में गलतफहमी फैलती है । माननीय मंत्री इसकी सही स्थिति बतायें ।

मांग संख्या १३४ के बारे में मुझे एक प्रश्न पूछना है । सरकार 'मुगल लाइन्स' के इतने शेयर खरीद रही है कि उसे सरकारी नियंत्रण में लाया जा सके । मैं जानना चाहता हूं कि केवल इसी लाइन का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, या यह सरकार की पूरी नीति है और आगे चल कर सरकार और भी लाइनों के राष्ट्रीयकरण की बात सोच रही है ? इस सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है यदि नीति राष्ट्रीयकरण की है, तो सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये ।

सरकार ने 'मुगल लाइन्स' के शेयरों का अर्जन किस ढंग से किया है ? शेयरों का मूल्य कैसे निर्धारित किया गया सरकार ने एक शेयर का मूल्य ३६० रुपये दिया है इस खरीद के एक दिन पहले

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

सट्टा बाजार में 'मुगल लाइन्स' के शेयरों का क्या भाव था ? क्या यह खरीद किसी निजी फर्म के साथ बातचीत करके की गई है?

सरकार को ऐसे शेयरों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई अपना एक सिद्धांत निश्चित करना चाहिये । तभी सभा जान सकेगी कि शेयरों के लिये ज्यादा ऊंचा भाव तो नहीं दिया गया ।

†श्री हेडा (निज़ामाबाद) : मैं केवल मांग संख्या १०६ पर कुछ कहना चाहता हूं इस परियोजना के लिये मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं । यह नितांत आवश्यक थी क्योंकि सभी जानते हैं कि फिल्म उद्योग तथा फोटो ग्राफी के लिये कच्ची फिल्में चाहियें जिनकी सरकार द्वारा आयात पर प्रतिबन्ध लगा देने से देश में बहुत कमी हो गई थी ।

यह सर्वविदित है कि हमारा फिल्म उद्योग संसार में दूसरे स्थान पर है और पड़ौसी विदेशों में हमारी फिल्मों को बड़ी रुचि से देखा जाता है । इसलिये मैं समझता हूं कि जब हमारा यह कारखाना चालू हो जायेगा तब इस उद्योग को कच्ची फिल्म बहुतायत से मिलेंगी और इसका विकास और होगा जिससे उच्चस्तर की फिल्में देश में बनेंगी ।

फोटोग्राफी के सामान के लिये भी हमें इस समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । आज देश में इस सामान के मूल्य दो सौ से तीन सौ प्रति शत बढ़े हुये हैं । मेरा विचार है कि इस के बारे में सरकार ने जो योजना बनाई है वह अपर्याप्त है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आयात ४.७८ करोड़ रुपये के इस समय हैं और हमने उत्पादन के लक्ष्य ५ करोड़ रुपये के बनाये हैं । जबकि मैं समझता हूं कि इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने के समय हमारी फोटोग्राफी के सामान की आवश्यकतायें लगभग ७·५ करोड़ रुपये के हो जायेंगी ।

इसके अतिरिक्त हमें एक बात और समझनी चाहिये । वह है इस सामान का विदेशी बाजार में भेजना । मैंने इसका कुछ अध्ययन किया है और मुझे पता लगा है कि विदेशों में हम अपने माल को खपा सकते हैं । यदि सरकार इस बात को समझे तो इन सामानों की आवश्यकता और बढ़ जाती है ।

श्री नौशीर भरूचा ने आस्थगित भुगतानों के बारे में शंका प्रकट की और यह कहा कि यह सभी भुगतान एक ही अवधि में देय हो जायेंगे और संभव है कठिनाई का सामना करना पड़े । मैं समझता हूं कि उनकी यह शंका है क्योंकि इस समय ठीक आयात पर जो विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, हम उसको कारखाने का उत्पादन आरम्भ हो जाने पर बचा तो पायेंगे परन्तु साथ ही साथ हमारी आवश्यकतायें और भी बढ़ जायेंगी और हमें इसे बचाई हुई विदेशी मुद्रा को बढ़ी हुई आवश्यकताओं के आयात पर व्यय करना पड़ जायेगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस समस्या पर भी विचार करेगी ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी (बेल्लोर) : मैं देश में टेलीप्रिन्टरों के निर्माण का आरम्भ करने के लिये परिवहन तथा संचय मंत्री को बधाई देता हूं ।

आय-व्ययक के उपस्थापन के समय सरकार ने बताया था कि उसका विचार टेलीप्रिंटरो के निर्माण की योजना को विभागीय तौर पर आरम्भ करने का है । परन्तु अब उन्होंने इटली की एक फर्म से ठेका कर लिया है । और इसीलिये इस धन की मांग की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीप्रिंटरों की आज देश में बहुत आवश्यकता है क्योंकि केवल सरकार ही नहीं अपितु बड़े-बड़े व्यापारी इनको अपनी फ़र्मों में शीघ्रता से समाचार आदि जानने के लिये रखना चह चाहते हैं। इसलिये इनका देश में शीघ्रता से उत्पादन होना चाहिये।

इस कारखाने के प्रबन्ध के बारे में मुझे पता लगा है कि सरकार इसको सरकारी समवाय बनाना चाहती है। परन्तु अब तक के हमारे अनुभव से पता लगता है कि उत्पादन आरम्भ हो जाने पर श्रम आदि की कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में उनका अवश्य ध्यान रखेगी।

कारखाने के स्पष्टीकरण ज्ञापन से पता लगता है कि लगभग तीन अथवा चार वर्षों में कारखाने में उत्पादन होने लगेगा। परन्तु मैं चाहता हूं कि हमें निश्चित तिथि बताई जाये कि उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा। क्यों कि अभी तक ऐसा हुआ है कि कारखाने के यंत्र आदि देर से आये और उत्पादन निश्चित अवधि से आरम्भ नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही काम करेगी।

मांग संख्या ७२ और ८४ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता तो मुकदमों को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेती है और वकीलों के सलाह न होने पर भी मुकदमा उच्चतम न्यायालय तक ले जाती है। परन्तु सरकार भी जब ऐसा ही करती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। स्पष्टीकरण ज्ञापन से पता लगता है कि दो महत्वपूर्ण मामलों में न्यायालय ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे कोरे कोरे मामलों में साधारण नागरिक के समान व्यवहार नहीं करना चाहिये और एक न्यायालय में फसले को ही स्वीकार कर लेना चाहिये जिससे साधारण नागरिकों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया जा सके।

श्री आसर (रत्ना गिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० १२५ के बारे में यह कहना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले ही इंडस वाटर ट्रिटी के बारे में यहां पर चर्चा हुई थी और उससे पता लगा कि जनता के अन्दर इसके बारे में कितना विरोध है। लेकिन इस विरोध के होते हुये भी इस ट्रिटी का पालन करने के लिये हम ने पाकिस्तान को ८२.७५ करोड़ रु० देने का निर्णय किया है और इस के लिये हमने इस समय ८ करोड़, २७ लाख और ४७ हजार रु० की डिमांड रक्खी है। लेकिन इसके बारे में एक बात पर विचार करना आवश्यक है कि पाकिस्तान की ओर से हमारे करीब ३०० करोड़ रु० आने के होते हुये भी हम ने इस पर विचार नहीं किया इंडस वाटर ट्रिटी के ऊपर विचार करते समय इस ३०० करोड़ रु० के बारे में चर्चा की गयी या नहीं, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं लगा। एक ओर हम चाहते हैं कि हमारी विकास योजनायें सफल हों, और उसकी सफलता के लिये हम इस देश के लिये पैसे की मांग कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री विदेशों में जाते हैं और अपनी विकास योजनाओं की जरूरत के लिये पैसों की डिमांड करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि हमारी थर्ड फाइव इयर प्लान में १६५० करोड़ रु० की कमी है, लेकिन दूसरी ओर इन सब बातों के होते हुये भी हम ने ८२ करोड़ ७५ रु० देने का निर्णय किया है। मेरी दृष्टि से यह ठीक नहीं है और चूंकि यह हमारे देश के हितों के विरुद्ध है, इस लिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां भारत के वित्त मंत्री और पाकिस्तान के वित्त मंत्री की बात चीत हुई थी। इस में भी पता नहीं कि इन ३०० करोड़ रु० के बारे में चर्चा हुई या नहीं। हम जानते हैं कि दो बार सिटिंग हुई, लेकिन ऐसी सिटिंग्स में जो अन्तिम निर्णय होता है वह फेल होता है, किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में हमारी बात चीत एक निर्णय पर नहीं पहुंचती है। जब पाकिस्तान सरकार की नीति यह है तो हमारी नीति भी इस तरह रखी जानी चाहिये कि पहले हमारे पैसे के बारे में विचार

[श्री आसर]

किया जाये। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाता तब तक केवल हम जो ट्रिटी पाकिस्तान सरकार से होती है उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करें, और हर बार पाकिस्तान हमारा विरोध करे, यह ठीक नहीं है। इस दृष्टि से भी मैं इसका विरोध करता हूं।

मैं डिमांड नं० १२९ के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, जिसके बारे में अखबारों में भी बहुत चर्चा चली है और मेरे मित्र श्री पाणिग्रही ने भी बतलाया है। हर रोज यहां यह बात आती है कि यहां तेल मिला, यहां तेल मिला, लेकिन जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं लोक सभा में कि कितने तेल का उत्पादन होगा और हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसका जवाब ठीक से नहीं दिया जाता। जब इस बारे में मंत्री जी की ओर से कोई निर्णयात्मक उत्तर नहीं मिलता तो जनता के अन्दर इस सम्बन्ध में एक शंका का निर्माण होता है कि इस चीज़ में कोई सत्य भी है या नहीं या कि यह केवल प्रचार के लिये कहा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसका वे जवाब दें।

डिमांड नं० १३४ का मैं स्वागत करता हूं क्यों कि बहुत दिनों के बाद हमारी सरकार ने यह टेलिप्रिंटर कारखाना लगाने का निर्णय किया। लेकिन एक बात का हमें पता नहीं लगा। हम ने सुना था कि यह टेलिप्रिंटर कारखाना महाराष्ट्र में पूना के नज़दीक लगने वाला था, इस बारे में महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत चली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहां से वह कारखाना हटा कर मद्रास में ले जाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस कारखाने के बारे में क्या गड़बड़ी हुई, क्या इसके लिये महाराष्ट्र सरकार ने जमीन नहीं दी या कोई और बात हुई। इस चीज़ का पता लगाना आवश्यक है कि यह कारखाना महाराष्ट्र से हटाकर मद्रास क्यों ले जाया जा रहा है।

दिमांड नं० ८४ के बारे में जान कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक क्लर्क कोर्ट में जाता है और उसको हमें २४,९५३ रु० देने पड़ते हैं। जो हमारी लीगल साइड है सलाह देने के लिये आखिर वह क्या करती है? हमने एक क्लर्क को डिसमिस कर दिया तो उसे डिसमिस करने के पहले हम ने, जो हमारे पास लीगल एड थी, लीगल एक्स्पर्टस थे, उन से कोई सलाह ली थी या नहीं? अगर उन से सलाह करने के बाद भी हमें इतना रुपया देना पड़ता है तो इस में कहीं पर कोई गलती है और इस पर विचार किया जाना चाहिये। यह डिमांड सिर्फ आज ही नहीं आई है। जब भी सप्लीमेंटरी डिमांड आती है तो उसमें एक या दो केसेज़ ऐसे रहते हैं जिन में सरकार कोर्ट में जाती है और वहां पर निर्णय हमारे खिलाफ होता है। जब भी हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो लीगल एड लेकर ही करें और उसके बाद ही कोर्ट जाने का प्रयत्न करें जिस में निर्णय हमारे विरुद्ध होने की आशंका न रहे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर): मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ६,५०,००,००० रुपये की मांग संख्या १२९ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय यह आयोग तीन स्थानों पर काम कर रहा है। पश्चिम में खम्बात और अंकलेश्वर में, उत्तर में होशियारपुर और ज्वालामुखी में तथा पूर्व में शिवसागर और रुद्रसागर में।

पश्चिम में मंत्रालय ने बड़ा उत्तम काम किया है। इसलिए हम उसके बारे में मांग का पूरा समर्थन करते हैं। उत्तर में होशियारपुर और ज्वालामुखी में हमें सफलता नज़र नहीं आई है इसलिए वहां पर खोज बन्द कर देनी चाहिए।

पूर्व में शिवसागर तथा रुद्रसागर में अलग अलग एक एक कुंआ खोदा गया। शिवसागर के कुएं से कुछ नहीं निकला और रुद्रसागर के कुएं की खुदाई के परिणामों का अभी पता नहीं लगा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह है कि शिवसागर से २६ मील दूर नहरकटिया, मोरान, हुगरीजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ८६ कुएं खोदे जिनमें से १२ में असफलता मिली। जिसका अर्थ हुआ कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को ८८ प्रतिशत सफलता मिली जबकि आयोग को एक कुएं की असफलता से ५० प्रतिशत असफलता तो हो ही गई तथा दूसरे का भी अभी कुछ पता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके बारे में सभा में बतायेगी कि ऐसी स्थिति क्यों है।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य सभी कामों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति ही की जानी चाहिए तथा बाहर के लोग नहीं ले जाने चाहिएं। मैं यह भी आशा करता हूं कि मंत्रालय कर्मचारियों के लिए बसाये जाने वाले उपनगर को शीघ्रता से बनायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मुगल लाइन के जो जहाज सरकार ने लिये हैं इसके वास्ते मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को धन्यवाद और बधाई देता हूं। इससे हिन्दुस्तान में पैसिंजर शिप्स की तरक्की होगी। जो प्राइवेट सेक्टर है वह अपने फ्रेट में इंटरेस्टेड है, और जो हमारे जहाज हैं वह कारगो जहाज हैं, पैसिंजर शिप हमारे पास नहीं हैं। इस वास्ते पैसिंजरों के लिए जो यह सुविधा की गयी है इसके वास्ते मैं फिर से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

हज यात्रियों के लिये ये जहाज काम में आते थे, लेकिन हज की यात्रा बारहों मास नहीं होती। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। आप देखेंगे कि मलाया में साउथ इंडिया की पापुलेशन १४ परसेंट है, सिंगापुर में आठ परसेंट है, पिनांग में १२ परसेंट है, बर्मा में करीब ८ परसेंट है। इतनी आबादी दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों की इन देशों में है और इस वक्त केवल दो जहाज हिन्दुस्तान से सिंगापुर की ओर जाते हैं। मद्रास, नागीपतनम, पिनांग और सिंगापुर, इस सरविस में एक तो वी० आई० पी० का जहाज जाता है और एक हिन्दुस्तानी कम्पनी का जहाज है। हमारा ख्याल है कि जो लोग कि सिंगापुर गये होंगे उनको अनुभव हुआ होगा कि जिस टिकट का दाम २०० रुपया है उसका करीब ३०० रुपया हिन्दुस्तानियों को देना होता है क्योंकि इन जहाजों में जगह की कमी होने की वजह से उसमें ब्लैक मारकेटिंग अधिक होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन चारों जहाज़ों को जिस वक्त कि हज का वक्त न हो उस वक्त मद्रास, नागीपतनम, पिनांग और सिंगापुर की सरविस में दिया जाए।

इसी तरह से कम से कम एक आध जहाज और मद्रास, विशाखापतनम और रंगून सरविस में देना चाहिए ताकि वहां पर जो हिन्दुस्तानी लोग हैं उनको हिन्दुस्तान आने में सुविधा हो।

साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो हमारे पैसिंजर शिप हैं उनकी ड्राई डाकिंग सिंगापुर में होती है। कोई भी हिन्दुस्तानी जो वहां जाता है उसको यह देख कर शर्म होती है कि हमारे जहाजों का रिपेयर और पेंटिंग सिंगापुर आदि स्थानों में होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि विशाखापतनम में जो ड्राई डाक की स्कीम है वह पूरी की जाए। आप जानते हैं कि आजकल शिप का कंस्ट्रक्शन नए ढंग से होता है। ओपिन डाक का जो सिस्टम है वह प्राचीन सिस्टम हो चुका है, और इंगलैंड में इस बात का एक्सपैरीमेंट करके देख लिया गया है कि ड्राई डाक में शिप का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आप विशाखापतनम में ड्राई डाक बना दें तो उससे ड्राई डाकिंग भी होगा, रिपेयरिंग भी होगा और कंस्ट्रक्शन भी हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जो साउथ इंडिया से सिंगापुर की लाइन है इस पर ये हज जाने वाले चार जहाज जब खाली हों तो उनका उपयोग किया जाएगा।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अध्यक्ष महोदय, श्री भरूचा और श्री तंगामणि ने कुछ प्रश्न पूछे हैं मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। श्री भरूचा ने पूछा कि भारत सरकार ने या वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ने मुग़ल लाइन का जो अर्जन किया है वह राष्ट्रीयकरण की नीति के अधीन किया है अथवा यह केवल नियंत्रण मात्र है। मैं इस से सम्बन्धित पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं।

पिछले वर्ष की समाप्ति के समय हमें पता लगा था कि मुग़ल लाइन के अंशधारियों में से पी० एंड ओ० ग्रुप अपने अंशों को हांगकांग की एक विदेशी नौवहन समवाय, कौनकोरडिया को बेचना चाहता है। उनका मुग़ल लाइन समवाय के ७९.२ अंशों पर स्वामित्व था। यह स्पष्ट था कि यदि हम सऊदी अरब के लिए यात्री सेवा बनाये रखना चाहें तो इसके ऊपर नियंत्रण रखें क्योंकि पी० एंड ओ० ग्रुप के अंशों के खरीददारों का विचार इस सेवा को चलाते रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हमें यह भी पता लगा कि खरीददारों ने कुवैत के सुल्तान तथा अन्य समवायों से पी० एंड ओ० ग्रुप से लिये जाने वाले अंशों की बिक्री की भी बातचीत की है।

हमने यह सोचकर कि कहीं यह सर्विस समाप्त न हो जाये, वही किया जो उचित तथा ठीक था। हमने समवाय विधि प्रशासन के एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी से समवाय की आस्तियों का मूल्यांकन करने को कहा। पी० एंड ओ० के मूल्य आंकने वालों ने समवाय की कुल आस्तियों का मूल्य ४.५४ करोड़ रुपये आंका है। नक़द आस्तियां २.४ करोड़ रुपये की हैं तथा २.१३ करोड़ रुपये का जहाज़ी बेड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितने स्टीमर हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : चार जहाज़ हैं, लगभग २५,८८९ जी० आर० टी। ये यात्री व मालवाही जहाज़ हैं। हमारे विशेषज्ञों ने २.१३ करोड़ रुपये का जहाज़ी बेड़ा तथा नक़द आस्तियां २.४ करोड़ रुपये की कूतीं, जो कुल मिला कर ४.५३ करोड़ रुपये की हुईं। उसके बाद नौवहन से सम्बन्धित परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव (वित्त) तथा आर्थिक कार्य विभाग, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और समवाय विधि प्रशासन के एक एक प्रतिनिधि की एक समिति ने इस पर विचार किया और उन्हें पता लगा कि वह कौनकौरज्यिन को १०० रुपये के मूल्य वाले अंशों को ४०३.७८ रुपये प्रति अंश बेच रहे थे। समिति ने मुग़ल लाइन से सीधे बात करने के बाद प्रति अंश मूल्य ३६० रुपये करवाया अर्थात् ४४ रुपये प्रति अंश कम करवाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब विदेशी समवाय का अधिक मूल्य देने का प्रस्ताव था तब उन्होंने मूल्य कैसे घटाये ?

†**श्री राज बहादुर** : उस समय संयोग से पी० एण्ड ओ० ग्रुप के प्रतिनिधि श्री डेलगार्नो यहां आये हुए थे और उनसे हमें पता लगा कि वह एक विदेशी समवाय से बातचीत कर रहे हैं और रिजर्व बैंक ने विदेशी समवाय को अंशों के हस्तांतरण की अनुमति दे दी है। हमने रिजर्व बैंक से हस्तांतरण को रोकने का अनुरोध किया और उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। हमें इस मामले में बहुत दिलचस्पी थी और हमने हिसाब किताब करके तथा अन्य बातों के आधार पर यह सिद्ध किया कि मूल्य में कमी होनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इसके बारे में एक बात और सभा को बताना चाहता हूं कि समवाय विधि प्रशासन के वरिष्ठ लेखापाल की गणना के अनुसार उनकी नक़द आस्तियां जो २·४ करोड़ रुपये थीं उन में से १·२६ करोड़ रुपये पौंड स्टर्लिंग के रूप में थे। इस प्रकार समवाय विधि प्रशासन द्वारा ४·५३ करोड़ रुपये या वार्ता समिति के ४·११ करोड़ रुपये के आंकने पर हमने २·८८ करोड़ रुपये ही उन्हें दिये और इस प्रकार बहुत बचत कर ली।

श्री भरूचा ने नीति सम्बन्धी प्रश्न भी पूछा। माननीय सदस्य जानते हैं कि नीति का उल्लेख १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में किया गया है। समुद्र परिवहन का उल्लेख अनुसूची 'ख' की मद संख्या १२ में है इसमें केन्द्रीय सरकार को ही पहल करनी थी क्योंकि हम सेवा को बन्द करना नहीं चाहते थे।

श्री तंगामणि ने पूछा कि कितने जहाज़ हैं। मैंने बताया है कि वह चार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। निदेशक बोर्ड ने प्रशासन अगस्त, १९६० को ही लिया है। इसके अतिरिक्त इन बातों की देख भाल के लिए वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन हज यात्री समिति है। मुझे विश्वास है कि यह दोनों सेवा को सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह को बताना चाहता हूं कि सूखी गोदी का प्रश्न इस मांग के अधीन नहीं आता है। परन्तु उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं उनसे लाभ उठाने का हम प्रयत्न करेंगे।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : तेल की खोज से लेकर तेल साफ करने वाले कारखानों तक के प्रश्न उठाये गये हैं। शायद मैं सब चीजों का उत्तर इस अवसर पर न दे पाऊं अतः अब केवल महत्वपूर्ण बातों का ही उत्तर दूंगा।

हमने ६·५ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग इस कारण मांगी है कि जिस समय पहले राशि की मांग की गई थी, उस समय अंकलेश्वर में तेल नहीं मिला था। इसके बाद हमें ज्यादा सामान खरीदना पड़ा। बिना तेल के हम ज्यादा रिग्स भी नहीं मंगवा सकते क्योंकि अन्यथा वे खाली पड़े रहेंगे।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

जब पहले पहल अंकलेश्वर में तेल की खोज हुई थी उस समय जून में रूस को एक उत्पादन मिशन भेजा गया था ताकि वह भू-छेदन मशीनों की खरीद के बारे में उनसे बातचीत करें। अब विचार है कि वित्तीय वर्ष में ९ भू-छेदन यंत्र मंगवाये जायें। ६ यंत्रों के बारे में करारों पर पहले से ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; उनमें एक रूमानिया से प्राप्त किया जायेगा। आशा है कि यह ६ यंत्र इसी वर्ष प्राप्त हो जायेंगे। तीन के बारे में करारों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और हमें आशा है कि ये भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे।

माननीय मित्रों ने कुछ सन्देह प्रकट किये हैं। श्री बरुआ ने पूछा कि उन के अपने ही राज्य में काम में इतनी देरी किस लिये हुई है। उन्हें बताना चाहता हूं कि शिवसागर कूप का काम १९५७ में नहीं वरन् १९५९ में आरंभ हुआ था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन आसाम में पहला कुआं ९ दिसम्बर, १९५९ को पूरा किया गया। इसे पूरा करने में ६ मास का समय लगा और फिर भी ज्यादा सफलता न मिली। हम आयोग के काम की तुलना आसाम तेल कम्पनी से नहीं कर सकते। आसाम ऑयल कम्पनी ने १९५१-५२ में शायद नाहरकटिया में पहले कूप का कार्य आरम्भ किया था। उसे पूरा करने में १४ महीने लगे थे और ५० लाख रुपये का व्यय हुआ था। परन्तु हम ने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

पहले कूप पर इतना धन व्यय नहीं किया है । इस कारण आयोग के काम को मन्थर या मन्द नहीं बताया जा सकता ।

दूसरे कूप में और भी सुधार हुआ । रुद्रसागर कूप को २९ मई, १९६० को शुरू किया गया और वह २३ अक्तूबर, १९६० को पूरा हुआ । अतः ४ मास में यह कुआं पूरा हो गया । इस की खुदाई ३७८ मीटर तक की गई थी । मैं यह सन्देह दूर करना चाहता हूं कि इन कुओं में उतना समय नहीं लगा जितने की आशंका की जाती है । वास्तव में पहले कूप को प्रयोगात्मक कूप कहा जाता है और इस की खुदाई में सदैव देर लगा करती है क्योंकि यह तो कोई नहीं जानता कि नीचे किस प्रकार की चट्टानें होंगी और क्या होगा । इसलिये हर जगह ही पहले कप को बड़े कष्टों से पूरा किया जाता है । दूसरे और तीसरे कुएं भी आसान नहीं हैं । अतः शिवसागर में हमें ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ । यह तथ्य है कि शिवसागर में दूसरे कूप का परीक्षण कर लिया गया था । यद्यपि आसाम आयल कम्पनी ने कुओं की खुदाई का काम पूरा कर लिया है तथापि उन का परीक्षण अभी बाकी है ।

परीक्षण करने तथा खुदाई करने के काम बहुत ही टेक्निकल प्रकार के कार्य हैं और इस काम में अप्रशिक्षित व्यक्ति कदापि हस्तक्षेप नहीं कर सकते । मैं तो सभा को यही आश्वासन दिला सकता हूं कि हमारे लड़के ठीक काम करेंगे । केवल मैं ही उन के काम की प्रशंसा नहीं कर रहा अपितु जिन विदेशियों ने भी उन का काम देखा है उन्हों ने भी उन की प्रशंसा की है ।

जहां तक शिवसागर के उपनगर का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग प्रयोगात्मक कार्य में लगे हुए हैं उन के लिये उपनगर बसाने का काम ज्यादा श्रेयस्कर नहीं है । यदि कुओं में से तेल न निकले तो नगर का क्या बनेगा । दुनिया में जहां कहीं भी प्रयोगात्मक तेल कूप खोदे जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं को कठिनाइयों में जीवन बिताना पड़ता है । इसके लिये दूसरा कोई चारा नहीं है । अब खम्बायत और अंकलेश्वर में तेल निकल आया है इस कारण वहां पर बड़े बड़े नगर बनेंगे । किन्तु शिवसागर तथा रुद्रसागर में अभी कुछ समय तक श्रमिकों को कठिनाइयां सहन करनी पड़ेंगी ।

श्री पाणिग्रही ने तेल के निक्षेपों के बारे में पूछा । इस का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है । हमें तेल की खोज करने पर ही कुछ अनुमान लगता है । उस के बाद अनेक कूप खोदने पड़ते हैं और फिर सदैव एक परिमाण से तेल की भी प्राप्ति नहीं होती । यदि प्रयोगात्मक कूप में तेल प्राप्त हो जाय तो हम यही कहते हैं कि इसमें से इतना तेल निकलने का अनुमान है । परन्तु बाद में वह अनुमान गलत भी हो सकता है । अंकलेश्वर में पहले भू-भौतिकीय ढांचे से यही अनुमान हुआ कि था हमें १००० लाख टन तेल की प्राप्ति होगी । जब खुदाई हो गई और क्षेत्र विकसित हो गया तो हमें ६० या उस से भी कम लाख टन की प्राप्ति का विचार रहा ।

आसाम ऑयल कम्पनी को अभी तक भी नाहरकटिया तथा हरजीयन में तेल की मात्रा का ज्ञान नहीं हो सका है । जैसे जैसे कूपों में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उन के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता रहता है । अतः इन के अनुमानों का बार बार पुनरीक्षण किया जाता है । अब हमें अपने तेल क्षेत्रों का स्थल सा अनुमान है ।

उदाहरणार्थ खम्बायत लूनेज तेल क्षेत्र में अनुमानतः २०० लाख टन तेल होगा । हो सकता है कि इस से १० या १५ प्रतिशत कम ज्यादा भी हो । इसी तरह से यह भी संभव है कि अंकलेश्वर में भी दुगना या तिगना तेल हो । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि इन कुओं में तेल की मात्रा प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो चुकी है ।

अब मैं तेल साफ करने के कारखाने की बात कहना चाहता हूं । अनेक सदस्यों ने पूछा है कि यह कारखाना कितना बड़ा होगा, इसे शीघ्र ही स्थापित क्यों नहीं कर दिया गया है और ज्यादा यंत्र क्यों नहीं खरीदे गये हैं । हम यों ही ज्यादा भू-छेदक यंत्र नहीं खरीद सकते क्योंकि एक क्षेत्र में एक विशेष संख्या तक ही इन की ठीक जरूरत महसूस होती है । २०० लाख टन पैदा करने के लिए हमें एक हजार भू-छेदक यंत्रों की जरूरत नहीं है । इसलिये जितना तेल निकलने की गुंजायश हो उस पर उसी हिसाब से खर्च होना चाहिये । जब तक हमें पूरा विश्वास न हो तब तक हम कोई बात सुनिश्चय-पूर्वक नहीं कर सकते । हमारी आवश्यकताओं में कमी ज्यादती आती रहेगी । इसलिये इस सम्बन्ध में मैं सभा को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि स्थिति बदलती रहती है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि पहली बात यह है कि लुनेज-अंकलेश्वर क्षेत्र में हमें वाणिज्यिक स्तर पर तेल की प्राप्ति हो जायगी और अब हम तेल के उत्पादन के लिये लगभग एक हजार भू-छेदक आदि यंत्र खरीद कर रहे हैं ।

तेल एक ही दिन में तो निकाला नहीं जा सकता । हमारी भू-छेदन करने की गति बढ़ती जा रही है और इस में और ज्यादा वृद्धि भी होनी चाहिये । हमें बाहर से कुछ दक्ष ठेकेदारों को इस काम पर लगाने की आवश्यकता है । जिस काम को हम ६० दिन में कर सकते हैं, शायद उसे वे ५०, ४० या ३५ दिन में ही कर सकें । पर वे ज्यादा रुपया मांगेंगे और जिस काम पर अब हमें १० रुपये का खर्च करना पड़ रहा है उस पर २० या २५ तक का खर्चा करना होगा । इस कारण हमें सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है । हमें साथ ही कुछ सीखना भी है । कुछ समय के बाद हमारे अपने युवक उतने ही दक्ष हो जायेंगे जितने कि अन्य देशों के लोग हैं ।

जहां तक तेल साफ करने के कारखाने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में उस का विस्तार उसी सीमा तक हो सकता है जिस तक कि तेल की उपलब्धि हो । हम प्राप्त होने वाले तेल की मात्रा का सही अनमान लगाने का यत्न कर रहे हैं । गुजरात में निश्चय ही मध्य-श्रेणी का एक कारखाना लगाया जायगा । यदि हम इसे १०० लाख टन तेल साफ करने की क्षमता का बना सके तो निश्चय ही हमें बड़ी प्रसन्नता होगी । किन्तु इतना मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यह कारखाना मध्यम दर्जे के कारखाने से तनिक बड़ा ही होगा ; हो सकता है १० या १५ लाख टन तेल साफ करने की क्षमता इस में रखी जाय परन्तु अभी मैं ठीक से कुछ नहीं कह सकता ।

यह भी सही नहीं है कि हम कारखाने की योजना नहीं बना रहे । हम योजना तेजी से बना रहे हैं परन्तु अंकलेश्वर तथा बम्बई से तेल के परिवहन का प्रश्न भी तो पैदा होता है । यदि हम कारखाना खम्बायत में लगायें तो खम्बायत में से वहां तेल पहुंचाना होगा । अब इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या मोटर स्पिरट तैयार करने के लिये बम्बई तथा अंकलेश्वर का तेल मिलाना ठीक रहेगा या नहीं हम खम्बायत की प्रयोगात्मक योजना का अध्ययन कर रहे हैं और परिणाम जानने में अभी कुछ समय लगेगा । इसी तरह की और भी अनेक कठिनाइयां हैं ।

इस कारण अभी पक्का नहीं कहा जा सकता है कि हम कारखाना खम्बायत, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, बड़ौदा, भावनगर, दहेज या वासद में खोलेंगे । किन्तु जब तक हमें तेल की कोटि का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता तब तक हम अन्तिम निर्णय नहीं कर सकते । अगले भाषण में, मैं आप के सामने ज्यादा सही तसवीर रख सकूंगा ।

जहां तक योजना का प्रश्न है, हम उसे तैयार कर चुके हैं और कई स्थानों को हम ने चुना भी है । अन्य चीजों पर जगह का चुनाव करते समय हमें ध्यान में रखना होगा । इन बातों पर

[श्री के० दे० मालवीय]

प्रविधिज्ञ का विचार कर रहे हैं। हाल ही में इसी प्रयोजन के लिए एक टेक्निकल समिति भी बनाई जायगी। इस से किसी समय की हानि न होगी। हमें आसाम के काम से इस चीज का पर्याप्त अनुभव हो गया है। उस अनुभव से लाभ उठा कर हम वहां उन गलतियों को नहीं दोहरायेंगे जो पहले हम से हो चुकी हैं। आशा है कि हम इस कारखाने को नूनमती या बराउनी के कारखानों से पहले ही लगा देंगे।

जहां तक गुजरात से बम्बई तक तेल के परिवहन का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा कुछ और ही बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। हमें दो तीन चीजों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये। बम्बई में जो तेल साफ किया जाता है, उस पर हमें लगभग ४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय करना पड़ता है। इस कारण बम्बई के कारखाने तो वहीं पर रहेंगे और उन के लिए या तो हमें तेल खरीदना पड़ेगा या यहीं पैदा करना होगा। यदि हम उसे यहीं पैदा करें तो हमें उसे यहीं कारखानों तक पहुंचाना होगा। इस कारण यह दलील मान्य नहीं कि जो तेल गुजरात में से निकले उसे बाहर न भेजा जाय। यह चीज ठीक नहीं है। न यह चीज राष्ट्र के हित में है और न ही आर्थिक दृष्टि से ठोस है। इसलिये यदि विदेशी मुद्रा की बचत के लिये हम कुछ तेल गुजरात से बम्बई भेज सके तो उसे जरूर भेजा जायेगा। अब प्रश्न यह है कि इसे आज किया जाय या कल। हमें पता है कि गुजरात के कारखाने में केवल १० या १५ लाख टन तेल साफ होगा। किन्तु हमारी पैदावार ज्यादा होंगी। इस कारण गुजरात का कुछ तेल बम्बई भेजा जायगा। कब भेजा जायगा यह नहीं कहा जा सकता। इस समय यह भी पता नहीं कि पाइप लाइन कब तक लगे किन्तु गुजरात में से जो तेल निकाला जायगा उसे कुछ तो गुजरात में ही साफ किया जायगा और कुछ अंशों में उसे बम्बई भेजा जायगा।

जहां तक हमारी मांग का प्रश्न है, हम ने बढ़ी हुई मांग पर विचार कर के ही निर्णय किये हैं। नूनमती, बराउनी तथा गौहाटी के तेल साफ करने के कारखानों की योजना भविष्य के विस्तार और उपभोग की वृद्धि का ध्यान रखकर ही बनाई गई है। इन बातों का विचार कर के यह कहना चाहता हूं कि गुजरात से निकाला जाने वाला तेल बम्बई में साफ किया जाय। यही चीज़ हमारे राष्ट्रीय हितों में है; आशा है कि सभी सदस्य चाहे वे गुजरात से हों या बम्बई से मेरे साथ सहमत होंगे क्योंकि यह व्यावहारिक बात है।

जहां तक नूनमती के कारखाने के प्रसार का प्रश्न है, सरकार उस प्रश्न पर तेजी से विचार कर रही है। यदि हमें कच्चा तेल मिलेगा तो हम कारखानों का प्रसार अवश्य करेंगे। हमें शिवसागर से कुछ तेल मिलने की आशा है। इस के साफ करने को नूनमती ही का कारखाना निकट पड़ेगा। हमें इन सब चीजों पर विचार करना होगा। नाहरकटिया तथा हुगरीजन में जितना तेल पैदा होगा उस पहलू पर भी विचार कर चुके हैं। उसे भी नूनमती तथा बराउनी के कारखानों में ही बांटा जायगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : बर्मा शैल रिफायनरी के प्रसार की योजना क्या इस बात से भी सम्बन्धित है कि खम्बायत का कुछ तेल वहां पहुंचाया जायगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बर्मा शैल के कारखाने के प्रसार की योजना का इस से सम्बन्ध नहीं है। यदि वह काम बढ़ाना चाहें, तो प्रसन्नता से क्षमता बढ़ायें और उन्हों ने हमारे तेल को लेना

†मूल अंग्रेजी में

स्वीकार कर लिया है। वास्तव में क्षमता की वृद्धि की उन की योजना पर अलग से विचार किया जाना है। किन्तु अब तो दूसरा प्रश्न है और वह यह कि बर्मा शैल तथा स्टैनवेक कम्पनियों वाले कुछ तेल का उपभोग करते जा रहे हैं। हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम तेल का आयात कम करें और हम देखेंगे कि इस दिशा में हम कहां तक सफल होते हैं।

अतः अब और अधिक न कह कर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हम ६·५ करोड़ रुपया, संगठन के प्रसार तथा तेल उत्पादन सम्बन्धी काम को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिये कर रहे हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं विरोधी पक्ष के अपने कुछ माननीय मित्रों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। श्री बनर्जी ने कुछ कर्मचारियों की पदच्युति तथा हमारी प्रतिशोध की भावना का जिक्र किया। मैं इसके बारे में उन्हें कुछ आंकड़े बताता हूं और आशा करता हूं कि उनसे उनको संतोष हो जायेगा। हमने कोई बदला नहीं लिया है। हमने तो वही किया है जो हम कर सकते थे। यह समझना चाहिए कि डाक तथा तार विभाग के ८४,५०० से अधिक कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था। इन में से ६,४३३ गिरफ्तार किये गये थे और इन गिरफ्तार व्यक्तियों में से ८५५ को न्यायालयों द्वारा दण्ड मिला था। विभाग को सभी हड़ताली कर्मचारियों के मामलों की जांच करनी पड़ी और उसके बाद उन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई जिनके खिलाफ ऐसा करना जरूरी समझा गया। १७,७७१ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी थी।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : आपके सचिव ने आप को जो कुछ लिख कर दिया है क्या आप उस में से पढ़ रहे हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** मैं जानकारी बता रहा हूं। यदि माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते तो वह न सुनें। केवल २२७ व्यक्तियों के खिलाफ़ अभी कार्यवाही लम्बित है। कुल १३,०२० कर्मचारी मुअत्तिल किये गये। इस समय ३१ कर्मचारी मुअत्तिल हैं। न्यायालयों के द्वारा दण्डित होने पर कुल ९५८ व्यक्तियों को सेवामुक्त किया गया। ७८६ मामलों का जिनमें कर्मचारियों को दंडित किया गया है विभाग ने पुनरीक्षण कर लिया है तथा न्यायालय से दण्डित व्यक्तियों के अतिरिक्त पदच्युत ११५ कर्मचारियों की अपील निबटा दी है। पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, ८६४ मामलों में बरखास्तगी या नौकरी से हटाने जैसी कठोर कार्यवाही नहीं की गई। इसको आप बदला लेना नहीं कह सकते हैं। अभी तक केवल ३७ मामलों में दण्ड की पुष्टि की गई है। ५७ अन्य मामलों में अपील शीघ्र निबटा दी जायेगी।

इस अचानक आने वाले अतिरिक्त काम को डाक तथा तार विभाग के पदाधिकारियों ने बिना और कर्मचारी मांगे निबटाया है। स्वभावतः अधीक्षण की कमी आदि के बारे में लोग शिकायत करते हैं और उड़ीसा के मेरे मित्र ने भी इसके बारे में ज़िक्र किया है। उनके पास अपना काम था और उसके साथ हड़ताल के कारण उनका काम और बढ़ गया। परन्तु फिर भी हजारों मामलों को उन्होंने निबटा दिया और समस्या हल कर दी। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि पांच महीने से भी कम समय में पदाधिकारियों ने इतना काम निपटा कर संतोषजनक कार्य किया है। मैं सम्बन्धित पदाधिकारियों के परिश्रम की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने पदच्युति, पदोन्नति आदि के मामलों को इतनी शीघ्रता से निबटा दिया। और हड़तालियों की भारी संख्या को देखते हुए बरखास्तगी आदि के मामले इतने कम रखे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन]

माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि यदि सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी त्यागपत्र दे देते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि जनता का काम न होने पर जनता भड़क उठती है । ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने हिंसा दिखाई है उनको ऐसा दण्ड मिलना चाहिए जो अन्य कर्मचारियों के लिए नमूना रहे । अन्यथा हम काम पूरा नहीं कर सकते हैं । टेलीफोनों के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में जितने टेलीफोन थे उससे अब उनकी संख्या ५०० प्रतिशत से अधिक है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या हम यह समझें कि जिन लोगों ने हिंसात्मक कार्य किये थे केवल उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** सेवाओं के लिए जो कुछ आवश्यक है वह किया जाता है । हमें विभाग में अनुशासन रखना है ।

श्री आसर तथा श्री तंगामणि ने टेलीप्रिंटर कारखाने के बारे में कुछ प्रश्न पूछे । मेरे मित्र श्री पाटिल ने भारत में टेलीप्रिंटर कारखाना बनाने का प्रस्ताव किया था । इस कारखाने को भारत सरकार के सहयोग से बनाने के लिए प्रसिद्ध टेलीप्रिंटर निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे गये थे । विभागीय समिति ने सभी प्रस्तावों पर विचार किया औरउन्होंने ओलिवेट्टी का प्रस्ताव सब से अच्छा पाया और उसको स्वीकार कर लिया ।

इस परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर और टेलीप्रिंटर के निर्माण की आवश्यकताओं का निर्धारण करके २३ मार्च को प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया । मंत्रि मंडल ने संचार मंत्रालय के अधीन भारत में कारखाना बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया और तीन समवायों, मैसर्स क्रीड एण्ड कम्पनी, लन्दन, जर्मनी की सिमैंस और इटली की ओलीवेट्टी से बातचीत करने को कहा जिन्हें अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने थे । इसके बाद परियोजना का पूरा पुनरीक्षण किया गया और विदेशी मुद्रा की कठिनाई सामने आई । प्रस्ताव पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से पुन: विचार हुआ कि सरकार द्वारा अप्रैल १९५७ में विदेशी मुद्रा पर लगाये गये नियंत्रणों के पश्चात् के मूल्यों के आधार पर किये गये आयात की तुलना में, कारखाने को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा का किस प्रकार भुगतान किया जाये । इस पुनरीक्षण से पता लगा कि कारखाना स्थापित करना न्यायोचित है । वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव, तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिये और कार्यवाही की जाये ।

इसीलिये समवायों से पुनरीक्षित प्रस्ताव मांगे गये और नवम्बर १९५९ में तीनों समवायों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिये भारत बुलाया गया । समवायों के प्रतिनिधियों से एक उच्च-स्तरीय समिति तथा उसकी एक उप-समिति ने बातचीत की । समिति के सदस्यों ने नाम बताने में आवश्यक नहीं समझा क्योंकि सभासद उनके नाम जानते हैं । बातचीत के बाद उच्च स्तरीय समिति ने परिवहन तथा संचार मंत्रालय को सिफारिश की कि ओलीवेट्टी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये, और इटली के इस समवाय से समझौता करने की कार्यवाही की जाये । ओलीवेट्टी से २६ अगस्त १९६० को समझौता किया गया । समझौते में सभी शर्तें निश्चित की गई हैं और उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है । श्री तंगामणि जानना चाहते थे कि समझौता

†मूल अंग्रेजी में

क्या था। उनके इस प्रश्न से स्पष्ट था कि उन्होंने इसके बारे में सभा पटल पर रखा गया पत्र नहीं पढ़ा है। विचार है कि समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड नामक एक पूर्णतः सरकारी समवाय बनाई जाये जिसकी, समझौते के अनुसार व्यवसाय चलाने के लिए, ३ करोड़ रुपये अधिकृत पूंजी हो। कारखाना गिन्डी, मद्रास की औद्योगिक बस्ती में स्थापित होगा। कारखाने की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मद्रास सरकार ने ३५ एकड़ भूमि दे दी है।

श्री आसर ने पूछा है कि इसको पूना में क्यों नहीं स्थापित किया गया। मद्रास सरकार से हमें ३५ एकड़ भूमि मुफ्त में मिल रही है। वहां पर इस समय एक एकड़ भूमि का मूल्य लगभग १ लाख रुपया है। इसीलिये मद्रास का चुनाव किया गया। हमारे परामर्शदाताओं ने भी इस कारखाने के लिए दो स्थान हैदराबाद और मद्रास ही चुने थे। मद्रास सरकार की शर्तें अच्छी होने के कारण उसको चुन लिया गया। श्री आसर जानते हैं कि पूना में बहुत से कारखाने हैं।

उड़ीसा के मेरे मित्र ने अधीक्षण का प्रश्न उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा काम इतना बढ़ गया है कि हमें स्वयं इसकी चिन्ता है कि जहां पर अधीक्षण की आवश्यकता है वहां पर अधीक्षण अधिकारी लगायें। परन्तु यह रुपये के मिलने पर ही आधारित है। मैं काम का पुनः बटवारा कर रहा हूं जिससे अधिक अधीक्षण हो सके।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा के समक्ष पूरी परियोजना ही रख देना चाहता हूं, सभा ने इस महत्वपूर्ण परियोजना का समर्थन किया है। मैं आरम्भ में बताना चाहता हूं कि सरकार फिल्म उद्योग को महत्वपूर्ण तथा आवश्यक उद्योग समझती है। हमें अपने फिल्म उद्योग पर गर्व है क्योंकि उसका स्थान संसार के फिल्म उद्योगों में काफी ऊंचा है।

सिनेमा की कच्ची फिल्मों, फोटो की फिल्मों तथा एक्स-रे फिल्मों की देश में खपत लगभग ६० लाख वर्ग मीटर है। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस परियोजना में हम ने ६५ लाख वर्ग मीटर की क्षमता रखी है अर्थात् ४० लाख वर्ग मीटर सिनेमा की फिल्में, १५ लाख वर्ग मीटर फोटो फिल्में तथा लगभग ५ लाख से १० लाख वर्ग मीटर एक्स-रे फिल्में। सभा ने एक्स-रे फिल्म के उत्पादन की सराहना की है इसकी मुझे प्रसन्नता है।

इस उद्योग को सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में स्थापित करने के बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि सभा जानती है कि गत तीन अथवा चार वर्षों में हम सभी ने कितने प्रयत्न किये हैं। हम ने जापान, अमरीका, ब्रिटेन पूर्व तथा पश्चिमी जर्मनी की सभी मुख्य फर्मों से बातचीत की और अन्त में फ्रांस के मैसर्स बौशे से ठेका किया। केवल तीन निर्माताओं ने फोटो, एक्स-रे अथवा सिनेमा फिल्मों के निर्माण के प्रस्ताव हमें भेजे थे। परन्तु केवल मैसर्स बौशे एक पूर्वी जर्मनी की फर्म और पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म ने ही इस कार्य में सहयोग करने का प्रस्ताव किया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं पूर्वी जर्मनी की फर्म की शर्तों के अनुसार उत्पादन १९६६ में आरम्भ होना था। हमने परियोजना को इतने लम्बे समय तक यूंही पड़े रहने देना ठीक नहीं समझा क्योंकि देश में फिल्मों की बहुत ही कमी है। मैसर्स बौशे ४९ वर्ष पुरानी फर्म है और फ्रांस की एक तिहाई आवश्यकताओं को पूरा करती है।

परियोजना की व्याप्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमने इसमें सभी प्रकार की चीजें रखने का प्रयत्न किया है। २८ जून, १९६० को सभा पटल पर तथा पुस्तकालय में रखे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

गये समझौते में यह सब स्पष्ट हो गया है । हमने इस में लगभग ७ करोड़ रुपये का विनियोजन करने का विचार किया है । और जैसा मैंने अभी बताया इस में सभी प्रकार की फिल्मों का उत्पादन ६५ लाख वर्ग मीटर होगा। इन ७ करोड़ रुपयों में से ४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी तथा ३ करोड़ रुपया स्थानीय व्यय होगा ।

मद्रास में उटकमंड में भूमि ली जा चुकी है । भूमि राज्य सरकार की है । हम ने काम आरम्भ कर दिया है । कई फ्रांसीसी विशेषज्ञ पिछले छः महीनों में यहां आ चुके हैं और उन्होंने भूमि के, पानी के तथा अन्य सभी आवश्यक परीक्षण कर लिए हैं ।

जैसा श्री भरूचा ने बताया हमने प्रशिक्षण का भी ध्यान रखा है । प्रशिक्षण के बारे में समझौते में एक पूरा खंड है । इस देश में लगभग २५ फ्रांसीसी आयेंगे जो इस देश के टैक्नीशियनों को प्रशिक्षित करेंगे। परियोजना प्रतिवेदन को बनाने का अध्ययन करने के लिए लगभग ३ भारतीय टैक्नीशियन शीघ्र ही फ्रान्स जाने वाले हैं । हम नहीं चाहते कि परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करने के लिए हमेशा हमें विदेशों का ही सहारा लेना पड़े । यह बड़ी ही अप्रतिष्ठा की बात है कि हम सभी प्रकार के प्रविधिक काम के लिए विदेशों का सहायता लें जब कि हमारे कर्मचारी अच्छा काम कर सकते हैं । इसी लिये हम अपने तीन टैक्नीशियनों को अध्ययन के लिये फ्रान्स भेज रहे हैं। २० और भारतीय टैक्नीशियनों को अन्य प्रकार के प्रशिक्षण के लिए चुन कर विदेशों में भेजा जायेगा। सभी प्रकार के टैक्नीशियनों के प्रशिक्षण का समझौते में उपबन्ध किया गया है ।

श्री हेडा ने कहा कि हम ने क्षमता का जो अनुमान लगाया है वह बहुत कम है। उनका कहना ठीक ही है क्योंकि हम ने देश की वर्तमान मांग को पूरा करने का ही ध्यान रखा है । हमने ऐसा जानबूझ कर किया है । हम जानते हैं कि यह ऐसा व्यवसाय है जिसमें नये नये तरीके और नये आविष्कार रोज निकाले जाते हैं इसलिए हमने यह व्यवस्था रखी है कि देश की आवश्यकताओं को इस कारखाने से पूरा कर के जो विदेशी मुद्रा बचेगी उस को हम संसार में बनाई गई नई प्रकार की फिल्में मंगाने में करेंगे ।

इस के अतिरिक्त हम चाहेंगे कि कच्ची फिल्म, एक्स-रे फिल्म तथा सिनेमा फिल्म बनाने की और नई परियोजनायें देश में बनाई जायें जिस से अन्य देशों में प्रचलित नये तरीकों के अनुसार देश में फिल्में बनती रहें ।

श्री हेडा ने दूसरी बात यह पूछी कि जो विदेशी मुद्रा बाहर जायेगी, वह जो हम बचत करेंगे उस के अनुरूप होगी । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि परियोजना का उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार नवम्बर, १९६२ से होना शुरू हो जायेगा । हमें आशा है कि दिसम्बर १९६२ में सिनेमा फिल्म का पहला रोल कारखाने से बाहर आ जायेगा । संभवतया इस के बाद एक अथवा डेढ़ वर्ष में संयंत्र पूर्ण क्षमता से उत्पादन आरम्भ कर देगा जिस से हमें चार से पांच करोड़ रुपये की बचत होगी ।

सभा को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि ठेके के अनुसार विदेशी मुद्रा का पहला भुगतान परियोजना में उत्पादन आरम्भ होने के १८ महीने बाद से शुरू होगा और वह भी पांच वर्षों में प्रति वर्ष ६० से लाख ६५ लाख रुपया दे कर किया जायेगा। इस प्रकार पता लग जाता है कि हम जो विदेशी मुद्रा बाहर भेजेंगे वह हमारी बचत के मुकाबले बहुत कम होगी। मैं इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि आगामी कुछ वर्षों में मांग दुगनी हो जायेगी। हमारा उद्योग विकासशील उद्योग है और हम सभी चाहते हैं कि इसका शीघ्रता से विकास हो।

श्री तंगामणि ने कहा कि इस परियोजना में नई प्रकार की फिल्मों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस के बारे में मेरा निवेदन है कि समझौते में इसकी व्यवस्था है कि ऐसी मशीनें लगें जिन से रंगीन फिल्में भी बनाई जा सकें। परन्तु एसी फिल्में बनाने से पहले यह आवश्यक है कि फिल्मों की किस्म संतोषजनक हो क्योंकि फिल्मों के निर्माण में मात्रा के बजाय किस्म अधिक महत्वपूर्ण होती है। समझौता करने से पहले हमने फिल्मों का परीक्षण किया है। हमने उद्योग में लगे टैक्नीशियनों का परामर्श लिया है और जब वह किस्म के बारे में संतुष्ट हो गये हैं तभी हमने समझौता किया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि ज्यूं ज्यूं उत्पादन के तरीक़ों का हमें ज्ञान होता जायेगा त्यूं त्यूं हम रंगीन तथा अन्य प्रकार की फिल्मों का उत्पादन भी आरम्भ कर देंगे।

इस से स्पष्ट है कि इस मामले में हम ने प्रशिक्षण, विनियोजन, विदेशी मुद्रा का भुगतान तथा ऋण का आस्थगित भुगतान आदि के बारे में पूरा ध्यान रखा है और मुझे गर्व है कि हमने सरकारी क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में इस परियोजना को जो एक बहुत ही कठिन परियोजना है, स्थापित करने का फ़ैसला किया है।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : चूंकि बहुत से प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है इसलिए मैं इस समय केवल एक दो बातों का ही उत्तर दूंगा।

एक प्रश्न पूर्वी नदियों के बारे में यह पूछा गया कि पूर्वी नदी परियोजनाओं के लिए पाकिस्तान सरकार की स्वीकृति लेने की हमने प्रतीक्षा क्यों की। सन्धि में ऐसी कोई बात नहीं है जिस के अनुसार पूर्वी नदियों के लिए हम पर कोई दायित्व अथवा प्रतिबन्ध हो। पिछले कुछ महीनों में एक बैठक ही हुई थी और वह आंकड़ों की अदला बदली हो जाने के बारे में थी। यह एक प्रक्रिया मात्र थी और इन बैठकों में किसी परियोजना के आरम्भ करने अथवा न करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया था। हम किसी स्वीकृति अथवा अनुमति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमने संसद् की अनुमति के बिना धन क्यों दिया। हम ने कोई धन नहीं दिया है। हम दस्तावेजों की अदलाबदली के बाद ही धन देंगे। इस लिए किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

तीसरा प्रश्न यह है कि हम ८३ करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में क्यों दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री स्पष्टतया दे चुके हैं। हमें संधि की सभी बातों का ध्यान रखना है। सम्पूर्ण स्थितियों को देखते हुए यदि ८३ करोड़ रुपया दे कर हमें १०० करोड़ रुपये का लाभ होता है तो यह धन देने में क्या हानि है? यहां समझौते की एक मद

---

†पूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

का प्रश्न नहीं है अपितु पूरे समझौते पर ही विचार करना होगा। हम ८३ करोड़ रुपया किसी के कहने पर नहीं दे रहे हैं। हमारे इंजीनियरों के प्राक्कलनों के अनुसार इतना धन देना उचित था। संधि हमारे हित में है और इसलिये इन ८३ करोड़ रुपयों का भुगतान किया जाना चाहिए।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या १ से ७ पर आग्रह नहीं करता।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को कटौती प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

कटौती प्रस्ताव संख्या १ से ७ सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

सभापति महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय द्वारा अनुदानों की निम्न अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५,००,००००
१२५	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	८,२७,४७,०००
१२९	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	६,५०,००,००००
१३४.	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२,९८,८०,०००

चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव

†**सभापति महोदय** : अब सभा चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह का प्रस्ताव लेगी।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा चीनी के उत्पादन, वितरण औयर निर्यात की वर्तमान स्थिति पर विचार करती है।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पिछले दस वर्ष में चीनी उद्योग के उत्पादन में सौ प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसानों को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। चीनी का मूल्य बढ़ता

†मूल अंग्रेजी में

गया है, लेकिन गन्ने का मूल्य गिरता गया है । आज गन्ने का उतना भी मूल्य नहीं मिलता, जितना कि दस साल पहले मिला करता था ।

उत्तर प्रदेश और बिहार के विधान मंडलों ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किये हैं कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिये । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने की कोई भी चेष्टा नहीं की है । आज हमारे देश में गन्ने की उत्पादन-लागत लगभग २ रुपये ६ आने पड़ती है ।

आज हम समाजवादी समाज बनाने की दुहाइयां तो बहुत देते हैं, लेकिन वास्तविक व्यवहारों में उद्योगों का ही हित देखते हैं, किसानों के हितों की उपेक्षा की जाती है । अभी कुछ दिन पहले केन्द्र की ओर से फर्मान जारी करके, चीनी उद्योगपतियों के प्रिय व्यक्ति को ही उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बना दिया गया है । उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग मनमाने मुनाफे पीट रहा है । क्या केन्द्र गन्ना-उत्पादकों की दशा सुधारने की चेष्टा नहीं कर सकता ?

चीनी का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये प्रशुल्क आयोग को शक्तियां दी गई थीं । आयोग ने देश भर के लिये चीनी के मूल्यों की चार अनुसूचियां बना दी हैं । उसने उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब को एक ही श्रेणी में रख दिया है, हालांकि इन तीनों राज्यों की परिस्थितियां सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं । इन तीनों राज्यों में चीनी का समान मूल्य निर्धारित करना अनुचित है । पता नहीं आयोग ने किस आधार पर चीनी के मूल्य के लिये चार क्षेत्र और उनके लिये चार अलग-अलग अनुसूचियां बनाई हैं । यदि वास्तविक परिस्थितियों और उत्पादन-लागत को आधार बनाया जाये, तो देश भर के लिये कम से कम ९ मूल्य अनुसूचियां होनी चाहिये थीं । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने भी उस पर गहराई से विचार नहीं किया ।

चीनी उद्योग भावी संभावनाय भी कोई बड़ी स्वस्थ नहीं हैं । चीनी उद्योग का जितना भी प्रसार द्वितीय योजना काल में हुआ है, वह पुरानी इकाइयों के ही प्रसार का फल है । इस प्रकार आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं, केन्द्रीकरण ही हुआ है । हमारी सामाजिक और आर्थिक नीति की दृष्टि से यह वांछनीय नहीं । होना तो यह चाहिये कि सारा नया प्रसार सहकारी समितियों के द्वारा हो ।

पिछले आय-व्ययक में खांडसारी पर उत्पादन उपकर लगाया गया था । वास्तव में यदि खांड-सारी उद्योग के विकास में सहायता दी जाये तो चीनी उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण रोका जा सकता है । लेकिन खांडसारी उद्योग का प्रसार शुरू ही हुआ था कि उस पर उत्पादन उपकर लगा दिया गया । वह कदम इसीलिये उठाया गया था कि बड़े बड़े चीनी उद्योगपतियों को लाभ हो, उनकी शक्ति बढ़े ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये और वित्त मंत्रालय से इस उत्पादन उपकर को हटाने के लिये अनुरोध करना चाहिये ।

बताया गया है कि बड़ी बड़ी मिलों द्वारा चीनी का उत्पादन होना इसलिये अच्छा रहता है कि उसमें उत्पादन-लागत कम पड़ती । इसका मतलब तो यही होगा कि हम देहाती क्षेत्रों में आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के अपने सामाजिक उद्देश्य को कभी पूरा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वाणिज्यिक दृष्टि से वह लाभप्रद नहीं होगा । जरूरत इसकी है कि छोटी इकाइयों को उनके अपने परों पर खड़े होने में मदद दी जाये ।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि १९६०–६१ के मौसम में चीनी का अनुमित उत्पादन २७ लाख टन रहा है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, १२ लाख टन चीनी बच रहेगी। इस अतिरिक्त मात्रा को या तो निर्यात किया जा सकता है, या फिर आगे चल कर चीनी के मूल्यों में स्थायित्व लाने की दृष्टि से अतिरिक्त मात्रा को रक्षित भंडार में रखा जा सकता है। मंत्रालय ने इस वर्ष ५०,००० टन चीनी के निर्यात की घोषणा की है। लेकिन विदेशों की अपेक्षा हमारे यहां चीनी का मूल्य अधिक है। इसलिये निर्यात में कठिनाइयां पड़ती हैं। जो भी हो, हमें निर्यात करना ही पड़ेगा। इसलिये हमें अमरीकी बाजार में अपनी चीनी खपाने की चेष्टा करनी चाहिये।

हमारे देश में चीनी की अतिरिक्त मात्रा मौजूद है, इसलिये कुछ लोगों का ख्याल है कि चीनी के मूल्यों का नियंत्रण अनावश्यक है। मैं देख रहा हूं कि पिछले जून से देश भर में चीनी का मूल्य गिरता जा रहा है। लेकिन फिर भी चीनी उद्योगपतियों के हितों की दृष्टि से चीनी का मूल्य नियंत्रण जारी रखा जा रहा है। इसके फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश और पंजाब के उद्योगपति खूब मुनाफे पीट रहे हैं। उनको २ से लगाकर ६ रुपये प्रतिमन तक मुनाफा हो रहा है। यह बड़ी अनुचित बात है।

कांग्रेस दल के समर्थकों को चीनी की उचित मूल्य की दूकानें आवंटित कर दी जाती हैं। इस प्रकार सरकार कांग्रेस दल का राजनीतिक लाभ कर रही है।

चीनी की मांग और उसके संभरण की स्थिति देखते हुये, अब उसके मूल्य-नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। ५० प्रतिशत नियंत्रण हटा दिया जाना चाहिये। मूल्य बढ़ने पर फिर नियंत्रण किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री अजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैंने जो संशोधन रखा है, उसमें पहली बात यह है कि चीनी की एक्स-फैक्ट्री प्राइस, कारखाने से निकलते वक्त कीमत, ३२ रुपये प्रतिमन हो। दूसरी बात यह है कि चीनी के वितरण पर अब कंट्रोल को ढीला किया जाये, क्योंकि चीनी का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। तीसरी बात यह है कि गन्ने की कीमत दो रुपये प्रतिमन हो और चौथी यह कि चीनी का निर्यात चीनी के उपभोक्ता के ऊपर ज्यादा भार डाल कर न किया जाये। मैं इन प्रश्नों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं।

यदि इस संबंध में सारी स्थिति को समझ लिया जाये, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि वितरण पर कंट्रोल को ढीला करने का यदि कोई विरोध करता है—जिन में चीनी के कारखाने वाले भी हैं—तो उसके पीछे यह भावना है कि सरकार ने जो कीमत तय की हुई है, चीनी की कीमत उससे नीचे न आ जाये। वितरण पर जिस तरह का कंट्रोल आज रखा हुआ है, यदि उसको ढीला किया जाये, तो निश्चित रूप से, कारखाने से जिस कीमत पर चीनी बिक रही है, उसपर वह नहीं बिक सकेगी। यह कहा गया है कि चीनी का उत्पादन २४·९० लाख टन हुआ है और आशा की जाती है कि अगले साल वह २७ लाख टन हो जायगा। यह खुशी की बात है। जब जब इस सदन में चीनी के बारे में बहस हुई है, तब तब हमने ये आशंकायें प्रकट की हैं कि चीनी का उत्पादन जितना होना चाहिये, उतना नहीं हुआ है। यह बड़ी खुशी की बात है कि अब चीनी का उत्पादन आशा से अधिक हो गया है, जिस में गन्ना उत्पादकों का बड़ा हिस्सा है। कल मिनिस्टर महोदय ने एक दूसरे विषय पर चर्चा करते हुये

†मूल अंग्रेजी में

यह सही बात कही कि उनके सामने समस्या यह है कि चीनी का जो उत्पादन हो गया है, उस को वह क्या करें—किस तरह उसको मुल्क में खपायें या बाहर भेजें। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी के उत्पादन-व्यय के सम्बन्ध में टैरिफ़ कमीशन से जो तय कराया गया है, उसमें सभी मामलों पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया है। अच्छा होता कि टेरिफ कमीशन की रिपोर्ट पर इस सदन में विचार किया जाता। चूंकि समय कम है, इसलिये मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम आंकड़ों से यह साबित कर सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी और प्रांतीय सरकारों के गन्ना कर को मिलाकर भी चीनी का उत्पादन-व्यय किसी भी सूरत में ३१ रुपये ९५ नये पसे से ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि ३८ या ३९ रुपये एक्स-फैक्ट्री प्राइस तय करने से कारखाने वालों को अनधिकृत रूप में अधिक मुनाफा मिल जाता है। मैं चाहता हूं कि इस सारे मामले पर पुनः गौर किया जाये। किसी भी सूरत में ऐसा मौका नहीं रहा है, जबकि चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमत ३२ रुपये से ज्यादा हो सके। लेकिन सरकार इसको तुरन्त मानने के लिये तैयार नहीं है। अगर वह मानने के लिये तैयार नहीं है, तो वह इस बारे में पूरी छूट दे। तब मैं देखूंगा कि किस तरह से इस एक्स-फैक्ट्री प्राइस को रखा जा सकता है।

मेरे मित्र श्री राजेन्द्र सिंह ने इशारा किया कि १९४८ में गन्ने के उत्पादक को खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में दो रुपया मन मिलता था। मुझे अफसोस है कि बारह साल के बाद, इस सदन में बार बार चर्चा होने के बावजूद, गन्ना उत्पादकों के द्वारा प्रबल आंदोलन चलाने के बावजूद सरकार इस विषय में राजी नहीं होती है कि गन्ने की कीमत दो रुपये प्रति मन तय की जाये। जब यह प्रश्न उठाया जाता है, तो खाद्य मंत्री की ओर से कहा जाता है कि यदि ऐसा किया जायगा, तो चीनी के दाम और बढ़ जायेंगे। यह सही नहीं है। इस समय हिन्दुस्तान में चीनी के जो दाम हैं, उतने दुनिया में कहीं नहीं हैं। यह कहा जाता है कि वे और बढ़ जायेंगे। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। संक्षेप में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यदि खाद्य मंत्री यह मानते हैं कि गन्ने की जितनी कीमत दी जा रही है, वह किसान के लिये आर्थिक कीमत है, वह किसान के लिये उचित है, तो वह इस प्रश्न को किसी विशेषज्ञ समिति के द्वारा, किसी ऐसी कमेटी के द्वारा, जो गन्ने के उत्पादन-व्यय की जांच पड़ताल कर सके, तय करा लें। यदि ऐसी कोई कमेटी बैठती है, जो गन्ने के उत्पादन व्यय की जांच-पड़ताल करे, तो गन्ने की कीमत दो रुपये प्रतिमन से कम तय नहीं हो सकेगी। अभी खाद्य मंत्री महोदय ने कल हमें बताया है कि वह किसी ऐसी कमेटी को बनाने वाले हैं जो जितनी भी किसान की पैदावार है, उसके भावों को तय करेगी। लेकिन वह कमेटी मैं समझता हूं जल्दी आने वाली नहीं हैं उन्होंने बताया कि तृतीय योजना शुरू होने से पहले वह नहीं कह सकते हैं कि ऐसी कमेटी का निर्माण हो जायगा या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि गन्ने की कीमत के प्रश्न को ज्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता है। जो आप बड़ी कमेटी बना रहे हैं। भले ही उसको बनाने में कुछ देर लग जाये, लेकिन गन्ने की कीमत के सवाल को एक विशेषज्ञ समिति को आप सौंपे और उससे तय करायें कि गन्ने की कीमत एक रुपया दस आना मन या एक रुपया बारह आना मन या दो रुपया मन हो। मैं समझता हूं कि उसको दो रुपया मन की दर से देना उचित होगा। चीनी की असली कीमत का जहां तक संबंध है जैसे मैंने कहा है वह ३१ रुपये ९५ नये पैसे ही बनती है और इससे अधिक कीमत चीनी मिल मालिकों को किसी भी तरह से नहीं दी जानी चाहिये।

तीसरी बात मैं एक्सपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं, निर्यात के बारे में कहना चाहता हूं। खुशी की बात है कि सरकार सोचती है कि चीनी का निर्यात किया जाए और जब चीनी का उत्पादन अधिक हो रहा है तो उसका निर्यात होना सही नीति हो सकती है। लेकिन जब निर्यात की बात की जाती है तो उसकी जो इकोनोमिक्स है, उसके जो आर्थिक पहलू हैं, उन

[श्री ब्रज राज सिंह]

पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार ने सितम्बर में कहा कि पचास हजार टन हम निर्यात के लिए चीनी छोड़ र हैं। लेकिन २५ नवम्बर तक सिर्फ १३,४०५ टन चीनी ही निर्यात की गई है। अगर हम पचास टन निर्यात करने में सफल हो जाते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा की शक्ल में दो करोड़ रुपया मिलेगा। इसके मुकाबले में हिन्दुस्तान की सरकार को एक्साइज की शकल में १ करोड़ ४६ लाख रुपया और प्रान्तीय सरकारों को गन्ना सैस की शकल में २६ लाख रुपया छोड़ना होगा। साथ ही साथ अगर उपभोक्ताओं द्वारा जो राशि व्यय की जाएगी, उसको इसमें जोड़ दिया जाए तो पता चलेगा कि दो करोड़ विदेशी मुद्रा पैदा करने में हमें ३ करोड़ १५ लाख रुपये की हानि होगी। ऐसी सूरत में हम चीनी का निर्यात बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। यह कहा जाता है कि हमारे यहां इस साल ६ लाख टन का सरपलस है और अगले साल आशा की जाती है कि ६–७ लाख टन और सरपलस चीनी हो जाएगी। अब यदि १२–१३ लाख टन चीनी को हम निर्यात करें तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार का एक्साइज ड्यूटी की शकल में व अन्य प्रकार शायद ६०–७० करोड़ रुपये निकल जाएगा और कुल हानि अगर जोड़ी जाए, तो पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। इसलिए जैसे खाद्य मंत्री महोदय कह चुके हैं कि जब तक दुनिया के बाजार में चीनी के भाव नहीं बढ़ जाते हैं, जिन को बढ़ाने की वह कोशिश कर रहे हैं, हिन्दुस्तान से चीनी बड़ी मात्रा में बाहर नहीं भेजी जा सकती है। इसलिए सोचना होगा कि जो चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है उसकी खपत कैसे हो।

यह जो खपत की बात है इस पर मैं अब आता हूं। इस संदर्भ में कंट्रोल की बात कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि वितरण पर कंट्रोल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वितरण पर कंट्रोल कतई नहीं है। कंट्रोल केवल मात्र इतना ही है कि राज्य सरकारों को कोटा दे रखा है कि वे उसे अपनी इच्छानुसार बेच लें और उस कोटे को उन्होंने, अपने नामिनीज कहिये, रिप्रिजेंटेटिव्ज कहिये या प्रतिनिधि कहिये, उनको दे दिया है और वे उसे बेचते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो लोग पहले से दसियों सालों से और बीसियों सालों से इस व्यापार को करते आ रहे हैं, उनको व्यापार से अलग होना पड़ता है और नए नए आदमी जो किसी वक्त किसी खास सरकार की गुड बुक्स में हो सकते हैं, उसके पक्ष में हो सकते हैं उनको कोटा दे दिया जाता है। वे लोग न सिर्फ ट्रेड को नहीं जानते, व्यापार को नहीं जानते, बल्कि इस ताक में रहते हैं कि कहां से उनको ज्यादा मुनाफा हो सकता है और जहां कहीं से अधिक मुनाफा हो सकता है, लेने की कोशिश करते हैं। यह चीज भी सोचने वाली है। अब दो तरह की चीनी होती है, एक डी० २९ और दूसरी बी० २९। एक का भाव ३८ रुपये ९७ नये पैसे है और दूसरी का ३७ रुपये ८५ नए पैसे। जो ३७ रुपये ८५ नए पैसे वाली चीनी है, उसको ३८ रुपये ९७ नए पैसे कर के दे दिया जाता है और इस तरह से कारखाने वाला नाजायज तौर पर एक रुपया दो आने का नफा उठाता है और यह भी केवल इस आधार पर कि सरकार बीच में आ रही है। चूंकि हमारे पास सरपलस है, इसलिये मैं वितरण के फेवर में नहीं हूं।

आज हमारे सामने समस्या यह है कि जो अधिक चीनी पैदा हो रही है उसकी खपत कैसे हो। हो सकता है कि सरकार सोचती हो कि वर्तमान में कंट्रोल को हटा देने से चीनी के भाव एक दम बढ़ जायें। मैं भी उनमें से हूं जो यह सोचते हैं कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों ने वितरण को लेकर कई तरह की गड़बड़ियां की हैं जिस से कि उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ रही है। आपने कहा है कि आप पांच लाख टन का रिजर्व स्टाक रखना चाहते

हैं और उसी तरह से रखना चाहते हैं जिस तरह से आप खाद्यान्नों का रखते हैं । आप यह पांच लाख टन का रिजर्व स्टाक रख सकते हैं। खपत होने के बाद जो बच रहे उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ९० हजार टन चीनी बचेगी उसको आप बाहर भेज सकते हैं। ६–७ लाख टन और आ रही है, और उसकी खपत की समस्या पैदा होगी। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि प्रान्तीय सरकारें तुरन्त इस योजना को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वितरण पर से कंट्रोल हटा दिया जाए तो कम से कम ऐसा करें कि पचास प्रतिशत आप दे दीजिए उनको जो पहले से इस व्यापार को करते आ रहे हैं और पचास प्रतिशत राज्य सरकारों को दे दो जिए कि इसको अपने तरीके से करें। यदि ऐसा किया गया तो पंजाब सरकार दो रुपया से छः रुपये प्रतिमन के हिसाब से जो नाजायज मुनाफा कमा रही है, वह नहीं कमा पाएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कमा पाएगी और ट्रेड और व्यापार को भी अपने तरीके से चलने का मौका मिलेगा। इस से उपभोक्ताओं को भी उचित दाम पर चीनी उपलब्ध हो सकेगी और दूसरी तरह के भी कई लाभ होंगे ।

मैं आशा करता हूं कि खाद्य मंत्री मेरे इस सुझाव पर ध्यान देंगे ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : मैं वितरण के प्रश्न को, उपाध्यक्ष महोदय, पहले लेता हूं। आज उत्पादन तो काफी संतोषजनक है लेकिन वितरण व्यवस्था उतनी संतोषजनक और समाधानकारक नहीं है। इसके समाधानकारक होने का कारण यह नहीं है कि हमारा उत्पादन कम होता है, बल्कि कारण यह है कि हमारा वितरण जिस प्रकार होना चाहिये, उस प्रकार का नहीं हो रहा है। मैं पूर्ण नियंत्रण, यानी कंट्रोल के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन निर्देशन या रेग्युलेशन के हक में मैं जरूर हूं। मेरी गुजारिश यह है कि मेरे सामने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मिसाल है। आंध्र प्रदेश शक्कर काफी पैदा करता है, जितनी उसकी जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शक्कर पैदा होती है। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मिल मेरे यहां मौजूद है। बोदन में और वुयूर में भी शक्कर का बहुत बड़ा कारखाना है। और भी कई शक्कर के कारखाने हैं। इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश के कई स्थानों में विशेषकर हैदराबाद में भी कभी कभी शक्कर के भाव एक दम बढ़ जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि स्टाक जो होना चाहिये, कोई ऐसा समय आ जाता है, वह नहीं रहता है और व्यापारी इससे लाभ उठाते हैं और ऐसी किसी भी इस प्रकार की परिस्थिति के आ पड़ने पर वे चूकते नहीं हैं और इसका नतीजा यह होता है कि भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन जब से आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह नीति अपनाई है और निजाम शगर फैक्ट्री को यह कहा है कि हैदराबाद के अन्दर काफी स्टाक रखा जाए तब से हैदराबाद शहर के भाव में एक प्रकार का निर्देशन पैदा हुआ है। आगे चल कर यह नीति अपनाई है कि बेजवाडा के अन्दर भी हमें एक प्रकार का स्टाक रखना चाहिये और उसका परिणाम यह हुआ है कि बेजवाडा के अन्दर भी भाव का ठीक प्रकार से निर्देशन हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि फैक्ट्रीज को निर्देश दिया जाए कि हर उन शहरों में जिन की आबादी एक लाख या उससे अधिक है वहां वे अपना इतना स्टाक रखें जो वक्त जरूरत काम आ सके और अगर फैक्ट्रीज न ीं रख सकती हैं तो गवर्नमेंट उस स्टाक को रखे और अगर ऐसा किया गया तो भावों के बढ़ने की सम्भावना नहीं रहेगी।

मैं चिन्तित हूं मद्रास आदि राज्यों के सम्बन्ध में जहां पर चीनी का कम उत्पादन होता है और बीच बीच में भाव एक दम से बढ़ जाते हैं जिस के कारण वहां असन्तोष और होता है। इस वास्ते मैं आशा करता हूं कि मेरी इस सूचना के ऊपर खाद्य मंत्री महोदय अवश्य ध्यान

[श्री हेडा]

जहां तक गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, यह सवाल अहम है और यह सवाल हमेशा हमारे दिलों के अन्दर विचलित करता रहता है लेकिन अभी तक इसका ठीक तौर पर कोई हल सामने नहीं आया है। इस प्रजातंत्री दौर के अन्दर जबकि हम वैज्ञानिक दृष्टि से हर तरफ देख रहे हैं यह प्रश्न कितना भी पेचीदा क्यों न हो, पर ऐसा नहीं है जिस का कोई ठीक खातिर का हल न निकल पाए। एक तरफ फैक्ट्री के हित को हमें ध्यान में रखना है, दूसरी तरफ शक्कर खाने वालों के हित को ध्यान में रखना है और तीसरी तरफ गन्ना पैदा करने वालों के हित को ध्यान में रखना है। इन तीनों को अगर हमने ध्यान में रखना है और इनके हितों का समन्वय करना है, तो कोई न कोई फार्मूला हमें निकालना होगा, फिर चाहे वह सिसमा फार्मुला हो या मौडिफाइड कोई और फार्मुला हो। इस प्रकार के किसी फार्मूले को तय करने से हमें कई लाभ होंगे। एक लाभ तो यह होगा कि गन्ना पैदा करने वाला जो किसान है वह अच्छी किस्म का और अधिक से अधिक गन्ना पैदा करेगा। आज जब हम सिसमा फार्मुले की बात करते हैं तो कुछ हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों की तरफ से शिकायत होती है कि जो व्यापारी है वह काश्तकार को चूस लेगा। उन की दलील यह है कि वहां का काश्तकार जानता है सिसमा फार्मुले के काम्प्लिकेशन्स को, उस की उलझनों को, इस लिये व्यापारी जो भाव देगा उसे वह लेगा और शक्कर की जो रिकवरी है वह उसे कम बतायेगा। इस प्रकार से काश्तकार को नुक्सान होगा। इसका बड़ा आसान इलाज है। गन्ना पैदा करने वालों का प्रतिनिधि वहां जाय, गन्ना पैदा करने वाला हर काश्तकार शायद इतना समझदार न हो, लेकिन उन का जो प्रतिनिधि वहां जाता है, वह भी इतना समझदार नहीं होगा, यह समझ में नहीं आ सकता है। जो उन का प्रतिनिधि हो वह वहां जाय, जैसा कि साउथ इंडिया की फैक्ट्रीज में होता है। वहां जो प्रतिनिधि रहेगा वह इस की नाप रक्खेगा कि शक्कर की रिकवरी कितनी है। अगर शक्कर कम आती है तो उस के बतलाने के बाद हिसाब हो जाता है और इस प्रकार इस फार्मूले के आधार पर ठीक कीमतें तय हो जाती हैं।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक और चीज बतलाई गई है और वह यह है कि दक्षिण के अन्दर हम देखते हैं कि न सिर्फ गन्ना अच्छे किस्म का होता है और ज्यादा परिमाण में प्रति एकड़ प्रोडक्शन होता है, बल्कि शक्कर का उत्पादन ज्यादा होने की वजह से वहां की फैक्ट्रियों की जो कीमत रहती है, उस के बखिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार के काश्तकारों को शिकायत है। मैं उन से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जहां दक्षिण में दूसरी मुसीबतें हैं वहां उन को शक्कर से थोड़ा लाभ हो जाता है। वहां गर्मी ज्यादा है और सूर्य का प्रकाश भी ज्यादा मिलता है इसलिये वहां के काश्तकारों का गन्ना पैदा करने का परिमाण हमेशा उत्तर के मुकाबले ज्यादा रहेगा। सर्दी के मौसम में जो गन्ने की पैदाइश होती है वह रुक जाती है या कम हो जाती है दक्षिण में यह बात नहीं है। वहां बारह महीने गर्मी रहती है, जैसा कि मजाक के तौर पर कहा जाता है कि मद्रास के अन्दर तीन मौसम होते हैं, हाट, हाटर, हाटेस्ट। इसलिये वहां जो परिस्थिति है उस में अगर गन्ना ज्यादा पैदा होता है तो उस में आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिये। जो अच्छा काश्तकार है वह यह सोचेगा कि अगर मद्रास में शक्कर की रिकवरी ज्यादा है, तो उसे यहां भी बढ़ाया जाना चाहिये। मेरे मित्र कहते हैं कि काश्तकार को २ रु० ६ आ० प्रति मन खर्च करना पड़ता है गन्ने की पैदावार में। इस प्रकार की कई चीजें हर जगह कही जाती हैं। मैं चूंकि खुद यहां पर इस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करता हूं इसलिये जब मैं यहां जाता हूं तो मुझ से खुद कहा जाता है कि हमें जो कीमत दी जाती है वह बहुत कम है और हमारी कास्ट बहुत ज्यादा है। कास्ट क्या है और क्या नहीं,

यह कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मोटी बात समझ में आती है। अगर गन्ना पैदा करने की कास्ट, जो कीमत मिली है, उस से अधिक है, तो क्या वजह है कि गन्ने की पैदावार बढ़ती जा रही है? किसान अब भी गन्ना पैदा करता जा रहा है और गन्ने के प्रोडक्शन का प्रतिशत सुधरता जा रहा है? उस के बजाय वह चावल और कोई और चीज पैदा क्यों नहीं करता? इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता। इस लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि हमें इस चीज को वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिये। बात यह है कि कीमत तय होने के लिये राजनीतिक दबाव लाया जाता है और राजनीतिक दबाव ला कर १ रु० १० आ०, १ रु० १२ आ० या २ रु० प्रति मन, या इसी प्रकार की कोई और कीमत निर्धारित कराने की कोशिश की जाती है। यह गलत तरीका है। इस के बजाय सच्चा तरीका यह है कि जो शक्कर की रिकवरी हो, उस की कीमत के अनुसार काश्तकार को दिया जाय।

जहां तक निर्यात का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस में बहुत तेजी नहीं कर सकते। जैसा श्री ब्रज राज सिंह ने कहा, जब ५ लाख टन शक्कर का स्टाक आप के पास हो जाय, उस के बाद सरकार चाहे जिस भाव पर बाहर भेजे। जो यह कहा जाता है कि बाहर शक्कर भेजने से हमारा नुकसान है, इससे म सहमत नहीं हूं। २ करोड़ रु० की चीनी बाहर भेजने से हमें साढ़े तीन करोड़ रु० का नुकसान होगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शक्कर का विषय है वह दरअस्ल मीठा तो बहुत है लेकिन साथ ही ऐसा है और इस के इतने पहलू हैं कि अगर हम उन पर विचार करते जायें तो तरह तरह की रायें बनती जाती हैं और रास्ता जो है वह अवरुद्ध होता जाता है, कोई साफ रास्ता नहीं मिल पाता। हमारे उत्पादन की स्थिति जो इस वक्त है वह काफी अच्छी है, और जो हम बाहर से शक्कर मंगाते थे, वह मंगाना हमारा बन्द हो गया है और इस स्थिति में हम आ गये हैं कि बाहर शक्कर भेज सकते हैं। परन्तु बाहर शक्कर भेजने में जो हमारी दिक्कतें हैं, उन्हें भी हमारे साथियों ने यहां पर बतलाया है। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं उनको दोहराता। पर अगर हम बाहर नहीं भेज सकते हैं तो फौरन यह हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास जो फाजिल शक्कर है, उस का हम क्या इस्तेमाल करें, और क्या तरीका उस का हो। खामख्वाह हम इस बात पर आ जाते हैं कि इस को यहां बाजार में छोड़ देना चाहिये अर्थात् नियंत्रण हटा देना चाहिये, और उसका जो नतीजा हो वह हो। दरअस्ल यह अच्छा भी लगता है कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ कर हम सोचें। लेकिन इस के साथ ही जो बाधायें हैं उन पर अगर हम अपना दिमाग ले जायें तो समझ में नहीं आता है कि यह कितना पेचीदा सा प्रश्न है।

इस समय जो हमारे पास ५ या ६ लाख टन का मार्जिन है, उस ५ या ६ लाख टन के मार्जिन को रख कर अगर हम सोचें कि अब तो हम काफी अच्छी हालत में हो गये, अब हम को चीनी को कंट्रोल से छोड़ देना चाहिये, डिकंट्रोल जैसी बात हो जाय, तो उसका खराब असर हम पर पड़ सकता है। अभी तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि पैदावार बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन मालूम होता है उत्तर प्रदेश में कि एकरेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम इस को छोड़ दें, डिकंट्रोल कर दें और कीमतें घटने लगें, तो एक या दो सालों में कहां पहुंच जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। अब अगर हम इस को नहीं छोड़ते हैं, तो इस का उपयोग क्या करें? इस लिये इसे बाहर ही भेज सकते हैं। भारत की हालत ऐसी है

[पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय]

कि कीमतें शक्कर की ज्यादा हैं, और इस कीमत पर कोई लेने वाला नहीं, इसलिये इस सिलसिले में काफी दिक्कत हो रही है। अमरीका से शायद बात हो रही है, पता नहीं वह कहां तक मूफीद हमारे लिये हो सकता है। मुफीद तो नहीं हो सकता है मगर कम हानिकर हो सकता है और रास्ता खोल सकता है, ऐसा जान पड़ता है। ऐसी हालत में हम क्या करें? एक तरफ हमारे मित्र कहते हैं कि ईख की कीमत जो है उसे बढ़ा दिया जाय। अभी जो हमारी कीमत है वही हमें हजम नहीं हो रही है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उसको बढ़ाने का असर लाजिमी तौर पर शक्कर की कीमत पर पड़ना चाहिये और पड़ेगा। इस तरह से हमारी शक्कर की कीमत भी बढ़ जायेंगी। लिहाजा मैं समझता हुं कि इस वक्त न सोच कर के थोड़े दिन तक इस समस्या को हम ऐसे घाट पर लावें जहां से हम कोई साफ रास्ता निकाल सकें।

दूसरी बात हमारे मित्र और कहते हैं कि हमारी शक्कर की कीमत जितनी इस वक्त है, उस से घटनी चाहिये। उस के जो इंग्रीडिएन्ट्स हैं उन सारों की कीमत तो बढ़ जानी चाहिये लेकिन जो शक्कर की कीमत है वह घटाई जानी चाहिये, यह दोनों बातें मेरी समझ में नहीं आतीं। इस वास्ते कि मैं नहीं समझता, इस रास्ते पर चलना किसी के लिये सम्भव है, चाहे काश्त और पैदावार कितनी बढ़ रही हो। आप कोई और रास्ता निकालें, इस में मुझे दिक्कत मालूम होती है।

तीसरी बात हमारे पास बचे स्टाक की है, जिस का एक्स्पोर्ट किया जा सकता है, जैसा मैंने निवेदन किया। मेरे कुछ और मित्रों ने कहा कि ५ या ६ लाख टन शक्कर रख ली जाय, और रख कर दी जाय। रख कर दिये जाने में जो सब से बड़ा खतरा है वह यह है कि अभी अगर हम एक्स्पोर्ट की तरफ नहीं झुके और बाजार में भेजने लगे, जैसा कि सुझाव दिया गया है कि हम आधी शक्कर बाजार के लिये छोड़ दें, प्रस्तावक साहब ने भी कहा कि ५० प्रतिशत चीनी हम छोड़ दें, तो हमें दिक्कत हो सकती है। यह दोहरी व्यवस्था है जिस पर जा कर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लगता है कि दिमाग में इस बात की परेशानी ज्यादा है कि वितरण जो है उस में बहुत करप्शन है, उस में नेपाटिज्म है, उस में पक्षपात है और भ्रष्टाचार है। यह चीज दिमाग पर हावी है। तरीका हम निकालने की सोचते हैं तो मैं यह सोचता हूं कि इस ऐडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त किया जाय और भ्रष्टाचार का अन्त किया जाय। मेरे मित्र ने कहा कि कंट्रोल में कांग्रेस वालों की मार्फत वितरण होने लगता है, और मैं समझता हूं कि हमारे और भी कांग्रेसी मित्र जो उठेंगे वे बड़े जोर में कहेंगे कि डिकंट्रोल होना चाहिये, डिकंट्रोल होना चाहिये। कंट्रोल से कोई कांग्रेसी सहमत हो ऐसी कोई बात नहीं है। खुद मैं भी कंट्रोल का समर्थक होऊं ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं उन हालात में हमें कुछ रास्ता निकालना है। यह समस्या बहुत दिनों से हमारे सामने है। ऐसी हालत में अगर किसी एक या दो साल में हमारे पास बचत हो जाती है और हम सोचने लगते हैं कि डिकंट्रोल कर दें या एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो ऐसा निर्णय करना जल्दबाजी होगी। इसमें सन्देह नहीं कि डिकंट्रोल हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके हमको उस लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन उस लक्ष्य तक जाने में जो खतरे हैं उनको बचाते ए हमें उस लक्ष्य की ओर जाना चाहिये।

ऐसी हालत में मेरा निवेदन है कि यह जो आज हमारे पास मार्जिन है इससे हम कुछ फारिन एक्सचेंज पैदा कर सकें तो वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि फारिन एक्सचेंज हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। हमको फारिन एक्सचेंज प्राप्त करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये, चाहे वह घाटा उठाकर ही क्यों न करना हो। और धीरे धीरे हमको डिकंट्रोल की तरफ जाने का भी प्रयास करना चाहिये और जब हम ठीक समझें तो डिकंट्रोल कर दें। लेकिन हमको ऐसा करते समय यह देख लेना चाहिये कि ऐसा करने से पैदावार तो नहीं घट जाएगी। क्योंकि अगर पैदावार घट जाती है तो हमारी सारी स्कीम ही खत्म हो जाएगी। तो हमको पैदावार बढ़ाने की अपनी योजना पर जोर देते रहना चाहिए और पैदावार बढ़ाकर हमको फारिन एक्स्चेंज प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और अगर हमारे पास काफी मार्जिन हो जाए और स्थिति स्थिर हो जाये और हम देखें कि हम सब पहलुओं को संभाल सकते हैं तो हम डिकंट्रोल भी करें और चीनी को सस्ता भी करें और एक्सपोर्ट भी करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र राजेन्द्र सिंह ने जो सुझाव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

हम देखते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और गन्ने की कीमत भी, माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश रही है और कुछ बढ़ी भी है। उसके बाद अगर हम मुकाबला करें तो चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है और २४ लाख टन से भी ज्यादा हुआ है और जहां तक मुझे मालूम है यह और भी आगे बढ़ने वाला है।

हमारे सामने अब यह सवाल आता है कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या इस पर कंट्रोल रहना चाहिये। यह एक मुख्य सवाल है। इसका जवाब केवल यह कह कर नहीं दिया जा सकता कि कंट्रोल की जरूरत है। बहुत से लोग आज कंट्रोल के खिलाफ हैं और जैसा कि मेरे माननीय दोस्त उपाध्याय जी ने कहा कि बुनियादी तरीके से वह भी कंट्रोल के खिलाफ हैं। उन का भी आखिरी लक्ष्य कंट्रोल नहीं है। मुझे डर है कि यह कंट्रोल भी कहीं हिन्दुस्तान में इस तरह घर न कर जाए जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट घर कर गया है और उसकी बार बार आयु बढ़ा दी जाती है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आज इस बात पर प्रकाश डालें कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो वह कंट्रोल क्यों नहीं तोड़ देते। क्या उनको व्यापारियों पर विश्वास नहीं रहा? या किस के ऊपर विश्वास नहीं रहा यह वह बतावें। आज देश में यह किसकी मांग है कि कंट्रोल रहना चाहिये। क्या यह मिलमालिकों की मांग है, या व्यापारियों की मांग है, या उपभोक्ताओं की मांग है या सरकार की मांग है। क्या जो दलीलें व्यापारी हमारे सामने देते हैं वह सही हैं और क्या जो बार बार उनको आश्वासन दिया गया है उसके पाछे कुछ तथ्य है? तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि इस के ऊपर विचार किया जाए और सीरियसली विचार किया जाए कि कंट्रोल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं यह एक मिनट के लिए भी नहीं कहना चाहता कि कंट्रोल को हटाने से पहले ऐसी बन्दिशें न कर ली जाएं कि कोई दाम बढ़ जाए। क्योंकि आखिर को हम इन्सान की जिन्दगी के साथ और अपने बच्चों

[श्री स० मो० बनर्जी]

की जिन्दगी के साथ एक्सपैरीमेंट नहीं कर सकते। चीनी की हालत जो पहले देश में आ चुकी है वह आपको मालूम है और एक समय था जब कि चीनी के बारे में यह समझा जाता था कि इसमें राजनीतिक चीजें चल रही हैं, इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है और कुछ लोग समझने लगे थे कि चीनी में भ्रष्टाचार घर बना चुका है।

तो मैं समझता हूं कि यह सवाल हमारे सामने मुख्य सवाल है। आज इस बारे में देश में ओपीनियन बटी हुई है, कुछ लोग मांग करते हैं कि कंट्रोल रहना चाहिए तो कुछ लोग मांग करते हैं कि कंट्रोल हटना चाहिए। सरकार कहती है कि उसका आखिरी लक्ष्य डिकंट्रोल करने का है। मैं भी बेसिकली कंट्रोल के खिलाफ हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालें कि डिकंट्रोल करने में क्या खतरा है और वे कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से दाम बढ़ जाएगा। अगर ऐसा खतरा है तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि न सिर्फ चन्द सूबों में कंट्रोल हो बल्कि सारे देश में कंट्रोल हो।

जहां तक दामों में कमी का सवाल है, होलसेल प्राइस में कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में या कानपुर में चीनी का दाम एक रुपया एक आने या एक रुपए दो आने सेर है। लेकिन आप साउथ में चले जाएइ, वहां चीनी का दाम एक रुपए आठ आने और एक रुपए दस आने है। इस तरह के आंकड़े मेरे पास हैं, हो सकता है कि वे गलत हों। माननीय उपमंत्री जी जो कि साउथ से आते हैं वह शायद सही आंकड़े बताएंगे। लेकिन साउथ वालों को शिकायत है कि जो शक्कर साउथ में पैदा होती है वह साउथ वालों को दी जाए, ऐसा करने से हो सकता है कि उसके दाम कुछ घटें। वहां डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में तमाम चीनी को कंट्रोल करके डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंट्रोल रखा गया है। एक्स फैक्टरी प्राइस केन्द्रीय सरकार कायम करती है और उसके बाद सूबों की सरकार को दे दी जाती है कि वह कंट्रोल करें, वहां पर प्राइस फिग्सेशन करें। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझता हूं कि यह जो कंट्रोल का पूरा ढांचा है यह हमारे सामने आना चाहिये। जो लोग चीनी के कंट्रोल के खिलाफ हैं वह कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि चीनी की हालत में सुधार हो जाएगा तो वे एक मिनट भी देर नहीं करेंगे और डिकंट्रोल कर देंगे। उनके उन भाषणों को लोग अपनी जेबों में लिए फिरते हैं, और वह बार बार पूछते हैं कि कंट्रोल के बारे में क्या होगा। तो मैं ने यह मुख्य सवाल उनके सामने रखा है और मैं आशा करता हूं कि वह इसका जवाब देंगे।

अभी चीनी का प्रोडक्शन बढ़ा तो फायदा किसको हुआ यह मेरी समझ में नहीं आया। उपभोक्ता को फायदा नहीं हुआ। मैं भी एक उपभोक्ता हूं और बालबच्चे वाला हूं। मैं देखता हूं कि चाहे चीनी का उत्पादन २० लाख टन हुआ या २१ लाख टन हुआ या २४ लाख टन हुआ, लेकिन उसका दाम एक रुपया एक आने और एक रुपये दो आने से कम नहीं हुआ। मैं तो यह सुनता आता था कि जितने आने मन गन्ना होगा उतने ही रुपये मन चीनी होगी। अगर गन्ने का दाम २ रुपये मन है तो चीनी का दाम ३२ रुपये मन होना चाहिये। उस बात का क्या हुआ ? तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बारे में बहुत सी चीजें सामने रखी जाती हैं। मेरा तो कहना है कि अगर कंट्रोल की वाकै जरूरत है तो वह रखना चाहिये, और अगर उसकी वाकै जरूरत नहीं है तो नहीं रहना चाहिये ताकि सब भाइयों को इत्मीनान हो जाये कि अब हालत सुधर गयी है। और अगर फिर भी कोई समाजविरोधी तत्व चीनी के दाम बढ़ाते हैं तो कोई ऐसी चीज रखनी चाहिये कि उनको सजा मिल सके। मैं अपनी बात कह चुका लेकिन चीनी के बारे में तमाम बातें कहने के बाद भी एक ही बात कहके परेशान

हो जाता हूं : 'करने को गरीब ने क्या न किया माथे का लिखा फिर भी न गया'। आज हर उपभोक्ता और काश्तकार यही कहता है और अपनी तकदीर को कोसता है। आज हालत यह है कि गन्ने का दाम पौने दो रुपये से या एक रुपये दस आने से दो रुपये हो नहीं सकता, चीनी का दाम घट नहीं सकता। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर वाकै कंट्रोल को रखना जरूरी है तो रखना चाहिये लेकिन राजनीतिक कंट्रोल न हो, मिलमालिकों को खुश करने के लिए कंट्रोल न रखा जाए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे और हमारी फ्रेंकनेस से यह न समझेंगे कि हम कंट्रोल के माफिक हैं या खिलाफ हैं। अगर वह समझते हैं कि कंट्रोल वाकै जरूरी है तो रहना चाहिये नहीं तो नहीं रहना चाहिये। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल देश के सामने पहली दफा नहीं आया है। अगर इसके इतिहास में जाया जा ै, तो मालूम होगा कि इसका एक अजीब सा इतिहास है। मेरे ख्याल में यह चौथी दफा है और इससे पहले देश को तीन चार दफा यह बताया गया कि हमारे देश में चीनी की पैदावार जरूरत से ज्यादा है और इस विषय में देश से बाहर चीनी भेजने का भी जिक्र किया गया। देश से बाहर चीनी नहीं गई। जहां तक चीनी के ज्यादा होने का ताल्लुक था, पिछला इतिहास यह कहता है कि पता नहीं किस तरीके से चीनी के व्यापारियों या बड़े बड़े मिल-मालिकों ने इस जिक्र के फौरन बाद चीनी का भाव बढ़ा दिया और फिर चीनी की शार्टेज का नारा देश में इतने जोर से लगा, जितना पहले नहीं लगा था। हमारे आज के मंत्री महोदय, श्री एस० के० पाटिल, बहुत मजबूत आदमी हैं। इसलिये मैं उम्मीद नहीं करता कि अब पहले वाला नारा, या पहले वाला इतिहास दोहराया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि उन की मज़बूती की जो मशहूरी है, उसी मजबूती के साथ वह आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे खदशा है कि जो नारा लगाया जा रहा है कि चीनी ज्यादा है, वह कोई सही नहीं है। यह बात सही है कि चीनी की कीमत बढ़ी है। वैसे यह कहा जाता है कि जिस चीज की कीमत बढ़ जायेगी, उसका इस्तेमाल कम हो जायेगा, लेकिन इससे विपरीत नतीजा अगर किसी चीज में निकला है, तो वह चीनी है। चीनी की कीमत बढ़ी, उसके उपभोक्ता भी बढ़े और चीनी की खपत की तादाद भी देश में बढ़ती गई। कई भाई बड़े जोर से कहते हैं कि चीनी की कीमत घटनी चाहिये, उससे उसके इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी। मैं नहीं समझता कि इससे उसके इस्तेमाल में कुछ फ़र्क पड़ता है। यह इतनी मीठी चीज़ है कि आदमी एक दो आने कम ज्यादा देने में ख्याल नहीं करता है।

कई दोस्तों की तरफ से पंजाब का बार बार जिक्र किया गया है। कइयों को शौक है पंजाब का जिक्र करने का। मंत्री महोदय ने भी इशारा किया था पंजाब सरकार के खिलाफ। मैं तो नहीं मानता और पंजाब सरकार भी नहीं मानती कि वह कोई मुनाफा कर रही है, लेकिन अगर बहस के लिये मान लिया जाये कि कुछ मुनाफा पंजाब सरकार ने किया, तो वह मुनाफा पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों से और लोगों की खातिर किया। इसके अलावा हिन्दुस्तान की सरकार बारह रुपये मन सैस लेती है। वह भी देखे कि वह इस मुनाफे में शामिल है या नहीं जिस तरह उसका ध्येय यह है कि वह बारह रुपये मन लेकर इस देश की तरक्की करना चाहती है, उसी तरह यदि पंजाब सरकार ने एक दो लाख रुपया बनाया है, तो उनका भी ध्येय है कि पंजाब की तरक्की हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में ग़रीब आदमी—जिसे ग़रीब कहना चाहिये—गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करता है। हां, व्हाइट कालर्ड जिन्हें कहते हैं, वे जरूर चीनी इस्तेमाल करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन दो में माननीय सदस्य किन में हैं ?

चौ० रणवीर सिंह : मैं क्या बताऊं ? वह तो लोगों ने देखना है। मुझे ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है।

[चौ० रणवीर सिंह]

श्री हेडा ने कहा कि लोग एतराज करते हैं कि गन्ने की कीमत कम है लेकिन गन्ने की पैदावार बढ़ रही है और जो आदमी गन्ना बोता है, वह ज्यादा तरक्की कर रहा है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। शायद उनको मालूम नहीं है। वह कहते हैं कि वे लोग दूसरी चीज क्यों न पैदा करें। उनको अंदाज नहीं है कि एक एकड़ में जितना गन्ना पैदा हो सकता है, उतनी दूसरी चीज नहीं हो सकती है। एक एकड़ में अनाज की पैदावार औसतन दस बारह मन हो सकती है, जबकि गिरे से गिरे इलाके में भी गन्ने की पैदावार २५० मन है, जिससे पच्चीस मन चीनी पैदा होती है और उसकी कीमत दस बारह मन अनाज से कई गुना ज्यादा है——इकानोमिक वैल्यू में कोई सोलह गुना फर्क होता है। लेकिन गन्ना ज्यादा पैदा करने की यह भी वजह नहीं है। आप जानते हैं कि पंजाब में बहुत वाटरलागिंग हुआ है। मैं अपने जिले के बारे में बता सकता हूं। पंजाब में सब से ज्यादा गन्ना रोहतक जिले में होता है। जो जिला वाटरलाग्ड हो गया है, अगर उसमें कोई फसउ पैदा हो सकती है—किसान के फायदे के नुक्ता-ए-नजर से भी और वसे भी, तो वह गन्ना ही है। गन्ने की ज्यादा पैदावार की वजह यह नहीं है कि किसान उससे ज्यादा मुनाफा कर सकता है। उस की वजह यह है कि किसान गन्ना पैदा करने पर मजबूर है। वह कोई दूसरी फसल पैदा नहीं कर सकता है। आज देश में पहले के मुकाबले में ९० लाख एकड़ भूमि वाटरलाग्ड या सैमी वाटरलाग्ड एरिया बन गई है। इसलिये अगर कोई समझता है कि गन्ने का काश्तकार ज्यादा मुनाफा कमाता है, इसलिये वह गन्ना ज्यादा बोता है, तो वह गलत है। इसके साथ ही जो भाई यह समझते हैं कि गन्ने की कीमत को घटा कर वह देश की हालत को ठीक कर सकते हैं, वे गलत हैं। हां, गन्ने की कीमत का थोड़ा बहुत असर पैदावार पर पड़ता है। जब-जब गन्ने की कीमत घटाई गई, तब-तब गन्ने की पैदावार भी घटी और शूगर बाहर से आई और देश को खसारा हुआ। इसलिये इन तजुर्बों से हम बचें।

लेकिन अगर फर्ज कीजिये कि गन्ने की पैदावार या चीनी की पैदावार बढ़ गई, तो हमें उससे क्यों डरना चाहिये? वह तो एक अच्छी चीज है। मैं श्री राजेन्द्र सिंह के किसी नारे में क्यों आऊं और मुझे इस कंट्रोल से डर क्यों हो? अगर गन्ने और चीनी की पैदावार बढ़ गई है, तो यह मेरा ध्येय है, यह मेरे ध्येय के अनुसार ही हुआ है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। व्यापारियों का एक वर्ग जो नारा लगाता है, उसके पीछे एक ख्वाहिश है। आज आठ आने फी मन के हिसाब से मिल वाले उसको देते हैं, जो दिल्ली से या स्टेट से परमिट लेता है। आगे गन्ने की डिस्ट्रिव्यूशन के बारे में हालात बदलेंगे। अगर यह मुनाफा रखना है, तो, चूंकि हमारा मकसद है सर्विस को-आपरेटिव्ज को बढ़ाना और कोआपरेटिव सैकटर को मजबूत करना, वह क्यों न सिर्फ को आपरेटिव सेक्टर के जरिये ही किया जाये? हो सकता है कि मंत्री महोदय जिक्र करें कि पंजाब सरकार या पंजाब की को-आपरेटिव सोसायटीज ने ज्यादा मुनाफा किया हो। वह नहीं किया होगा, लेकिन अगर किया है, तो वह बहुत बुरा नहीं है। वह सारे समाज और प्रदेश के लिये है। अगर को-आपरेटिव सोसायटी कोई नाजायाज मुनाफा करती है चोर-बाजारी में जाकर, तो वह गलत है, लेकिन अगर आठ आने फी मन के हिसाब से मुनाफा करके हम सर्विस को-आपरेटिव्ज को मजबूत कर सकते हैं, या छोटे छोटे खांडसारी यूनिट्स देहात में सर्विस को-आपरेटिव्ज की मार्फत लगवा सगते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिये बून होगा।

इस बारे में मेरी राय साफ है और मैं श्री उपाध्याय की तरह दायें बायें नहीं कहना चाहता हूं और वह यह है कि कंट्रोल रखने से देश को फायदा हुआ है। चीनी के कंट्रोल से देश और किसान को फायदा रहेगा हां, व्यापारी को जरूर नुक्सान रहेगा।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है,

उससे भारत में चीनी खाने वालों के अलावा लगभग दो करोड़ किसानों और दो लाख मजदूरों का संबंध है। इस विषय पर पहले संसद् के काल में, और इस में भी समय समय पर विचार हुआ है। यदि भविष्य में भी यह समस्या रह गई, तो हमें आगे भी पर सोचना पड़ेगा।

गन्ने और चीनी की पैदावार के बारे में यह कहा जाता है कि वह पैदावार बढ़ी है और आशा से अधिक बढ़ी है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में चीनी उत्पादन का जो लक्ष्य था, उसको हमने दो साल पहले ही पूरा कर दिया और अब हम आगे जा रहे हैं। इस संबंध में चीनी के एक्सपोर्ट, चीनी का दर कितना हो, गन्ने का दर कितना हो, इस पर भी विवाद होता है। कांग्रेस-विरोधी दल जहां यह कहते हैं कि गन्ने का भाव और ऊपर होना चाहिये वहां दूसरे ही क्षण वे यह भी कहते हैं चीनी का भाव कम होना चाहिये और साथ ही जो मजदूर इस व्यवसाय में काम करते हैं, उनकी तन्ख्वाह भी ज्यादा होनी चाहिये। देखने को तो ये बातें स्पष्ट मालूम होती हैं, लेकिन इन तीनों बातों का सामंजस्य कैसे होगा, इस विषय में कोई सुझाव नहीं आता है।

यह सही है कि कांग्रेस सरकार ने इतना तो किया है कि जहां पर चीनी की मिलों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन पहले दस रुपये महीना था, वह अब किसी फैक्ट्री में ५५ रुपये से कम नहीं है। चीनी का दर कुछ महंगा जरूर हुआ। उसके कई कारण हैं। पिछले विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया में और चीजों के भाव बढ़े। उसका असर भारत पर भी पड़ा। इसलिये चीनी के भाव का बढ़ना स्वाभाविक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

यह बात जरूर उठती है कि उत्तर भारत में, या दक्षिण भारत में गन्ने का भाव किस आधार पर तय हो। उस वक्त सरकार के सामने और हम लोगों के सामने, जो कि उत्तर भारत में रहते हैं और जहां चीनी की सब से ज्यादा मिलें हैं, एक समस्या खड़ी होती है। उससे हम लोग घबराते हैं। पिछले कई वर्षों से बाहर सम्मेलनों के द्वारा और इस सदन में भी हम लोग यह सुझाव रखते आ रहे हैं कि जहां तक श्रम का संबंध है, वह तो उत्तर भारत हो, या दक्षिण भारत, सब जगह लगता है। उसमें खर्च भी होता है। गन्ने के उत्पादन का जो आधार हुआ वह तो श्रम हुआ। उसके बाद उस में पूंजी लगती है। पूंजी लगाने के बाद पैदावार कम हो या अधिक हो, वह दूसरी बात होती है। इस वास्ते मूल्य तय करते वक्त एक मौलिक आधार रहता है। उस को हमें ध्यान में रखना है। वह यह है कि उत्पादन करने में जो उसका खर्च होता है, उस पर विचार किया जाए। इस वास्ते आप इस बात को तय कर दें कि उत्पादन का खर्चा जोड़ कर भाव तय किए जाएंगे और यदि ऐसा किया गया तो विवाद का कोई कारण नहीं रह जाएगा और यह प्रश्न भी नहीं उठेगा कि दक्षिण में क्या भाव हो, उत्तर में क्या हो। यह अपने आप तय हो जाएगा और किसान भी निश्चिन्त हो जाएगा। खुशी की बात है कि सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाया है। किसान को जो खेतों से पैदा करता है, अगर उस का उचित मूल्य अदा कर दिया जाए और मूल्य तय कर दिया जाए जिस से उसको लाभ हो और ऐसा करते वक्त अगर आप यह आधार बनावें कि उत्पादन का जो खर्चा है, उसको भी ध्यान में रक्खा जाएगा तब कोई विवाद नहीं रह जाएगा, सारी समस्या हल हो जाएगी।

अब यह भी एक प्रश्न है कि गन्ने की दर से चीनी का भाव कैसे सम्बन्धित किया जाए। इस में कई बातें आ जाती हैं। इस में रोजगारियों का भी सवाल आ आ जाता है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि चूंकि उत्पादन बढ़ गया है इस वास्ते कंट्रोल्ज़ को खत्म कर दिया जाए। आज एक्सपोर्ट की बात भी सोची जा रही है और चीनी को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऐसी सूरत में जब हम नियंत्रणों को हटाने की बात सोचते हैं तो हमारे सामने यह सवाल भी आता है कि क्या

[श्री विश्वनाथ राय]

नियंत्रणों को हटा देने से कोई खराबी पैदा तो नहीं हो जाएगी। कपड़े पर से नियंत्रण हटे और उस के बाद गवर्नमट द्वारा प्रयत्न किए जाने के बावजूद भी भाव बहुत तेज़ हो गए और अभी भी तेज़ हैं। मिल मालिक सरकार की एक बात भी सुन नहीं रहे हैं। भारत के समाज में जो कमजोरी है, उसको देखते हुए यह कहना कि चीनी पर से जो नियंत्रण हैं उन को हटा दिया जाए, मैं समझता हूं कि एक खतरनाक बात होगी। एक विरोधी सदस्य ने कहा कि यदि नियंत्रणों की आवश्यकता हो तो वे रहने चाहियें। मैं उन से इस बात में सहमत हूं। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में जो कमजोरियां हैं, उन को यदि हम ध्यान में रखें तो हम इस समय नियंत्रण हटाने की बात को नहीं सोच सकते हैं, इस वक्त और अगर उनको हटाया गया तो मैं समझता हूं कि एक संकट उत्पन्न हो सकता हैं। इस से लाखों करोड़ों रुपया किसानों का और उपभोक्ताओं का बरबाद हो सकता हैं।

अब हमें चीनी का निर्यात भी करना है ताकि हम विदेशी मुद्रा कमा सकें। उसके लिए यह आवश्यक हैं कि चीनी का अधिक उत्पादन हो वह तभी हो सकता हैं जबकि गन्ने का उत्पादन बढ़े। अब गन्ने के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। यह बहुत साधारण सी बात हैं। जो गन्ना पैदा करता है, जो किसान हैं, उसको अभी जो सुविधायें मिली हुई हैं, उन से भी अधिक सुविधायें अगर उसको मिल जाएं तो उत्पादन बढ़ सकता हैं। हमें चाहिये कि हम यह प्रयत्न करें कि फी एकड़ उत्पादन बढ़े। यह सही बात हैं कि दक्षिण भारत में जलवायु का प्रभाव है जिससे वहां का उत्पादन अच्छा हो रहा है और चीनी जो प्रति सैंकड़ा मन गन्ने में से निकलती हैं, अधिक निकलती है। लेकिन अगर दूसरे भागों में उत्पादकों को जो सुविधायें इस वक्त मिली हुई हैं, उससे अधिक सुविधायें दी जाएं, कुछ विशेष सुविधायें दी जाएं तो वहां भी गन्ने का फी एकड़ उत्पादन बढ़ सकता हैं और फी एकड़ पैदावार बढ़ने से जो कीमत खर्च आएगा वह कम आएगा। जब खर्चा कम होगा तो जो भाव सरकार निर्धारित करेगी, उससे उनको मुनाफा होगा। इसका एक नतीजा यह भी होगा कि गन्ने की जो एकरेज है वह भी नहीं बढ़ेगी और किसान दूसरी चीजों की पैदावार भी बढ़ाता जाएगा।

एक इशारा इस ओर भी हुआ है कि मिल मालिकों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए खण्डसारी वालों को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है,। मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आंकड़ों पर आप जाएं तो पता चलेगा कि भारत में ९·६ मन चीनी तैयार होती है सौ मन गन्ने से मिलों में जब कि खण्डसारी से सिर्फ ६ मन चीनी तैयार होती है। तो जो ३·६ मन चीनी कम तैयार होती है खण्डसारी से यह राष्ट्रीय हानि होती है। यह कहा जाता है कि खण्डसारी में से जो मौलेसिस निकलता है, शीरा निकलता है, उस से भी लाभ होता है। लेकिन यह बात भी सोचने की है मिलों की चीनी से जो शीरा निकलता है, उसका निर्यात हिन्दुस्तान के बाहर होता था। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो अब फिर उसका निर्यात सम्भव हो सकता है। अगर ऐसा किया गया तो जो लगभग एक या डेढ़ करोड़ रुपया पाकिस्तान को उसे भेजने से हम को मिलता था वह फिर मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि इसको पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के बारे में खाद्य मंत्री महोदय फिर से प्रयत्न करें। यदि ऐसा किया गया तो इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और हमें विदेशी मुद्रा भी कुछ प्राप्त हो जायेगी।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** उपाध्यक्ष महोदय, १२ अगस्त को बम्बई में भाषण देते हुए खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने कहा था कि केन्द्र राज्यों को चीनी दे देती है और राज्य में वितरण की कमजोर जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है मैं समझता हूं कि उन्होंने सही स्थिति स्पष्ट कर दी हैं । केन्द्र सरकार कारखानों से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यापारियों को नियंत्रित मूल्य पर चीनी दे देती है । परन्तु ऐसा देखा गया है कि उड़ीसा के यह मनोनीत व्यापारी उड़ीसा में चीनी न बेच कर उसको कलकत्ते में ऊंचे भाव पर बेचते हैं । और उड़ीसा में चीनी के भाव अधिक रहते हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसकी जांच करायें क्योंकि उनकी जिम्मेदारी यह जानने की भी है कि चीनी उचित दरों पर उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है अथवा नहीं ?

नियंत्रण उठाने के बारे में मेरा विचार है कि नियंत्रण उठाने के बाद चीनी के मूल्य एक दम बढ़ जायेंगे । इसलिए नियंत्रण उठाने के बजाये सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे चीनी का वितरण राज्यों में उचित प्रकार से हो सके ।

चीनी के निर्यात के बारे में माननीय मंत्री ने बताया कि वह ५०,००० टन चीनी का निर्यात करना चाहते हैं । मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह कृपा करके निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा न बतायें क्योंकि इससे चीनी के मूल्य बढ़ने की आशंका हो जाती हैं । मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके क्यूबा का ध्यान रख कर अमरीका को चीनी का निर्यात न करें ।

मैं चीनी की प्राप्ति के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि चीनी की प्राप्ति बढ़ जाये । आज हमारे देश में चीनी १०, क्यूबा में १२.८ तथा अन्य देशों में १५ की मात्रा में प्राप्त होती है । इसलिए चीनी की प्राप्ति को बढ़ाने के सरकार को कदम उठाने चाहिएं ।

आज चीनी के कारखाने के मूल्य काफी कम हैं परन्तु फिर भी उपभोक्ताओं को बढ़े हुए मूल्यों पर मिलती हैं । इसलिए सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे उपभोक्ता को चीनी सस्ते मूल्य पर मिले ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं माननीय मंत्री को बताना चाहती हूं कि नियंत्रण देश में कठिनाई होने पर ही लगाये जाते हैं । अब जब चीनी का उत्पादन देश में बढ़ गया हैं तो केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में चीनी पर नियंत्रण क्यों लगा रखे हैं, माननीय मंत्री को यह बताना चाहिए ।

मैं समझती हूं कि नियंत्रण के कारण उपभोक्ता अथवा उत्पादक दोनों में से किसी को भी कोई लाभ नहीं होता है । केवल मिल मालिकों को इससे लाभ होता हैं । एक बात यह कही गयी है कि नियंत्रण इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे जो कांग्रेस के समर्थक हों उनको लाभ हो सके । मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि चीनी तो कांग्रेस के छोटे बड़े कर्मचारी सभी खाते हैं । कांग्रेसी सभी नियंत्रण हटाने के पक्ष में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है भारत से विदेशों को लगभग ५००,००० टन चीनी का निर्यात करने का विचार है। मैं समझती हूं कि देश की सभी मिलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जिससे चीनी का अधिक उत्पादन हो और चीनी का निर्यात बढ़ा कर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाये।

सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले क्योंकि गन्ने से ही किसान को धन की पर्याप्त प्राप्ति हो सकती है। मैं समझती हूं कि यदि ५० प्रतिशत नियंत्रण हटा लिया जाये तो संभवतया किसानों को अधिक लाभ हो सके।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी के संबंध में हुई चर्चा से यह मालूम हुआ कि ऐसी मी ी वस्तु के संबंध में भी कभी कभी कटुता उत्पन्न हो सकती है। बहुत से सवाल उठाये गये हैं जिनका मैं संक्षेप में निर्देश करूंगा और देश की चीनी संबंधी स्थिति का सही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगा तथा यह भी बताऊंगा कि सरकार भविष्य में क्या करना चाहती है।

जो सुझाव दिये गये हैं उनसे मुझे वास्तव में बहुत लाभ हुआ है। इस बहस में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन का निर्देश किया गया और कुछ सदस्यों ने उसमें गलतियां निकालने का प्रयत्न किया। कुछ पक्षों की ओर से यह सुझाव पेश किया गया कि गन्ने का भाव एक रुपये दस आने से बढ़ाकर २ रुपये कर दिया जाना चाहिये। फिर चीनी के भाव के संबंध में बहुत कुछ कहा गया। अनेक सदस्यों ने यह भी कहा कि नियंत्रण क्यों नहीं हटा दिया जाता ? बहुत से सदस्यों ने चीनी के वितरण में गलतियां बताईं। चीनी के निर्यात का भी निर्देश किया गया।

पहले मैं प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन को लेता हूं क्योंकि एक प्रकार से उसने किसी हद तक चीनी के उत्पादन और वितरण का विनियमन किया है। जैसा कि सभा को ज्ञात है, कुछ वर्ष पूर्व चीनी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। गन्ना उत्पादकों की ओर से यह मांग की गई थी कि भाव बढ़ाया जाना चाहिये। फिर मिल मालिक यह चाहते थे कि चीनी का भाव बढ़ना चाहिये। इसलिये सरकार ने २० सितम्बर, १९५८ को यह मामला प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट किया। आयोग को अपने निर्देश पदों के अनुसार चीनी के तत्कालीन भाव, जो एक रुपया आठ आने प्रति मन था, के आधार पर चीनी के उचित भाव की सिफारिश करनी थी। मेरा निवेदन है कि सभा द्वारा निर्मित किये जाने वाले इस प्रकार के निकायों की स्थिति एक प्रकार से न्यायालय के समान होती है। जब आप स्वयं कोई हल नहीं ढूंढ पाते तब यह कहा जाता है कि उसे एक निष्पक्ष निकाय को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो उचित सिफारिश करे। अब चूंकि सरकार आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य को एक संकल्प द्वारा स्वीकार कर चुकी है इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि उसे बदला जाना चाहिये माननीय सदस्य सुझाव दे सकते हैं परन्तु हम अब उसमें परिवर्तन करने में असमर्थ हैं।

फिर जब हमने भाव एक रुपये सात आने से बढ़ाकर एक रुपये दस आने किया था तो हमें अन्य चीजों के भाव भी उसके अनुसार बढ़ाने पड़े थे क्योंकि प्रशुल्क आयोग की मूल सिफारिश एक रुपये सात आने के आधार पर थी। इसलिये उसका बढ़ाया जाना आवश्यक था। जो यह मानते हैं कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें गलत थीं और उनमें सुधार हो सकता था वे वैसा कह सकते हैं। परन्तु जहां तक सरकार की स्थिति का संबंध है, वह प्रशुल्क आयोग के निर्णय से बाध्य है क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

उस प्रश्न पर विचार करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वह सही सिफारिश थी और वह सिफारिश एक संकल्प के रूप में स्वीकार कर ली गई है जो वर्तमान नीति का आधार बनी हुई है। इसलिये अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

फिर मैं माननीय श्री ब्रजराज सिंह के प्रश्न पर आता हूं । उन्होंने गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के संबंध में जो कुछ कहा वह सर्वथा उचित है क्योंकि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जनता के हितों का ध्यान रखना ही चाहिये और उनके जिले में गन्ना बहुत पैदा होता है ।

फिर यदि यह कहा जाता है कि गन्ने का भाव २ रुपये होना चाहिये तो फिर चीनी का भाव कम कैसे किया जा सकेगा ? हम जानते हैं कि १ मन चीनी १० मन या उससे भी अधिक गन्ने से निकलती है । इसलिये गन्ने का मूल्य २० या २१ रुपये या संभवतः कुछ अधिक होगा क्योंकि चीनी दस प्रतिशत से कम ही निकलती है । हमारा औसत ९.७५ प्रतिशत है । फिर १२ से १३ रुपये उत्पादन-शुल्क है । इस प्रकार कुल मिलाकर ३२ या ३३ रुपये होते हैं । उत्पादन लागत इसके अतिरिक्त होगी । इसलिये यह कहना कि गन्ने का भाव बढ़ाकर २ रुपये कर दिया जाय और चीनी का भाव कम करके ३२ रुपये कर दिया जाय बड़ी विचित्र सी बात है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं माननीय मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि मिल मालिकों को सीरे से भी तो कुछ आमदनी हो जाती है ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं नहीं जानता । वैसा निष्कर्ष निकालना एक उच्च प्रशुल्क आयोग का कार्य है । मैं जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका हूं । आगामी समय में हम भले ही उसमें परिवर्तन कर सकें परन्तु अभी नहीं ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार गन्ना उत्पादकों को अधिक भाव देकर भी मूल्य स्थिर रख सकते हैं । संभवतः आपको यह बात जादू जैसी विचित्र लगेगी । परन्तु वैसा संभव है और मेरे बताये तरीके के अनुसार तीनों बातें पूरी हो सकती हैं ।

हमारे देश में इस समय ३६८० लाख एकड़ भूमि में खेती होती है । समें से ५२ लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती है जो कुल कृषि योग्य क्षेत्र का केवल १.४ प्रतिशत है । जहां तक गन्ने की औसत पैदावार का प्रश्न है, माननीय सदस्य कभी कभी अपने जिलों के आंकड़े बताने लगते हैं । हमारे देश में एक क्षेत्र ऐसा भी था जिसका औसत ७५ टन प्रति एकड़ था । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि यह समस्त देश का औसत है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अखिल भारतीय औसत केवल ३९६ मन था जो कि १४ टन से कम है । जब वह १४ टन से कम है तो इसका मतलब यह है कि प्रति एकड़ केवल १.४ टन चीनी होती है । अन्य निर्यातक देशों का औसत इससे कहीं अधिक है । उदाहरण के लिये हवाई का औसत ६ या ८ टन है, इंडोनेशिया का ५ टन या अधिक और फार्मूसा तथा क्यूबा तथा कुछ अन्य देशों का ३॥ टन से ४ टन से कम नहीं है । भारत का औसत १.४ टन इसलिये है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तरी बिहार, जहां चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, में औसत बहुत कम है परन्तु दक्षिण के अधिक औसत को मिलाकर वह इतना पड़ जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

यदि आप इसके आर्थिक पहलू को देखें तो ज्ञात होगा कि गन्ने की प्रति एकड़ आय लगभग ६०० रुपये है जबकि चावल की प्रति एकड़ आय केवल १६० रुपये और गेहूं की उससे कम अर्थात् १२० रुपये है। मैं यह नहीं कहता कि ये आंकड़े सर्वथा सही हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ कमीबेशी हो। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब गन्ना पैदा करके ६०० रुपये प्रति एकड़ मिल सकते हैं तो चावल और गेहूं की आय से आप सन्तुष्ट नहीं रह सकेंगे। इसलिये गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय हमें अन्य फसलों की आपेक्षिकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि माननीय श्री ब्रजराज सिंह के अनुसार मूल्य ठीक न होने पर भी गन्ना उत्पादक को चावल और गेहूं उत्पादकों से तीन गुनी आय होती है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या माननीय मंत्री शुद्ध आंकड़े दे सकते हैं। गन्ने की आय इतनी नहीं हो सकती है।

†**श्री स० का० पाटिल** : गन्ने के उत्पादन पर व्यय अधिक होगा यह मैं मानता हूं। परन्तु उस व्यय के बावजूद जो वास्तविक लाभ होता है वह चावल अथवा गेहूं के लाभ के तीन गुने से कम नहीं होगा। अतः प्रश्न यह है कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है। जब हमने गन्ने का भाव १ रुपये ७ आने प्रतिमन से बढ़ाकर १ रुपये १० आने प्रतिमन किया था तो माननीय सदस्य बहुत खुश हुये थे इससे गन्ना उत्पादकों को तो प्रोत्साहन मिला ही साथ ही हमने मिल मालिकों से भी यह कहा कि यदि वे दो वर्षों के औसत से अधिक उत्पादन करेंगे तो उनका आधा उत्पादन शुल्क छोड़ दिया जायेगा हमारा विचार यह था कि वे १ रुपये १० आने प्रतिमन से भी अधिक दें क्योंकि अन्त में उन्हें वह लाभ के रूप में मिल जायेगा। मेरे पास ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि अनेक कारखानों ने पूरे समय के लिये नहीं वरन् कुछ समय के लिये १ रुपये १० आने से अधिक भुगतान किया ताकि उन्हें छूट मिल सके। हम हमेशा यह मानते आये हैं कि यदि चीनी उद्योग को कोई लाभ होता है तो उसका एक भाग गन्ना उत्पादक को भी मिलना चाहिये। पिछले से पहले साल हमारा उत्पादन १९ लाख टन था जो अब २४.२ लाख टन हो गया है, अर्थात् ५ लाख टन बढ़ गया है। यदि हमारी बात सही निकलती है तो इस वर्ष के अन्त में २७ या २८ लाख टन चीनी तैयार की जा सकेगी।

जब चीनी का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ रहा है और हमारी स्थानीय खपत केवल ७५,००० टन प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो फिर बाकी चीनी का हम क्या करेंगे ? यदि हम उसका निर्यात करना चाहते हैं तो हमें मूल्य कम करना होगा क्योंकि चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य हमारे देश की उत्पादन लागत से लगभग आधा है। यदि हम कपड़े की तरह हर चीज का मूल्य बढ़ाते जायेंगे तो फिर निर्यात कैसे कर सकेंगे ? अतः हमारे देश के मूल्य और बाहर के मूल्यों के बीच में जो खाई है उसे कम करना आवश्यक है। इसलिये हमें चीनी का भाव कम करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु जब तक गन्ने का भाव १ रुपये १० आने रहेगा तब तक चीनी का भाव कम कैसे किया जा सकेगा ? अतः वास्तव में यदि हम निर्यात करना चाहते हैं तो गन्ने का भाव कम किया जाना चाहिये, बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था। वह अजीब भले ही मालूम हो परन्तु है बिल्कुल ठीक जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं।

वास्तव में किसान प्रति मन मूल्य नहीं देखता वरन् एक खेत के अन्तिम लाभ को देखता है। माननीय मित्र ने कहा कि सात साल से गन्ने का भाव १ रुपये ७ आने या १ रुपये १० आने चला

†मूल अंग्रेजी में

आ रहा है अतः उसे २ रुपये क्यों न कर दिया जाय ? मेरा निवेदन है उसे बढ़ाने के बजाय कम किया जाना चाहिये । परन्तु मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि किसानों का अहित हो । वास्तव में मैं किसानों का बहुत हितचिन्तक हूं । मैं चाहता हूं कि किसानों का भी नुकसान न हो और देश का भी नुकसान न हो । इसके लिये एक ही उपाय किया जा सकता है, जैसा कि श्री विश्वनाथ राय ने संकेत किया, कि उत्पादन बढ़ाया जाय । मान लीजिये किसी किसान के पास ५ एकड़ भूमि है जिसमें वह २००० मन पैदा करता है जिसका उसे १ रुपये १० आना प्रतिमन मूल्य मिलता है । यदि वह उतनी ही भूमि में ४००० मन पैदा कर सके तो मूल्य १ रुपये १० आने से १ रुपये ४ आने कर देने पर भी उसे पहले की अपेक्षा अधिक आय हो सकेगी । यह हमें करना होगा तथा इसके लिये कोई यंत्र होना चाहिये ।

मेरे माननीय मित्र चाहे वह श्री राजेन्द्र सिंह हों अथवा श्री ब्रजराज सिंह हों, ने एक यंत्र का प्रस्ताव रखा । वह यंत्र केवल यह विचार करने के लिये नहीं होना चाहिये कि मूल्य किस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिये । उस यंत्र को यह भी विचार करना चाहिये कि किसानों के हित की रक्षा के साथ साथ देश और समाज के हितों की भी रक्षा की जाय ।

इसका एकमात्र तरीका यह है कि गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन २५ प्रतिशत, ४० प्रतिशत अथवा ५० प्रतिशत बढ़ाया जाय क्योंकि वैसा सहज ही किया जा सकता है । मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि गेहूं और चावल के मामले में उत्पादन इतना बढ़ाना भले ही सहज न हो परन्तु जहां तक गन्ने का संबंध है वैसा सर्वथा संभव है । बहुत से लोग अभी तक उर्वरकों को काम में लाना नहीं सीख पाये हैं । बहुत से राज्य अभी तक किसानों के लिये पानी के निरन्तर संभरण की व्यवस्था भी नहीं कर सके हैं । वे कर भले ही लगा रहे हों । परन्तु कार्य कुछ नहीं कर पाये हैं । यदि सिंचाई और उर्वरकों की समुचित व्यवस्था की जाय और किसानों को खेती का अच्छा ढंग सिखाया जाय तो गन्ने के उत्पादन में शतप्रतिशत अथवा कम से कम ५० प्रतिशत वृद्धि असंभव नहीं है वरन् अत्यन्त सहज है ।

मैं कल से ही मूल्य कम करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं । वैसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी क्योंकि उससे किसानों को नुकसान होगा । परन्तु इस प्रकार का कोई यंत्र अवश्य होना चाहिये जो इस बात का प्रयत्न करे कि किसान उतनी ही भूमि में कम से कम ५० प्रतिशत अधिक उत्पादन कर सके और मैं समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते उसके कम से कम १० से १५ प्रतिशत का हकदार हूं ताकि उस हद तक गन्ने का मूल्य कम हो सके । जब ऐसा हो जायेगा तो हमारे निर्यात की भी वैसी स्थिति नहीं रहेगी जैसी कि अभी है ।

जैसाकि मैंने कल बताया था दो तरफा कार्यवाही की जानी चाहिये । एक ओर तो प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाकर गन्ने का मूल्य कम किया जाना चाहिये ताकि अन्ततः चीनी के उत्पादन की लागत कम हो जाये । दूसरी ओर हमें चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये । केवल भारत ही चीनी का उत्पादन नहीं करता है, अन्य देश भी इसके लिये उत्सुक हैं कि चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाय ! तब हमारा निर्यात निश्चित हो जायेगा ।

श्री पाणिग्रही हमेशा क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सोचते हैं । मैं ऐसा नहीं करता । मेरे लिए सब देश बराबर हैं । देश के हित में मुझे तो यह देखना है कि अधिक मूल्य कहां मिल सकता है । इसका मतलब यह नहीं कि मैं क्यूबा को क्षेत्र से निकाल देना चाहता हूं । श्री पाणिग्रही को यह जानकर खुशी होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका केवल क्यूबा से ही चीनी नहीं लेता है । वह ग्यारह देशों से चीनी लेता है और क्यूबा उनमें से एक है । संयुक्त राज्य अमेरिका ३० लाख टन चीनी क्यूबा से लेता है और ४५ लाख टन चीनी

[श्री स० का० पाटिल]

का स्वयं उत्पादन करता है । उसकी चीनी की आवश्यकता लगभग १०० लाख टन है । भारत का समस्त उत्पादन क्यूबा के संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्यात से भी कम है । इस लिए उस में कोई राजनीति की बात नहीं है ।

मैं यह भली प्रकार स्पष्ट कर चुका हूं और पुनः यह बता देना चाहता हूं कि जब हम चीनी सम्मेलन में जायेंगे और कोटा प्राप्त करेंगे तो हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा खरीददार बन जाए क्योंकि वे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से ६० प्रतिशत अधिक भुगतान करते हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका की १०० लाख टन की आवश्यकता के अतिरिक्त उनकी खपत लगभग १२५,००० से १५०,००० टन प्रति वर्ष बढ़ रही है । यदि हमें यह वार्षिक वृद्धि भी मिल सके तो तीन चार वर्षों में हमें लगभग ५ लाख टन चीनी का निश्चित बाजार मिल जाएगा जिस पर हमें ६० प्रतिशत अधिक मूल्य मिलेगा यदि हम सम्मेलन के सदस्य बन जायें । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ने चाहिए और हमें उस तरीके से अपना मूल्य कम करना चाहिए जो मैं ने अभी बताया है । इस प्रश्न का यही एक मात्र हल है । हमें इस के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ उपभोक्ताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है ।

यह भी कहा गया है कि चीनी पर से नियंत्रण हटा क्यों नहीं दिया जाता ? जो कुछ थोड़ा बहुत नियंत्रण अभी है वह फैक्टरी मूल्य पर है और वह भी थोड़े से स्थानों में अर्थात् उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अन्यथा नियंत्रण है ही नहीं । आप कह सकते हैं कि वह नियंत्रण क्यों रखा गया है ? हमने अभी तक अपना निर्णय नहीं किया है । सभा का कोई भी सदस्य मुझे नियंत्रण का विशेष पक्षपाती नहीं कह सकता है । कभी न कभी उसे खत्म करना ही होगा । वह प्रगति के मार्ग में बहुत बाधक है और जहां कहीं भी संभव हो उसे कम किया जाना चाहिए क्योंकि उससे स्थिति और भी खराब हो जाती है । नियंत्रण से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है । हां, मिल मालिक अवश्य उससे प्रभावित हैं और मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी सदस्य से अपने हितों की रक्षा करने के लिए कहा हो । परन्तु जहां तक राज्य में चीनी के वितरण पर नियंत्रण का संबंध है, भारत सरकार का उस पर तनिक भी नियंत्रण नहीं है । वास्तव में मैं समस्त राज्यों के खाद्य मंत्रियों से यह कहता रहा हूं कि उन्हें वितरण में सुधार करना चाहिए और तब ये कठिनाइयां प्रायः खत्म हो जायेंगी । पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जो कुछ कहा उससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं । मैं यह नहीं कहता कि जब वितरण राज्यों पर छोड़ दिया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार और पक्षपात होता है । परन्तु जब चीनी इतनी अधिक है तो मूल्य बढ़ाने का सवाल कैसे पैदा होता है । हम यह कहते रहे हैं कि जब कभी चीनी के मूल्य बढ़ने की संभावना होगी तो हम तो बाजार में इतनी चीनी भर देंगे कि मूल्य नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत चीनी है । वास्तव में मूल्य बढ़ नहीं रहे हैं वरन् कम हो रहे हैं । मैं चाहता हूं कि मूल्य एक विशेष स्तर से नीचे न गिरें वरन् ४१ या ४२ रुपए के लगभग बने रहें क्योंकि हमने फैक्टरी पर मूल्य लगभग ३८ रुपये निर्धारित किया है । उस में परिवहन तथा अन्य प्रभारों के लिए ३ रुपए जोड़े

जा सकते हैं । यदि मूल्य इस स्तर पर नहीं रहते और यदि हम नियंत्रण तुरन्त हटा देते हैं तो उस से कठिनाई उत्पन्न होगी। नियंत्रण धीरे धीरे हटाना होगा, जब हम यह देखेंगे कि उस में कोई खतरा नहीं है । परन्तु यदि हम बिना सोच विचार किए नियंत्रण हटा देते हैं तो हो सकता है कि मूल्य इतने गिर जायें कि गन्ना उत्पादक को १ रु० १० आना देना भी असंभव हो जाएगा । ये सब बातें एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं। वह एक महराब के समान है जिसका एक पत्थर हटा देने से सारा मवहराब आप के सिर पर गिर पड़ेगा । इसलिए यह कार्य बड़ी चतुराई के साथ करना होगा । हम नियंत्रण तभी हटायेंगे जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि उस से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा ।

परन्तु जैसा कि मैं अभी कह रहा था, इस समय जैसा नियंत्रण है उस से वास्तव में किसी को नुकसान नहीं हो रहा है । इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्थायी चीज होने जा रही है । हमने अभी कोई निर्णय नहीं किया है क्योंकि हम अभी स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। इस वर्ष हम ने ५ लाख टन अधिक उत्पादन किया है । इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा कार्य समाप्त हो गया है । हमें अधिकाधिक उत्पादन करना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन अपनी खपत से कम से कम ५ लाख टन अधिक हो जाए । तभी हम इसके संबंध में कोई निर्णय कर सकते हैं । इस प्रकार कुछ समय तक नियंत्रण कायम रखने का यह कारण है। परन्तु यह हमारा स्थायी दृष्टिकोण कदापि नहीं है ।

इस के बाद वितरण का प्रश्न आता है । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि चीनी के मामले में ९० प्रतिशत कठिनाई वितरण की त्रुटि के कारण है । चौधरी रनबीर सिंह ने सुझाव दिया है कि पंजाब सरकार को यदि कुछ लाभ हो जाता है तो इस में कोई बुराई नहीं है । मैं ने कभी भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि पंजाब सरकार मुनाफ़ा उठाती है । आखिर पंजाब सरकार भी तो केन्द्रीय सरकार का ही एक अंग है । माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर पंजाब सरकार ने कोई लाभ कमाया है तो वह पंजाबियों से ही कमाया है और ऐसा करना उन के हित में ही है । मुझे इस प्रकार की बात की आशा उन से नहीं थी। क्योंकि अगर पंजाब अथवा किसी दूसरे राज्य में चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो गेहूं और चावल का मूल्य भी वहां बढ़ जायेगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि पंजाब सरकार ने यदि कुछ लाभ कमाया है तो पंजाबियों से ही कमाया है और यह चीज उनकी भलाई के लिए ही है । लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसी बात नहीं है, खाद्यान्न एक ऐसा पदार्थ है जिस पर किसी सरकार को लाभ नहीं कमाना चाहिये । चूंकि कि यह एक सामाजिक समस्या ही नहीं है अपितु आर्थिक समस्या भी है । अगर हमने लाभ कमाना शुरू कर दिया तो परिणाम यह होगा कि सारे देश में इस के मूल्य बढ़ जायेंगे । हम तो सभी जगह एक से मूल्य रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि प्रत्येक सरकार ने लाभ कमाने का प्रयत्न किया तो हमारे प्रयत्न विफल हो जायेंगे । लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि पंजाब ने लाभ कमाया है । मैं तो इस की जांच करूंगा कि क्या पंजाब सरकार ने ऐसा किया है ? कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि पंजाब सरकार मिल के मूल्य पर ५ रुपये प्रति मन और बढ़ा कर लेती है । लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वे ऐसा

[श्री स० का० पाटिल]

करते भी हैं अथवा नहीं। अगर वास्तव में ही वे ५ रुपये प्रतिमन बढ़ा देते हैं तो मैं इसे क्या कहूं। मैं तो यह कहूंगा कि यदि हमारे देश से कुछ जाता है तो हम प्रत्येक वस्तु का मूल्य बढ़ा सकते हैं और फिर रुपया बना सकते हैं। हमारा हमेशा ही यह प्रयत्न रहा है कि अगर मूल्य स्थिर रखने हैं तो आर्थिक दृष्टि से ठीक हों और साथ ही उपभोक्ताओं पर उनका अधिक भार भी न पड़े। मैं एक बार फिर यह कहूंगा कि मैं पंजाब सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री राजेन्द्रसिंह ने उद्योगों के विभाजन का सुझाव दिया है। यह एक अच्छी बात है। यह एक समाजवादी तर्क है जिससे कि मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन हमें यह देखना है कि क्या ऐसा करना व्यावहारिक भी है अथवा नहीं। मान लीजिये १७० इकाइयों की अपेक्षा सारे देश में ७०० इकाइयां स्थापित कर दी जायें तो आप देखेंगे कि यह सब अनार्थिक होगा। उन्होंने तथा कुछ माननीय सदस्यों ने सहकारी संस्थाओं का सुझाव दिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि इन सहकारी संस्थाओं को हम पसन्द करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हमने जिन ५३ नये कारखानों को अनुज्ञप्तियां दीं उनमें से ३८ कारखाने सहकारी थे। इस प्रकार आप देखते हैं कि अनुज्ञप्तियां दिये जाने वाले कारखानों में से ७० प्रतिशत अनुज्ञप्तियां सहकारी संस्थाओं को दी गईं। तीसरी योजना के शुरू होने से पहले भी जो २० अनुज्ञप्तियां दी गईं उनमें से १४ अनुज्ञप्तियां सहकारी संस्थाओं के लिये थीं। इस मामले में भी ७० प्रतिशत से अधिक अनुज्ञप्तियां सहकारी संस्थाओं को दी गईं। अतः इस बात का कोई डर नहीं है कि सहकारी संस्थाओं के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

स्थिति का सही अनुमान लगाने के बाद ही हम इस दिशा में कुछ करेंगे। पहली बात तो हमें यह करनी है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि उत्पादन निरन्तर बढ़ते रहना चाहिये, क्योंकि अगर मूल्य बढ़ गये तो हम निर्यात नहीं कर सकते। यह बात दूसरी वस्तुओं पर भी निश्चित रूप से लागू होती है। अतः नवीनतम साधनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जाये। हमें उन्हें सभी सुविधायें देकर यह प्रयत्न करना चाहिये कि उनका उत्पादन १४ टन प्रति एकड़ से बढ़ कर ३० टन प्रति एकड़ हो जाये। अगर हमारा यह औसतन उत्पादन हो जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जायेगा। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि गन्ने का मूल्य प्रति एकड़ कम हो जायेगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि किसान को हानि होगी क्योंकि उसके खेत में प्रति एकड़ गन्ने का जो अधिक उत्पादन होगा उसे तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य मिल जायेगा। अतः हमें यहां सब कुछ करना होगा और कोई मशीनरी ऐसी बनानी होगी जो इसकी बराबर जांच करती रहे और समय समय पर मूल्य निर्धारित भी करती रहे। यदि आप मुझे मूल्य बढ़ाने के लिये मजबूर करते हैं तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एक समय आयेगा जब अधिक उत्पादन के कारण हमें मूल्य में कमी भी करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि किसान के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आयें। वर्ष के आरम्भ में किसान को यह मालूम हो जाना चाहिये कि दूसरे वर्ष के शुरू में उसकी स्थिति क्या होगी। अतः मैं उसके हितों की सुरक्षा करना चाहता हूं, वह भी उसको प्रति मन अधिक न दे कर बल्कि उसकी भूमि से उत्पादन होने वाले उत्पाद की निरन्तरता से। ऐसा करने के लिये हमें एक सुयोजित योजना तैयार करनी होगी।

आशा है कि माननीय सदस्य इस समस्या का हल करने के लिये मेरी सहायता करेंगे। आगामी दिनों में मूल्य निश्चित रूप से कम होगा क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होगी। और उस समय किसान के हितों की सुरक्षा करनी होगी। लेकिन उसकी सुरक्षा का अभिप्राय उपभोक्ताओं को कष्ट देना नहीं

है। अतः किसान एवं उपभोक्ताओं के परस्पर विरोधी हितों को हल करने के लिये कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर इस समस्या का कोई समाधान न ढूंढा गया तो हमारा सभी अनुमान गलत हो जायेगा। अतः हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम अधिक उत्पादन करें ताकि निर्यात कर सकें बनिस्वत इसके कि हमारा उत्पादन कम हो और हम दूसरे देशों पर निर्भर करें कि उनके यहां से कुछ आये।

अतः वर्तमान स्थिति और आगे की स्थिति पर विचार करते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम जो भी पग उठायें वह उचित हो। और अगर ऐसा हुआ तो चीनी ही क्या किसी भी खाद्यान्न के बारे में सामान्यतः कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : स्थिति का प्रत्यक्षतः निरूपण करने की अपेक्षा माननीय मंत्री महोदय ने टालने का ही प्रयत्न किया है। प्रश्न तो यह था कि क्या यह संभव नहीं है कि किसानों को उचित मूल्य मिले। इसके उत्तर में उन्होंने यही कहा है कि यह संभव नहीं है लेकिन उसके कारण नहीं दिये हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि उत्पादन बढ़ाया जाये। इससे तो सभी सहमत हैं। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिये तो कांग्रेस सरकार ही उत्तरदायी है जो गत १४ वर्षों से शासन की बागडोर संभाले है। मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय ने इस समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ब्रजराज सिंह का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात की वर्तमान स्थिति पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि*

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : श्रीमान्, मैं १६ नवम्बर, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं जो बहुत ही असंतोषजनक ढंग से दिया गया है। यह असंतोषजनक उत्तर एक ऐसी समस्या का है जिसे यदि शीघ्र ही हल न किया गया तो इससे राष्ट्र बरबाद हो जायेगा।

यह सुनने में आया है कि पी० एल० ४८० निधि के कुछ अंश का उपयोग कलकत्ता क्षेत्र के लिये किया जाये। इस पी० एल० निधि ४८० के उपभोग की प्रक्रिया के बारे में, जो पी० एल० करार के अनुसार निर्धारित है मुझे कुछ व्यक्तिगत संदेह है। लेकिन बात यह नहीं है बात तो यह है कि कलकत्ते की बढ़ती हुई समस्याओं की चुनौती की ओर एक विश्व बैंक मिशन के प्रतिवेदन में विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने जो उस समय उत्तर दिया था कि भारत सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, इससे मुझे सन्तोष नहीं है। अगर विचार नहीं भी कर रही है तो अब समय आ गया है जब कि इसे विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

पिछले कुछ समय से कलकत्ते में पैदा होने वाली समस्याओं की ओर से केन्द्र ने मानों आंखें मूंद ली हैं। ऐसा स्पष्ट है कि केन्द्र उसे उस दलदल से निकालने के लिये बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। विभाजन तथा शरणार्थी समस्या के कारण कलकत्ता बुरी तरह पीड़ित है। विश्व बैंक ने वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या, जो १९४८ में ३०१.२ लाख थी अब बढ़ कर ६० लाख हो गई है, पर्याप्त जल संभरण की कमी, स्वच्छता तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव, भयंकर भीड़भाड़, बेरोजगारी तथा परिवहन एवं अन्य लोकोपयोगी सेवाओं की कमी का भी उल्लेख किया है।

इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया है कि कलकत्ता पत्तन जो कि देश में सब से बड़ा पत्तन है और निर्यात की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लगभग ठप्प होने की स्थिति में है। कलकत्ता पर यह विपत्ति पिछले १० या १५ वर्षों से ही आई है। अतः इस बारे में अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिये।

आज से १३ वर्ष पूर्व शरणार्थियों का आगमन एवं द्वितीय महायुद्ध की विभीषिकाओं से जर्जर कलकत्ता को देख कर ही इसके विभाजन की बात राष्ट्रीय नेताओं के ध्यान में आई होगी। कलकत्ता निगम को दोष देना भी आसान है। निस्संदेह यह भी बहुत ही अकुशल निकाय है। कलकत्ता विकास न्यास की पश्चिमी बंगाल के क्षीण सहायता पर आधारित है। आवश्यकता इस बात की है कि सम्पूर्ण राष्ट्र को आज कलकत्ता के सुधार में मदद करनी चाहिये। कलकत्ता एक राष्ट्रीय आस्ती है। यहां के पत्तन एवं उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिकतर गैर बंगाली है। विश्व बैंक मिशन ने कहा है कि पत्तन के रूप में कलकत्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं है। कलकत्ता भारत के दो मुख्य निर्यात उद्योगों जूट और चाय की धुरी भी है। विश्व बैंक ने कहा है कि कलकत्त के पुनर्वास के लिये लगभग २०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को स्वीकार करनी चाहिये। एक बहुत बड़ी समस्या हुगली नदी के तल में कीचड़ व रेत भर जाने की है, जिसने कलकत्ता पत्तन की स्थिति को लगभग असंभव सा बना दिया है। आज के बड़े बड़े जहाज इस बन्दरगाह में नहीं आ सकते। विश्व बैंक मिशन ने सुझाव दिया है कि चूंकि कलकत्ता पत्तन अपनी अधिकतम कार्यक्षमता पर पहुंच गया है, अतः और नीचे की ओर हट कर हल्दिया में एक नया पत्तन शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाना चाहिये—विशेष रूप से इसलिये कि उसको बनाने में कुछ अनुचित धन व्यय नहीं होगा। इसके लिये लगभग २५ करोड़ रुपये की ही आवश्यकता होगी।

विश्व बैंक मिशन ने कलकत्ता के जल संभरण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। उसने कहा है कि यहां के जल संभरण व्यवस्था में महान परिवर्तन की आवश्यकता है।

विश्वस्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि यदि हुगली नदी के तल का रेत निकाला नहीं गया तो इस बात का डर है कि यहां की जनसंख्या में कमी होना प्रारम्भ हो जायेगा।

मेरा निवेदन है कि यदि इन बातों को टाला जायेगा तो इसका परिणाम बहुत महंगा पड़ेगा।

पता नहीं कि फरक्का बांध का क्या होगा। लेकिन यदि इसका काम निकट भविष्य में भी आरम्भ कर दिया जाये तो भी उसमें काफी समय लगेगा और कुछ किया अवश्य जाना चाहिये।

अतः मेरा निवेदन है कि कहीं से भी धन प्राप्त करके यह काम अवश्य आरम्भ किया जाना चाहिये, केन्द्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता करनी चाहिये। और विश्व बैंक ने जो सिफारिशें की हैं उन पर अमल किया जाना चाहिये।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : इस सम्बन्ध में मैं केवल तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या सरकार कलकत्ते क्षेत्र के लिये एक एकीकृत परियोजना तैयार करने की दृष्टि से एक अध्ययन दल तैनात करने के लिये तैयार हो जायेगी, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्व बैंक ने इस कार्य को आरम्भ करने में विलम्ब करने से उत्पन्न होने वाले खतरों का बड़े वास्तविक ढंग से मूल्यांकन किया है? क्या दमदम से कलकत्ता तक एक बड़ी सड़क बनाई जायेगी। क्या संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि और विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार तथा इसी प्रकार के अन्य अभिकरणों से आवश्यक नक्शे बनाने और उनके अनुसार निर्माण कार्य में सहायता करने का अनुरोध किया जा सकता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उनमें से कुछ धन का उपयोग कलकत्ते अथवा वृहत्तर कलकत्ते के ही लिये नहीं वरन् छोटे छोटे ज़िलों के ऐसे नगरों के लिये भी, जहां ऐसी समस्यायें पैदा हो जाती हैं, किया जा सकेगा?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: पिछले कुछ दिनों से समाचारपत्रों तथा अन्य वर्गों में यह भ्रांति फैल रही थी कि कलकत्ता के विकास के लिये पी० एल० ४८० निधि से जो राशि मिली है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य ने अबकी बार बड़ा अच्छा एवं सहानभूतिपूर्ण रवैया अपनाया है जब कि इससे पूर्व वे तीव्र एवं कुट आलोचना ही किया करते थे। (**अन्तर्बाधाएं**)

माननीय सदस्य ने कहा है कि १६ नवम्बर को जो उत्तर दिया गया था वह बड़ा असन्तोषजनक था। लेकिन बाद को उन्होंने कहा है कि वह तो इस समय पी० एल० ४८० निधि एवं उसके प्रयोग करने की प्रक्रिया के बारे में ही जानना चाहते हैं फिर उन्होंने कलकत्ता की अन्य समस्याओं और हल्दिया पत्तन तथा फरक्का बांध की ओर भी संकेत किया है। मैं बताना चाहूंगा कि ये सब बातें उस उत्तर में सम्मिलित नहीं थीं।

जहां तक कलकत्ता क्षेत्र के विकास का सम्बन्ध है इस समस्या के महत्व और अविलम्बनीयता के बारे में कोई मतभेद नहीं है। जिस रूप से कलकत्ते का विस्तार हुआ है और उसने जितना महत्व-पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है यह एक ऐसी चुनौती है जो किसी भी सरकार को स्वीकार करनी पड़ेगी इन समस्याओं का सामना करने के लिये चाहे पश्चिमी बंगाल की तीसरी योजना में हो अथवा शरणार्थियों के पुनर्वास योजना में या केन्द्रित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना में हो, हमने उचित राशि की व्यवस्था कर ज़रूर दी है।

लेकिन जिस ढंग से माननीय सदस्य चाहते हैं उस ढंग से २५० करोड़ रुपये की व्यवस्था पश्चिमी बंगाल की योजना में अभी तक नहीं की गयी है हालांकि योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। हल्दिया परियोजना को तो योजना में शामिल भी कर लिया गया है और उसे प्राथमिकता भी दी जा रही है। अन्य परियोजनाओं के बारे में भी यही स्थिति है। अतः यह कहना अन्याय होगा कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ते की समस्याओं की अवहेलना कर रही है।

जहां तक पी० एल० ४८० निधि के धन के उपयोग का सम्बन्ध है तीसरी योजना के सम्बन्ध में हिसाब लगाते समय उस धन को भी जोड़ लिया गया है। किसी ऐसी योजना अथवा परियोजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

के लिये, जो तीसरी योजना में शामिल नहीं की गई है संसाधन तब तक नहीं प्राप्त किये जा सकते जब तक कि योजना को और बढ़ा कर न कर दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में तीसरी योजना के प्रारूप के पृष्ठ ४९ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर बताया गया है कि अमरीका से अभी हाल में जो करार हुए हैं उनके अनुसार प्राप्त ६०८ करोड़ रुपये को तीसरी योजना के व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः इस पी० एल० निधि को भी इस राशि में सम्मिलित कर लिया गया है । अतः इस आधार पर कि पी० एल० निधि उपलब्ध है कोई नई योजना नहीं ली जायेगी । अतः यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि यह राशि किसी परियोजना की गुणिता की दृष्टि से खर्च नहीं की जायेगी। भले ही वह कलकत्ते की समस्या हो या कोई और समस्या ।

श्री तंगामणि के प्रश्न के उत्तर में कि क्या कोई अध्ययन दल कलकत्ता की स्थिति का अध्ययन करने के लिये जायेगा, क्या उसके लिये कोई विस्तृत योजना अथवा कोई नक्शे आदि तैयार किये जायेंगे और क्या इसके लिये कोई अमरीकी सहायता प्राप्त की जायेगी ? मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि पश्चिमी बंगाल की प्रस्तावित तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिस पर हाल ही में योजना आयोग ने विचार किया है, कलकत्ता और औद्योगिक पट्टी की विशेष समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में पृथक कोई प्रस्ताव नहीं थे, लेकिन हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि से यह अनुरोध किया है कि बृहत्तर कलकत्ते के जल संभरण साधनों तथा सम्बद्ध नाली व गन्दे नालों की व्यवस्था का सर्वेक्षण और जांच करने में वह पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता करे ।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने अभी हाल में योजना आयोग के उपसभापति को यह बताया था कि वे वृहत्तर कलकत्ते के लिये एक वृहत्तर योजना तैयार करने का इरादा कर रहे हैं । इसका अभिप्राय यह है कि अभी यह कार्य प्राथमिक चरण में है अतः इसके लिये धन का औपचारिक आवंटन अथवा व्यवस्था करने का प्रश्न अभी नहीं उठता । हम फिर भी इसका अध्ययन कर रहे हैं । वृहत्तर योजना तैयार हो जाने के बाद निश्चय ही यह योजना आयोग के समक्ष विचारार्थ आयेगा । अतः इसका क्या बनेगा अभी यह बताना समय से पूर्व की बात है । अतः यह कहना कि हम कलकत्ते के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं, न्यायसंगत नहीं है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९६०/१७ अग्रहायण, १८२२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०

१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२०९१—२११०
तारांकित प्रश्न संख्या		
७४४	आसाम की स्थिति	२०९१—९४
७४५	सूक्ष्म उपकरणों के प्रविधिज्ञों के लिये संस्था	२०९४–९५
७४६	किकिबुरू लौह-अयस्क खान	२०९५–९६
७४७	कनाडा की ओर से गेहूं का उपहार	२०९६–९७
७४९	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों को मान्यता	२०९८—२१०५
७५०	भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	२१०५–०६
७५१	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	२१०६—०९
७५२	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	२१०९–१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२११०—२१६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
७४८	धुले हुए कोयले का उत्पादन	२११०
७५३	शस्त्र नियम	२११०–११
७५४	इस्पात संयंत्रों का प्रबन्ध	२१११
७५५	राज्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	२१११
७५६	रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज	२११२
७५७	आवेदन पत्रों को आगे भजना	२११२
७५८	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	२११२–१३
७५९	मजगांव गोदी	२११३
७६०	दक्षिण कर्णपुर कोयला खान	२११३–१४
७६१	इस्पात का तार	२११४
७६२	तेल के लिए पाइप लाइनें	२११४–१५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७६३	भारत नेपाल सड़क . . .	२११५
७६४	सामान्य निर्वाचनों में मतदान . . .	२११५
७६५	रूरकेला इस्पात संयंत्र . .	२११६
७६६	बहुप्रयोजनीय खाद्य . . .	२११६
७६७	गांधीनगर में तेल का सर्वेक्षण . .	२११७
७६८	देश में हुए विस्फोट . . .	२११७
७६९	संस्कृत में अनुसन्धान के लिए छात्रवृत्तियां .	२११७–१८
७७०	लंका से यात्री . . .	२११८
७७१	ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल सर्वेक्षण . .	२११८
७७२	नये वेतन-क्रम . . .	२११९
७७३	दिल्ली प्रशासन द्वारा हिन्दी का प्रयोग	२११९
७७४	उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद् . .	२११९–२०
७७५	सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर प्रतिबन्ध	२१२०
७७६	भारत को जापानी ऋण .	२१२०
७७७	आयल इंडिया लिमिटेड . . .	२१२१
७७८	प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों को स्थायी करना	२१२१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४०६	पंजाब में केन्द्रीय कर वसूली की राशि में कमी	२१२१
१४०७	"तांदी कूल्ह" . . .	२१२१–२२
१४०८	इस्पात का आयात . . .	२१२२
१४०९	महाराष्ट्र के लिये इस्पात का आवंटन .	२१२२
१४१०	पश्चिमी बंगाल में भूमिगत जल के संसाधन	२१२३–२४
१४११	उत्पादन शुल्क की चौकी, कोटला (कांगड़ा जिला)	२१२४
१४१२	केरल राज्य के केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये विदेशी मुद्रा	२१२५
१४१३	दिल्ली में नहरी क्षेत्र में बुनयादी स्कूल .	२१२५
१४१४	जंगल युद्ध . . .	२१२५
१४१५	पश्चिमी बंगाल में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-क्रम	२१२६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४१६	हिमाचल प्रदेश में सामाजिक शिक्षा	२१२६
१४१७	पंजाब में प्राथमिक शिक्षा	२१२६–२७
१४१८	उड़ीसा में स्मारक	२१२७
१४१९	दिल्ली के स्कूली विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क अतिरिक्त शिक्षण .	२१२७–२८
१४२०	सरकारी व्यय सम्बन्धी आयोग	२१२८
१४२१	सूरत का खनिज सर्वेक्षण	२१२८
१४२२	परियोजनाओं पर व्यय	२१२८–२९
१४२३	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय .	२१२९
१४२४	विश्वविद्यालयों में काम के दिन .	२१२९
१४२५	लुडलो कैसिल, दिल्ली में स्कूल	२१२९
१४२६	वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के लिये केन्द्रीय प्रतिष्ठान .	२१३०
१४२७	अन्तरिक्ष अनुसन्धान समिति	२१३०
१४२८	जाली नोट . .	२१३०
१४२९	पालम पर तस्कर व्यापारी की गिरफ्तारी .	२१३०–३१
१४३०	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	२१३१
१४३१	अफ्रीकी देशों को सहायता	२१३१–३२
१४३२	कामंदिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का पंजीयन .	२१३२
१४३३	बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खंड.	२१३३
१४३४	स्वयंसेवी संस्थायें .	२१३३
१४३५	दिल्ली पोलीटैक्निक .	२१३४
१४३६	नौसेना का डाक यार्ड, बम्बई	२१३४
१४३७	प्रतिरक्षा सामान की खरीद .	२१३५
१४३८	प्रतिरक्षा सामान की खरीद	२१३५
१४३९	रूरकेला में उपोत्पाद संयंत्र . . .	२१३५–३६
१४४०	सेना के कर्मचारियों के लिये विश्रामगृह	२१३६
१४४१	क्रोमाइट अयस्क . .	२१३६–३७
१४४२	अगरतला का एम० बी० बी० एस० कालिज	२१३७
१४४३	आसाम से कच्चे तेल का परिवहन	२१३७
१४४४	मनीपुर के नागा होमगार्ड	२१३७–३८
१४४५	इस्पात के स्टाकिस्ट . .	२१३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४४६	न्यू एशियाटिक बीमा कम्पनी . .	२१३८–३९
१४४७	सरदार करतार सिंह को आर्थिक सहायता .	२१३९
१४४८	गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋणों की अदायगी .	२१३९
१४४९	रेडियो तथा राडार . . .	२१४०
१४५०	नेपाल को सहायता . .	२१४०
१४५१	अफीम की खेती में वृद्धि	२१४०
१४५२	नकली बीमा कम्पनी	२१४०–४१
१४५३	पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां . . .	२१४१
१४५४	अल्प बचत योजना	२१४१–४२
१४५५	हीरों का तस्कर व्यापार . . .	२१४२
१४५६	मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य	२१४३
१४५७	भारतीय अफीम का विश्व में स्थान	२१४३
१४५८	आदिवासी	२१४३–४४
१४५९	लखनऊ में बाढ़	२१४४
१४६०	विधानमंडलों में रिक्त स्थान .	२१४४–४५
१४६१	कपूरथला के एक गांव में उड़ती हुई वस्तु . . .	२१४५
१४६२	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती. . . .	२१४५
१४६३	बीकानेर और रूपड़ में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई .	२१४६
१४६४	टैगोर जन्म शताब्दी समारोह . . .	२१४६
१४६५	रूरकेला और दुर्गापुर में धमन भट्टियां .	२१४६
१४६६	सोने का पकड़ा जाना .	२१४७
१४६७	गुजरात का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	२१४७
१४६८	राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन . .	२१४७–४८
१४६९	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गाड़ी की चोरी .	२१४८
१४७०	श्रेणी १ के पदाधिकारियों तथा स्टेनोग्राफरों के संघ .	२१४८–४९
१४७१	दिल्ली में नयी पालिटेक्निक संस्था .	२१४९
१४७२	"एम० वी० अन्दमान" और "एम० वी० सलीम" .	२१४९–५०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४७३ प्रतिरक्षा संस्थापनों में लोअर डिवीजन क्लर्क २१५०
१४७४ इम्फाल नगरपालिका के प्रधान . . . २१५१
१४७५ प्लास्टिक के माल की पकड़ २१५१
१४७६ विधि आयोग का प्रतिवेदन २१५२
१४७७ गांजा और भांग के उपयोग पर प्रतिबन्ध . . . २१५२
१४७८ राज भाषा विधेयक . . . २१५३
१४७९ विदेशी बैंकों में भारतीयों के लेखे २१५३
१४८० उत्तर सिक्किम सड़क . . २१५३
१४८१ विदेशी पत्रकारों का आगमन . . २१५३
१४८२ भारत सेवक समाज २१५४
१४८३ राजपत्र में हिन्दी विज्ञप्तियां . . २१५४
१४८४ इनामी बांडों का हिन्दी में छापना . २१५४–५५
१४८५ दिल्ली के स्कूलों में भाषा अध्यापक . २१५५–५६
१४८६ रूसी विमानों का क्रय २१५६
१४८७ स्टेनोग्राफर २१५६–५७
१४८८ त्रिपुरा में चक्रवात . २१५७–५८
१४८९ वेतन आयोग की सिफारिशें . २१५८
१४९० हायर सेकन्डरी परीक्षाओं में असफलता २१५९
१४९१ विश्वविद्यालय छात्राओं के लिये होस्टल २१५९
१४९२ किरिबुरु और बरसुआ खानें . २१५९
१४९३ सरकारी क्षेत्र की लौह अयस्क खानें . २१५९—६१
१४९४ इस्पात संयंत्रों को दिया जाने वाला लौह अयस्क २१६१–६२
१४९५ पम्पोश में रेलवे साइडिंग २१६२
१४९६ नये विश्वविद्यालय . . २१६२–६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २१६३—६७

(१) श्री स० मो० बनर्जी ने सिलचर के निकट भारतीय गांव भैरवनगर पर सशस्त्र पाकिस्तानियों के कथित हमले की ओर, जिस के फलस्वरूप एक लड़की मारी गई तथा अन्य तीन व्यक्ति घायल हुए, प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने तथ्यों का पता लगा कर बाद में किसी दिन वक्तव्य देने का वचन दिया ।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—(क्रमशः)

(२) श्री ब्रजराज सिंह ने एक लाख टन तक की क्षमता वाले कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के लिये गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र को अनुमति देने के बारे में सरकार के कथित निर्णय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६४–६५

(१) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६२ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (प्रथम संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति ।

(२) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १३११ में प्रकाशित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नियम, १९६० की एक प्रति ।

(३) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १३९८ में प्रकाशित खनिज रियायत नियम, १९६० की एक प्रति ।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधि-नियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १३७५ ।

(दो) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १३७७ ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १३८१ ।

(चार) ऐसी व्यापारिक संस्थाओं की सूची, जिन्हें सरकार से पूछने पर वर्ष १९५९-६० में सूचित किया गया कि उन के द्वारा

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

अपनी कम्पनी के अंशधारियों को बांटे गये लाभांश पर भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ५६-क के अन्तर्गत रियायतें दी जायेंगी ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . २१६७–६८

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने संस्कृत आयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२३० पर श्री रघुनाथ सिंह द्वारा ९ सितम्बर, १९६० को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित . . . २१६८–६९

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ५, १९६० पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . . २१६९—९२

वर्ष १९६०–६१ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और समस्त अनुपूरक मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . . २१९२—२२१५

श्री राजेन्द्र सिंह ने चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

श्री ब्रजराज सिंह ने एक संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री राजेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . २२१५—१८

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिये पो० एल० ४८० निधि के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १३७ के १६ नवम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर चर्चा उठायी ।

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक तथा भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उस का पारित किया जाना; भारत में खेल सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार ।

GMGIPND—LSIII—1585 (Ai) LSD—29-12-60—115.